मंगलवार,
११ नवंबर, १९५२

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

मंगलवार, ११ नवम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवत हुई

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे।]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सौमनस्य अधिकारी

*१७४. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या देश के सभी भागों में आपसी बातचीत करके औद्योगिक विवादों का निर्णय करने के लिये सौमनस्य अधिकारी नियुक्त कर दिये गये हैं ; तथा

(ख) क्या इन अधिकारियों को निर्णय देने के अधिकार भी हैं अथवा वह केवल मात्र बातचीत में सहायता देते हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जी हां।

(ख) उन को कोई आदेश देने अथवा निर्णय करने के अधिकार नहीं हैं। वह केवल झगड़ों से सम्बन्धित पक्षों में परस्पर मेल कराने के लिये बातचीत में सहायता देते हैं। मैं यह भी बता दूं कि यदि वह अपने कार्य में सफल होंगे तो वह सम्बद्ध सरकार को एक रिपोर्ट भेजेंगे और साथ ही झगड़े से सम्बन्धित पत्रों द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन भी भेजेंगे। यदि वह सफल नहीं होंगे, तो वह सौमनस्य प्रयत्नों की असफलता के सम्बन्ध में उपयुक्त सरकार को सूचित करेंगे।

सरदार हुक्म सिंह : क्या वह अपनी सहायता मांगी जाने पर देते हैं अथवा वह स्वयं ही मामले में पंच बन जाते हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : साधारणतया, यदि उन से सहायता मांगी जाती है तो।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह कार्यवाही उस समय की जाती है जब कि सीधी बातचीत असफल हो जाती है ?

श्री वी० वी० गिरि : बिल्कुल ठीक—जब सीधी बातचीत असफल हो जाती है।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या सरकार सौमनस्य प्रणाली को बन्द कर के अधि-निर्णयन प्रणाली को चालू करने का विचार कर रही है ?

श्री वी० वी० गिरि : जी नहीं। कदापि नहीं।

श्री वैलायुधन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इस वर्ष में इन सौमनस्य अधिकारियों ने कितने झगड़ों को निपटाया है ?

श्री वी० वी० गिरि: आप कृपया पूर्व सूचना दें।

श्री पुन्नुस: मदरास तथा त्रावनकोर-कोचीन द्वारा कितने सौमनस्य अधिकारी नियुक्त किये हैं?

श्री वी० वी० गिरि: पूर्व सूचना चाहिये।

श्री क० के० बसु: मैं ज्ञात कर सकता कि क्या सौमनस्य अधिकारियों की नियुक्ति के लिये कोई विशेष योग्यतायें निर्धारित की गई हैं?

श्री वी० वी० गिरि: कुछ विशेष योग्यतायें निर्धारित की गई हैं जैसे श्रम सम्बन्धी विषय में कोई उपाधी पत्रया प्रमाण-पत्र, पूर्व अनुभव, इत्यादि।

श्री मोहिउद्दीन: क्या यह तथ्य है कि सौमनस्य कार्यवाहियों में देर होने के कारण ही सफलता प्राप्ति में बाधा पड़ती है?

श्री वी० वी० गिरि: मेरे विचार से सौमनस्य प्रणाली कुछ सीमा तक सफल हुई है। परन्तु यह सफलता हमारी आशाओं के अनुसार नहीं है।

श्री वेंकटारमन: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार ने अपने स्वयं के किन्हीं विद्यालयों अथवा संस्थाओं आदि में सौमनस्य अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की कोई व्यवस्था की है?

श्री वी० वी० गिरि: मामले पर विचार किया जा रहा है।

लियाकत अली स्मारक निधि

*१७५. **डा० राम सुभग सिंह:** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या भारत सरकार को इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि दरस ना रेलवे स्टेशन पर पूर्वी बंगाल के अन्सार लोग हिन्दू यात्रियों से लियाकत अली स्मारक निधि के लिये बलात् धन वसूल करते हैं; तथा

(ख) यदि प्राप्त हुई हैं, तो क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाहियां की गई हैं?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

ट्रेनों में डकैतियां

*१७६. **डा० राम सुभग सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस वर्ष की १ जुलाई से गत वर्ष की तत्संवादी अवधि के मुकाबिले में रेलवे के छहों खण्डों में चलती गाड़ियों में हुई डकैतियां की संख्या कम हो गई है?

(ख) वह कौन से रेलवे खण्ड हैं जिन में डकैतियों की संख्या अधिकतम रही है तथा जिन में कम रही है?

(ग) क्या सरकार ने १ जुलाई, १९५२ के पश्चात् इन डकैतियों को रोकने के लिये कोई सुरक्षात्मक कार्यवाहियां की हैं?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) गत वर्ष की तत्संवादी अवधि की तुलना में इस वर्ष जुलाई से सितम्बर की अवधि में चलती गाड़ियों में हुई डकैतियों की सम्पूर्ण संख्या में थोड़ी सी वृद्धि हुई है।

(ख) सब से अधिक संख्या, जो प्रत्येक रेलवे के सम्बन्ध में ११८ है, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी रेलवे की है। केन्द्रीय रेलवे में कोई डकैतियां नहीं हुई हैं।

(ग) जी नहीं, रेलवे सुरक्षा पुलिस की संरक्षता में गाड़ियों का ले जाये जाना

तथा असुरक्षित स्थानों की निगरानी करना जैसे सुरक्षात्मक उपायों द्वारा इन डकैतियों को रोकने के लिये निश्चयात्मक तथा सतत प्रयत्न किये जा रहे हैं।

डा० राम सुभग सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि किये जा रहे प्रयत्नों के परिणामस्वरूप क्या डकैतियों की संख्या में कोई कमी हुई है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो प्रधानतया सम्मति का प्रश्न है। प्रश्न विधि तथा व्यवस्था के प्रश्न से उलझा हुआ है—यह ऐसा विषय है जिस का सम्बन्ध उन राज्यों से है जिन में हो कर रेल पथ जाते हैं। डकैतियों का रेल मंत्रालय से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः इस प्रकार यह एक उलझा हुआ प्रश्न है।

डा० राम सुभग सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या गत दो मासों में इन डकैतियों के परिणामस्वरूप कोई यात्री जान से मारा गया है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : एक यात्री मारा गया है।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं आहत हुए यात्रियों की संख्या ज्ञात कर सकता हूं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : यह तनिक कठिन है.....

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से हमें इस व्यौरे में जाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की सूचना देना संभव नहीं है।

श्री सारंगधर दास : चाहे रेल पथ किसी भी राज्य में होकर क्यों न जाता हो क्या यात्रियों की रक्षा करना रेलवे का कर्तव्य नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। यह तो सम्मति ज्ञात करना और तर्क करना है।

श्री चट्टोपाध्याय : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि उन का क्या हुआ जो श्री गाडगिल का मुंह बांध देने में सफल हुए थे ?—मेरा आशय चलती गाड़ी में हुई घटना से है।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मुझे यहां सदस्यों का 'मुंह बन्द करना' और अगले प्रश्न को लेना पड़ेगा।

श्री के० के० बसु : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि मार्ग रक्षकों की व्यवस्था कर देने के अतिरिक्त रेलवे प्राधिकारियों ने और कौन से सुरक्षात्मक प्रबन्ध किये हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि अधिकांश डकैतियाँ माल गाड़ियों में हुई थीं, और जैसा कि अभी माननीय अध्यक्ष महोदय ने संकेत किया यह विषय मुख्यतया विधि तथा व्यवस्था का है। मैं सदन को यह भी सूचित कर दूं कि इस विषय में हम गृह मंत्रालय की भी सहायता ले रहे हैं। इस के अतिरिक्त, हम अपने सुरक्षा तथा प्रतिपालन संगठन के सम्बन्ध में भी निश्चित कार्यवाहियां कर रहे हैं।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : रेलवे में हुई डकैतियों की संख्या में हुई कमी के साथ साथ क्या मैं यह ज्ञात कर सकता हूं कि क्या चोरियों की संख्या बढ़ रही है और उन चोरियों में रेलवे कर्मचारियों के लिप्त होने के मामले भी बढ़ गये हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : इस सम्बन्ध में कुछ कहना कठिन है।

औद्योगिक विवाद

*१७७. **डा० राम सुभग सिंह :** (क) क्या श्रम मंत्री केन्द्रीय सरकार के क्षेत्रा-

धिकार में आने वाले उन औद्योगिक विवादों की संख्या, जिन में वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से कार्यहानि हो रही है, बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) यह आंकड़े गत वर्ष के तत्संवादी अवधि के आंकड़ों की तुलना में कैसे हैं ?

(ग) गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष इन औद्योगिक विवादों के कारण कितने मनुष्य-दिवसों की हानि हुई ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) से (ग)। सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी।

डा० राम सुभग सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं सूचना एकत्रित करने में कितना समय लगेगा ?

श्री वी० वी० गिरि : अधिक से अधिक तीन सप्ताह।

श्री के० के० बसु : क्या हम इस सत्र के अन्त तक सूचना प्राप्त करने की आशा करें ?

श्री वी० वी० गिरि : निश्चय ही।

अध्यक्ष महोदय : यदि सत्र तीन सप्ताह से पहले समाप्त न हो जाये।

श्री के० के० बसु : कौन कह सकता है—वह बढ़ाया भी जा सकता है।

भूमि सेनायें

*१७८. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार भूमि सेनाओं को बन्द करने की प्रस्थापना करती है ?

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार को ज्ञात है कि दो सप्ताह पहले इस सम्बन्ध में एक प्रेस रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी कि सरकार भूमि सेना को बन्द कर देने का विचार कर रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे खेद है कि प्रेस सूचना गलत है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि कितने एकड़ भूमि इस भूमि सेना द्वारा कृषि योग्य बनाई गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह संस्था हाल ही में प्रारम्भ की गई है, और इसे अपनी कार्यकुशलता, एकड़ों में, दिखाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है। कोई आधे दर्जन राज्यों में भूमि सेनायें संगठित की गई हैं ; और कुछ स्थानों पर उस ने नालियों की सफ़ाई की है, सड़कें बनाई हैं, वृक्ष रोपे हैं, घास उखाड़ी है और इसी प्रकार के अन्य कार्य किये हैं जिन से कृषि उत्पादन की अवस्था में सुधार हुआ है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं उन राज्यों के नाम ज्ञात कर सकता हूं जिन में अभी तक यह भूमि सेनायें प्रारम्भ की जा चुकी हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : कई राज्य हैं, जैसे दिल्ली, उड़ीसा, आसाम, भोपाल, विन्ध्य प्रदेश, बम्बई और पश्चिमी बंगाल।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं अभी बताये गये राज्यों की भूमि सेनाओं में के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकता हूं ?

डा० पी० एस० देशमुख : सम्पूर्ण संख्या १२,००० से १५,००० तक होगी।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि कौनसी संस्था इस भूमि सेना को नियंत्रित करती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इन भूमि सेनाओं के पथ-प्रदर्शन के लिए एक संविधान बनाया गया है। विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों द्वारा उस में भाग लिये जाने की प्रत्याशा है। इस में अधिकारीगण, असरकारी व्यक्ति, कालिजों के विद्यार्थी विशेषतया कृषि कालिजों के विद्यार्थी, जन सेवक तथा इसी प्रकार के व्यक्ति हैं। समस्त दल को दो भागों में बांटा गया है : नियमित तथा सहायक, और इनके कर्तव्यों तथा कृत्यों को स्पष्ट रूप से निश्चित कर दिया गया है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस भूमि सेना पर अब तक कितना धन व्यय हो चुका है ?

डा० पी० एस० देशमुख : कुछ भी नहीं।

चीनी की स्थिति

*१७९. **श्री एस० सी० सिंघल :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** भारत में इस समय की चीनी की स्थिति बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार की अधिकांश चीनी मिलों ने किसानों से गत वर्ष खरीदे गन्ने का पूरा मूल्य अभी तक नहीं दिया है ?

(ग) यदि ऐसा है, उनको किसानों का कितना देना है ?

खाद्य मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) इस समय देश में जितनी चीनी उपलब्ध है वह देश की आन्तरिक मांग से तीन लाख टन अधिक है।

(ख) जी हां।

(ग) ३१ अक्तूबर, १९५२ को उत्तर प्रदेश में गन्ने के मूल्य की बकाया कोई ४ १।२ करोड़ थी, और बिहार में कोई तीन लाख थी।

श्री एस० सी० सिंघल : इस रुपये को दिलवाने का सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट कार्यवाही कर रही है और जहां तक हो सकता है सैन्ट्रल गवर्नमेंट भी उसमें इमदाद (सहायता) दे सकती है।

श्री एस० सी० सिंघल : एक्सेस (अतिरेक) चीनी को निकालने के लिए सरकार ने क्या क़दम उठाया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : एक्सपोर्ट (निर्यात) करने की कोशिश कर रहे हैं।

एस० सी० सिंघल : जो प्राईसेज़ (मूल्य) देश में हैं उन प्राईसेज़ पर क्या एक्सपोर्ट होना मुमकिन है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : बाहर भेजने की कोशिश की जा रही है और कुछ ज़रूर बाहर भेजेंगे।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं इस वर्ष के लिए नियत की गई गन्ने की क़ीमत जान सकता हूं ?

श्री किदवई : कोई कीमत नियत नहीं की गई है, क्योंकि अब खपत से ज्यादा चीनी बनाई जा रही है। अतः अब यदि चीनी निर्माताओं में परस्पर प्रतियोगिता हो तो कदाचित उपभोक्ताओं को चीनी सस्ते मूल्य पर मिलेगी।

श्री एल० एन० मिश्र: श्रीमान्, मैंने पूछा था कि क्या गन्ने की कोई प्रतिमन क़ीमत निश्चित कर दी गई है।

श्री किदवई: मिल द्वार पर १ रु० ५ आने और बाहर एक रु० ३ आने।

डा० राम सुभग सिंह: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि गन्ने की क़ीमत में कमी क्यों की गई?

श्री किदवई: क़ीमतें इसलिये कम की गई थीं क्योंकि वह समानुपातिक रूप से बहुत अधिक थीं। जब कि कोई किसान अनाज जैसी कोई खाद्य फ़स्ल पैदा करता है तो उसे कम मूल्य मिलता है। इसी कारण गन्ने की कृषि का क्षेत्रफल अनावश्यक रूप से बढ़ता जा रहा था। परिणाम यह हुआ कि इस वर्ष इतना गन्ना पैदा हुआ कि लोगों को उसे जला देना पड़ा। अतः उत्तर देश राज्य सरकार ने विशेषतया और बिहार राज्य सरकार ने गन्ना उगाने वालों को अधिक से अधिक गन्ना पेरने को प्रोत्साहित किया। इसके अतिरिक्त चीनी की क़ीमत इतनी अधिक थी कि हम कुछ भी चीनी देश के बाहर नहीं भेज सके। अतः यह आवश्यक समझा गया कि गन्ने की क़ीमतें कम कर दी जायें।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: क्या सरकार को विदित है कि चीनी के मूल्यों में कमी किए जाने के फलस्वरूप फैक्टरियों में पड़े गत वर्ष के स्टाक की तुलना में चीनी के मूल्यों में बहुत अधिक असमानता पैदा हो गई है? मैं ज्ञात कर सकती हूं कि इस कठिनाई का निराकरण करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने की परिकल्पना करती है?

श्री किदवई: जैसा मैंने निवेदन किया, क़ीमतों को कम करके अगले वर्ष कुछ चीनी निर्यात करना संभव हो सकेगा। हम ने पहले ही निर्माताओं को सूचित कर दिया है कि यदि वह नये उत्पादन में से चीनी निर्यात करना चाहते हैं, और क्योंकि अभी नये उत्पादन को बाज़ार में आने में काफ़ी समय लगेगा, तो वर्तमान स्टाक में से चीनी प्रतिस्थापन के आधार पर निर्यात के लिए दी जा सकती है।

मैं आशा करता हूं कि अगले वर्ष क़ीमतें इतनी कम होंगी कि हम कम से कम दो तीन लाख टन चीनी निर्यात करने में सफल होंगे। हम कई देशों से बातचीत कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि इस वर्ष के अंत तक हम काफ़ी अधिक मात्रा निर्यात करने में सफल होंगे।

"अधिक अन्न उपजाओ" जांच समिति की रिपोर्ट

*१८२. **श्री एस० एन० दास:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या अधिक अन्न उपजाओ जांच समिति की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो समिति की किन सिफारिशों को स्वीकार किया गया है;

(ग) सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है; तथा

(घ) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) से (घ)। समिति की रिपोर्ट केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के विचाराधीन है। जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है,

उनसे उन सिफारिशों को, जो कि पूर्णतया उनके क्षेत्राधिकार में हैं, कार्यान्वित करने की प्रार्थना की जा चुकी है, और जहां तक केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित सिफारिशों का प्रश्न है, शीघ्र ही कोई अंतिम विनिश्चय किये जाने की प्रत्याशा है। विभिन्न सिफारिशों सम्बन्धी नवीनतम स्थिति को बतलाने वाला एक विवरण सभा पटल हर रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४४**]

श्री एस० एन० दास: टिप्पणी से यह विदित होता है कि राज्य सरकारों से अपनी टिप्पणियां भेजने की प्रार्थना की गई थी। मैं ज्ञात कर सकता हूं कि किस तारीख तक उन से टिप्पणियां भेज देने की प्रार्थना की गई थी?

डा० पी० एस० देशमुख: मैं तिथि बतलाने में असमर्थ हूं।

श्री एस० एन० दास: इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि उक्त टिप्पणी में यह बतलाया गया है कि सरकार ने सिफारिश संख्या ३७ को स्वीकार कर लिया है, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में कोई विशेष विभाग बनाया गया है, अथवा इस सम्बन्ध में पहले से ही कार्य कर रहा है?

डा० पी० एस० दशमुख: उक्त विभाग बनाया जा रहा है: हमें वित्तीय स्वीकृति लेनी होगी।

श्री एस० एन० दास: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि समिति ने यह सिफारिश की है कि सरकार खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम क़ीमत दिये जाने की प्रत्याभूति देने के सिद्धान्त की घोषणा करेंगे, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार आगामी वर्ष के लिए समाहार मूल्यों को निश्चय करने से पूर्व कोई निर्णय कर लेगी?

डा० पी० एस० दशमुख: यह मामला वित्त का है। बातचीत हो रही है। जो परिणाम निकलेंगे उसी पर यह निर्भर होगा। जितनी शीघ्रता करनी संभव हो रही है उतनी की जा रही है।

श्री टी० एन० सिंह: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि समिति द्वारा विस्तार सेवा योजना के सम्बन्ध में की गई सिफारिश के विषय में क्या कार्यवाही कर रही है और इसका सामुदायिक परियोजना योजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

डा० पी० एस० देशमुख: विस्तार सेवा की स्थापना के सम्बन्ध में सक्रिय रूप से कार्यवाही की जा रही है और उक्त सेवा की स्थापना में अधिक समय लगने की संभावना नहीं है।

श्री वीरस्वामी: मैं गत वर्ष अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन पर व्यय की गई कुल धन राशि ज्ञात कर सकता हूं, और क्या उपज में हुई वृद्धि से यह व्यय न्याय-संगत ठहरता है?

डा० पी० एस० देशमुख: अधिक अन्न उपजाओ समिति के अनुसार ५२ प्रतिशत तक व्यय न्यायसंगत ठहरता है समिति की जिन सिफारिशों को हम कार्यान्वित करना चाहते हैं उन के अनुसार हम आशा करते हैं कि प्रतिशतता बढ़ जायेगी।

श्री नानादास: मैं ज्ञात कर सकता हूं, श्रीमान् कि क्या मद्रास सरकार ने अधिक अन्न उपजाओ योजना को छोड़ दिया हैं?

डा० पी० एस० देशमुख: जी नहीं, श्रीमान्। किसी सरकार ने उसे नहीं छोड़ा है।

श्री सी० आर० चौधरी: अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के अन्तर्गत उगाये गये खाद्यान्न की वास्तविक परिमात्रा क्या है

ओर प्रति टन वास्तविक परिव्यय क्या हुआ है ?

डा० पी० एस० देशमुख: मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

अलीपुर द्वार रेलवे स्टेशन

*१८३. **पंडित मनीश्वर दत्त उपाध्याय:** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि अलीपुर द्वार रेलवे स्टेशन बनाने के लिए वर्तमान स्थान से कोई एक मील दूर एक स्थान निश्चित किया गया था तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ भी हो गया था ?

(ख) जंकशन स्टेशन को हटाने से पहले क्या निर्माण कार्य किया गया था तथा कितना कार्य पूरा हो चुका था ?

(ग) उक्त निर्माण कर्य पर कितना व्यय हुआ था ?

(घ) मूल स्थान से हटाये जाने के क्या कारण थे ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) अलीपुर द्वार जंकशन के लिए अन्त में निश्चित किये गये स्थान से कुछ दूर एक अन्य स्थान चुना गया था । स्थान परिवर्तन करने से तूर्व एक अस्थायी आस्थान डिपो (बेस डिपो) और रेलवे यार्ड मूल स्थान पर पहले ही बन चुके थे ।

(ख) निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों, कार्यालयों तथा भंडार गृहों के लिए कुछ अर्ध-स्थायी क्वार्टरों तथा निसन झौंपड़ियों बनाई जा चुकी थीं और भंडार गृहों को माल ले जाने के लिए रेलवे की साईडिंगें भी बिछा दी गई थीं ।

(ग) इस सब निर्माण कार्य का परिव्यय कोई २.३७ लाख रुपये हुआ था । इन सभी क्वार्टरों इत्यादि को आसाम रेलवे प्रशासन ने अपनी अलीपुर द्वार विस्तार योजना के लिए बहुत लाभदायक पाया ।

(घ) स्टेशन पर बाद को किये गये विकास कार्य को दृष्टि में रखते हुए खुले रेल पथ प्रशासन ने दूसरे स्थान को अधिक सुविधाजनक समझा ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: मैं ज्ञात कर सकता हूं, श्रीमान, कि क्या यह तथ्य है कि स्टेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में रेलवे को २·३७ लाख रुपये तथा भूमि की कीमत की हानि उठानी पड़ी ?

श्री एल० बी शास्त्री: जहां तक मुझे ज्ञात है, यह २·३७ लाख रुपये की रक़म क्वार्टरों को बनाने तथा रेलवे की बग़ली लाइनें बिछानें के लिए मिट्टी के पुश्ते बनाने में व्यय हुई थी । हमें कोई भीं हानि नहीं हुई है क्योंकि इन निर्माण कार्यों को अब अलीपुर द्वार जंकशन के अग्रेतर विस्तार में लाया जा रहा है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि २·३७ लाख रुपये की लागत से १९ क्वार्टर और ५ बग़ली लाईनें बनाई गई थीं और बाद में उन को छोड़ देना पड़ा था ?

श्री एल० श्री० शास्त्री: जी नहीं, उन को छोड़ा नहीं गया है । जैसे मैं ने निवेदन किया, इन को अलीपुर द्वार जंकशन के कर्मचारियों के क्वार्टरों की भांति काम में लाया जा रहा है ।

रेलवे ईंधन जांच समिति की रिपोर्ट

*१८४. **श्री एस० सी० सामन्त:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) भारतीय रेलवेज में काम में आने वाले विभिन्न प्रकारों के कोयले की

प्रदाय, वितरण, रक्षित भंडारों तथा खपत के सम्बन्ध में खोज करने वाली विशेषज्ञ समिति को कब नियुक्त किया गया था;

(ख) समिति के सदस्य कौन कौन थे;

(ग) समिति के निर्देश पद क्या हैं;

(घ) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ङ) यदि हां, तो उसकी सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; तथा

(च) यदि नहीं की गई हैं, तो कब तक रिपोर्ट के प्रस्तुत किये जाने की प्रत्याशा है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : २४ अक्तूबर, १९५१ को।

(ख) (१) श्री डी० सी० ड्राईवर, सभापति, (२) श्री आर० ए० मैसी, सदस्य, (३) श्री ए० बी० गुहा, सदस्य, (४) डा० जे० डब्ल्यू विह्टकर, सदस्य (५) श्री एल० एस० कारोग्रेट, सदस्य (२१-१०-५२ से), (६) श्री एम० वी० कमलानी, सदस्य सचिव।

(ग) रेलवे में कोयले की प्रदाय, खपत तथा रक्षित भंडारों की जांच करना तथा कोयले के ईंधन के रूप में काम में लाये जाने में मितव्ययता करने के सम्बन्ध में सिफारिश करना। रेलवे में कोयले की खपत सम्बन्धी सभी पहलुओं को अपने जांच क्षेत्राधिकार में लाने का भी समिति को अधिकार दिया गया था।

(घ) संख्या समिति ने अभी तक अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, और इस समय के लक्षणों से ज्ञात होता है कि वह अगले वर्ष तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की स्थिति में होगी वैसे तो समिति ने एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस अन्तरिम रिपोर्ट में की गई परीक्षात्मक सिफारिशें बहुत ही विस्तृत प्रकार की हैं। इन सिफारिशों के सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं किया जा सकता है क्योंकि समिति ने सूचित किया है कि इनके अन्तिम रिपोर्ट में संपरिवर्धित हो जाने की सभावना है।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार के इंधन अनुसंधान विद्यालय से इस समिति की नियुक्ति से पूर्व परामर्श लिया गया था और क्या सरकार ने समिति के निर्देश पदों में मितव्ययता करने के प्रश्न को भी सम्मिलित किया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : उससे परामर्श किया गया था अथवा नहीं इसकी मुझे सूचना नहीं है, परन्तु यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं यह सूचना प्राप्त कर सकता हूं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं कोयले की उन किस्मों को ज्ञात कर सकता हूं जो हमारी रेलवेज में काम में आती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न एक समिति के नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री एस० सी० सामन्त : ईंधनों के सम्बन्ध में मैं काम में लाये जाने वाले कोयले की किस्में ज्ञात करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह तो समिति के जांच के क्षेत्र के विस्तार में जाना होगा। हमें तो समिति की रिपोर्ट के सामान्य पहलू पर विचार करना है।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या रेलवे कोयला खदानों से निकाला गया कोयला ही पूर्णतया काम में लाया जाता है अथवा अन्य कोयला खदानों

से भी कोयला लिया जाता है, यदि लिया जाता है, तो किस किस्म का कोयला लिया जाता है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जहां तक मुझे विदित है, कोयला रेलवे कोयला खदानों से तथा अन्य कोयला खदानों से भी लिया जाता है, — मेरा आशय यह है कि निजी मालिक भी हैं। परन्तु जहां तक कोयले की उत्तमता का प्रश्न है, मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्य को अभी इसी समय कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकता हूं ।

श्री एस० सी० सामन्त : समिति की अन्तरिम रिपोर्ट में क्या सरकार ने कोयले के सौदे में कोई तब्दीली पाई है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मैं माननीय सदस्य से समिति की अन्तरिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने की प्रार्थना करूंगा। हमने समिति को आगामी ३१ जनवरी तक का अग्रेतर समय और दिया है। जब रिपोर्ट प्राप्त होगी तब हम कोई अन्तिम निर्णय करने की स्थिति में होंगे।

श्री के० के० बसु : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या रेलवे कोयला खदानों का कार्यकरण तथा प्रबन्ध व्यवस्था तथा सेवा की शर्तें तथा अवस्थायें भी समिति के निर्देश पदों में सम्मिलित हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जहां तक मुझे ज्ञात है, नहीं ।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार इनको सम्मिलित कर लेने की प्रस्थापना करती है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। यह तो कार्य करने के लिये सुझाव है।

श्री के० के० बसु : श्रीमान्, यह आवश्यक बात है।

अध्यक्ष महोदय : यह बात आवश्यक हो सकती है। इसके अतिरिक्त और भी कितनी आवश्यक बातें हो सकती हैं। सभी को एक प्रश्न में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।

गव्य क्षय

*१८५. **श्री बी० पी० नायर** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने भारत में गव्य क्षय के सम्बन्ध में कोई जांच या पर्यालोकन किया है या कोई आंकड़े जमा किये हैं ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्षय रोग से पीड़ित ढ़ोरों की अनुमानित संख्या क्या है ?

(ग) क्या सरकार ने ढ़ोरों से मनुष्यों में, और विशेषतया बच्चों में, क्षय रोग फैलने को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० ऐस० देशमुख) : (क) जी हां, ढ़ोरों में क्षय रोग के आपात की जांच करने के हेतु भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसन्धान विद्यालय में सन् १९३८ में एक योजना प्रारम्भ की थी। इस योजना के अन्तर्गत बड़े पैमाने के दो क्षेत्र पर्यालोकन, एक पंजाब में (लाहौर के आसपास) तथा दूसरा बम्बई (अहमदाबाद के आस पास), किये गये थे। और तीसरा मद्रास में अब किया जा रहा है। क्योंकि इन पर्यालोकनों से बहुमूल्य परिणाम प्राप्त हुए थे परिषद ने बिहार में पटना के आस पास नमतराई वाले भागों की जांच करने के लिये एक बड़े पैमाने के पर्यालोकन योजना की स्वीकृति दी है। इन योजनाओं के साथ साथ, विभिन्न राज्यों

में रोग अन्वेषण अधिकारियों ने इस रोग के आपात के सम्बन्ध में जांच करने के हेतु पर्यालोकन किये हैं।

(ख) परीक्षित ढोरों और भैंसों में इस रोग का आपात इस प्रकार है :

(१) लाहौर और आस पास का क्षेत्र (पंजाब) : १७ प्रतिशत ढोरों में और २५प्रतिशत भैसों में।

(२) अहमदाबाद और आस पास का क्षेत्र (बम्बई) : ढोर प्रायः १३ प्रतिशत और भैंस १८ प्रतिशत।

मद्रास और बिहार के परिणाम अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) इस धारणा के समर्थन में, कि ढोरों से मनुष्यों में और विशेषतया बालकों में क्षयरोग फैल रहा है, कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। यह कदाचित हमारी पीने से पहले दूध को उबालने की आदत से होता है। इन बातों से इस धारणा की पुष्टि होती है :

(१) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की एक योजना के अनुसार बहुत से प्रमुख भारतीय नगरों और कुछ सरकारी और सैनिक डेरी फार्मों से प्राप्त बहुत अधिक संख्या में दूध के नमूनों का विश्लेषण किया गया था और उन को क्षय रोग के कीटाणुओं से मुक्त पाया गया।

(२) भारतीय ढोरों के अधिकार खुले वायुमंडल में रहने के कारण भारतीय ढ़ोरों के पश्चिमी देशों के दुधारू ढ़ोरो की तुलना में क्षय रोग का आपात तुलनात्मक कम है।

(३) केवल यही बात ही कि कोई पशु क्षय रोग सम्बन्धी परीक्षा में निश्चयात्मक प्रतिक्रिया दिखाता है, निश्चित रूप से यहसूचित नहीं करती है कि वक्त पशु को थनों का क्षय रोग है और वह अपने दूध में क्षय रोग के कीटाणुओ को विलुप्त कर रहा है।

इस के अतिरिक्त वह सभी ढ़ोर, जो सरकारी फार्मों तथा संस्थाओं में क्षय रोग सम्बन्धी परीक्षा में निश्चयात्मक प्रतिक्रिया दिखाते हैं, अलग रखे जाते है और उन को अन्य ढोंरों से मिलने जुलने नहीं दिया जाता है। ग्राम्य परिस्थितियों में ऐसा करना संभव नहीं है और क्षय रोग की प्रतिक्रिया दिखाने वाले ढोंरों की व्यवस्था करना, और विशेषकर ऐसी अवस्था में जब कि अनेकों राज्यों ने वध-निषेध की नीति अपनाई हुई है, देश के सामने एक बड़ी समस्या है।

श्री वी० पी० नायर : समस्त देश में क्षय रोग से पीड़ित ढोरों की प्रतिशतता बताना क्या सरकार के लिए संभव होगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं श्रीमान। बिना पूर्णरूपेण परिमापन किये ऐसा करना संभव नहीं होगा।

श्री वी० पी० नायर : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि दिए गये आंकड़े वास्तविक क्षय रोग सम्बन्धी परीक्षा पर आधारित हैं अथवा केवल मात्र अनुमान ही हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि परीक्षाएं की जाती हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन का आशय यह है कि क्या यह आंकड़े सम्पूर्ण परिमापन पर आधारित हैं अथवा ढोरों के केवल-मात्र परीक्षात्मक परिमापन पर। यही प्रश्न है न ?

श्री वी० पी० नायर : जी हां, श्रीमान।

डा० पी० एस० देशमुख : केवलमात्र परीक्षात्मक परिमापन पर।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह भी अनुमान मात्र है ?

अध्यक्ष महोदय : अनुमान मात्र नही हैं। वह कहते हैं "परीक्षात्मक परिमापन पर"।

श्री वी० पी० नायर : ढोरों में किस प्रकार का क्षयरोग साधारणतया फैला हुआ है। क्या यह थनों का क्षयरोग है।

डा० पी० एस० देशमुख : यह मैं नहीं बता सकता, मुझे पूर्व सूचना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से हम विशिष्ट विस्तार में जा रहे हैं।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, मैंने कुछ वैज्ञानिक आंकड़ों के सम्बध में प्रश्न पूछा है और मुझे इसी आधार पर और अधिक प्रश्न पूछने का अधिकार हैं।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु मंत्री महोदय का सभी बातों को जानना आवश्यक नहीं है।

श्री वी० पी० नायर उठे—

अध्यक्ष महोदय : इस के सम्बन्ध में तर्क वितर्क नही होने चाहिएं।

डा० जयसूर्य : सरकार पशुओं में क्षयरोग के फैलने को रोकने की क्या प्रस्थापना करती है ? क्या केवल मात्र रोगी ढ़ोरों को अलग थलग रख कर।

डा० पी० एस० देशमुख : यह भी श्रीमान, एक तरकीब है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से अब हमें अगला प्रश्न लेना चाहिए।

क्षय-विरोधी औषधियां

*१८६. **श्री वी० पी० नायर** : (क) क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि क्या सरकार ने जनता को इस बात की सूचना देने के लिए, कि क्षय-विरोधी औषधियां—आइसोनिकोटिनिक एसिड, हाइड्रोज़ाइड तथा आइसो-निकोटिनिक एसिड के अन्य हाइड्रेज़ीन उत्पाद-मुक्त कर दी गई है, कोई प्रेस विज्ञप्ति निकाली है ?

(२) हम प्रेस विज्ञप्ति के निकाले जाने से पूर्व, क्या इन औषधियों के प्रभाव का परीक्षण क्षय रोग के रोगियों पर कर लिया गया है, और यदि हाँ, तो कितने रोगियों पर तथा किन अस्पतालों में ?

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में वर्णित परीक्षणों के क्या परिणाम निकले हैं ?

(घ) इस समय इस औषधि का मूल्य क्या है और कितने मूल्य की यह औषधि इस से पूर्व ही भारत में आयात की जा चुकी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) :

(क) जी हाँ।

(ख) और (ग). यह औषधि रुजालयक परीक्षणों के लिए विभिन्न क्षयरोग अस्पतालों तथा आरोग्यालयों को वितरित की गई थी, परन्तु बाद को यह निश्चित किया गया कि परीक्षणों के परिणामों की प्रतीक्षा किए बिना उसे कुछ प्रतिबन्धों के

सहित भारत में सामान्य विक्रय के लिए मुक्त कर दिया गया, क्योंकि संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य विदेशी देशों में उसे परीक्षणों के बाद सामान्य विक्रय के लिए मुक्त कर दिया गया था और भारतीय चिकित्सा व्यवसायियों की ओर से इस के मुक्त किए जाने की अनुरोधपूर्वक मांग की गई थी । जो प्रतिबन्ध लगाये गए हैं वह यह हैं कि औषधि की शीशियों पर लगाए गये लेबिलों पर यह चेतावनी छाप दी जाये कि यह औषधि केवल चिकित्सकीय सुपरिवीक्षण में ही काम में लायी जाय और यह केवल पंजीबद्ध चिकित्सा-व्यवसायों को अथवा किसी पंजीबद्ध चिकित्सा व्यवसायी के नुस्खे पर ही बेची जाय । परीक्षण अभी किये जा रहे हैं, परन्तु अब तक जो रिपोर्टें मिली हैं उन से ज्ञात होता है कि यह औषधि क्षय रोग के निवारण में अमूल्य है क्योंकि इस से रोगी को लक्षणात्मक उपशमन होता है और इस से रोगी कुछ मामलों में, शल्यक्रिया किए जाने के योग्य हो जाते हैं जोकि अन्यथा करना संभव नहीं होता । एक विवरण जिस में उन अस्पतालों के नाम हैं जिन में परीक्षण किए जा रहे हैं, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४५**]

(घ) इस समय आयात की औषधि का मूल्य, ५० मिलीग्राम की १०० टिकियों का मूल्य ७ रुपये ८ आने से ८ रुपये ७ आने तक है । औषधि के आयात सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि प्रत्येक औषधि के पृथक् पृथक् आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

श्री वी० पी० नायर : प्रश्न के सम्बन्ध में दिए गए उत्तर को तथा इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए, सरकार ने यह स्वीकार किया है कि अनेकों व्यक्ति इस भयानक रोग से पीड़ित होते हैं, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार ने इस औषधि के बनाने के लिए कोई व्यवस्था की है अथवा क्या वह अन्य किन्हीं साथों को इस के बनाने में सहायता दे रही है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : सरकार औषधि नहीं बना रही है और न सरकार क्षयरोग से पीड़ित व्यक्तियों को यह औषधि प्रदाय करने की स्थिति में नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : क्षय रोग से पीड़ित व्यक्तियों को मुफ्त देने के लिए ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मुझे स्मरण है कि पिछली बार मैंने यह उत्तर दिया था कि कुछ निर्धन रोगियों को दी जाती है ।

श्री पुन्नूस : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि हमारे देश में बनाई जाने वाली औषधि हमारी आवश्यकताओं की कितने प्रतिशत होती है ?

अध्यक्ष महोदय : देश की सम्पूर्ण मांग कितनी है और भारत में उस का कितना प्रतिशत भाग बनाया जाता है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : इसे २८ अस्पतालों में वितरित किया गया है और परीक्षण अभी पूर्ण नहीं हुए हैं । जब तक कि हमें सारे परिणाम ज्ञात न हो जायें हम ब्यौरा देने में असमर्थ हैं ।

राजकुमारी अमृत कौर : यह एक बिल्कुल ही नई औषधि है । यह विदेशों से हाल ही में बाजार में आई है । जहां तक इस औषधि के बनाने का प्रश्न है सरकार को वास्तव में इसे तैयार करने की व्यवस्था करने का कोई समय ही नहीं मिला है । जो व्यक्ति भी इसे

बनाने के लिए आवेदन करते हैं सरकार उन को प्रोत्साहन दे रही है। रोगियों के लिए कितनी औषधि की आवश्यकता पड़ेगी यह कहना सरकार के लिए असंभव है।

चीन से चावल का आयात

*१८७. **कुमारी आनी मस्करीन :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करगे कि सन् १९५२ में चीन से कितना चावल आयात किया जाने को है ?

(ख) मूल्य सम्बन्धी शर्तें क्या हैं ?

(ग) क्या इस चावल को भारत लाने के लिए कोई विशेष प्रबन्ध किये गये हैं ?

(घ) इस चावल का कितना प्रतिशत भाग कोचीन पत्तन को भेज दिया गया है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) १,५०,००० मीट्रिक टन।

(ख) यह नक़द मूल्य दे कर लिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) चीन से अब तक आयात किये गये ९९,३०० लौंग टन चावल में से क़रीब १८,७०० टन, जो कि समस्त प्राप्त हुए चावल का १८·८ प्रतिशत है, कोचीन के पत्तन पर आया है।

कुमारी आनी मस्करीन : मैं ज्ञात कर सकती हूं कि क्या चीन से लिया चावल अन्य कहीं से लिये गये चावल से सस्ता पड़ता है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : कदापि नहीं, श्रीमान।

कुमारी आनी मस्करीन : मैं ज्ञात कर सकती हूं श्रीमान् कि जो चावल आयात किया जा रहा है वह साबित है या टूटा हुआ है ;

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : वह टूटा चावल नहीं है। उस की तीन क़िस्में हैं, नम्बर १, २ और ३, उत्तम, अतिउत्तम और मोटा चावल। तीनों किस्में ही आयात की जा रही हैं।

कुमारी आनी मस्करीन : मैं ज्ञात कर सकती हूं कि क्या माननीय मंत्री सारे मोटे चावल को त्रावनकोर-कोचीन में ही समाप्त कर देना चाहते हैं ;

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं इस बात को अस्वीकार करता हूं, श्रीमान्।

श्री के० सुब्रह्मण्यम् : चीन से आयात किया गया चावल उत्तमता में ब्रह्मा से आयात किये गये चावल की तुलना में कैसा है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : कभी कभी किस्म में अन्तर होता है।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : चीन के चावल का मूल्य ब्रह्मा के चावल की तुलना में कैसा है ?

श्रीएम० वी० कृष्णप्पा : वह किसी तरह भी सस्ता नहीं है।

श्री केलप्पन : मूल्यों की परस्पर तुलना क्या है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा कोई दूसरे से अधिक सस्ता नहीं है।

श्री वी० जी० देशपांडे : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि क्या चीन के चावल का रंग लाल है।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह लाल नहीं है।

सार्वजनिक नर्सिंग (परिषेवा)

*१८८. **श्री एस० एन० दास** : (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री विभिन्न राज्यों से दिल्ली स्थित परिषेवा महाविद्यालय (कालिज आफ़ नर्सिंग) में सार्वजनिक परिषेवा कार्य (नर्सिंग) का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए आने वाली परिषेविकाओं (नर्सों) की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) इस पाठ्यक्रम की विशेष बात क्या है ?

(ग) यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कितने दिनों तक चलेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) १५.

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिय परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४६**]

(ग) यह पाठ्यक्रम ११।२ मास का है। यह पाठ्यक्रम प्रशिक्षित सार्वजनिक लोक स्वास्थ्य परिषेविकाओं की मांग को, जिस के बढ़ने की प्रत्याशा है, पूरा करने के लिए प्रारम्भ किया गया है।

श्री एस० एन० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि इस का व्यय किस प्रकार पूरा होगा और इस को केन्द्रीय सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारें किस प्रकार वहन करेंगी ?

राजकुमारी अमृत कौर : श्रीमान् अभी विचार यह है कि पहले डेढ़ वर्ष का समस्त आवर्त्तक तथा अनावर्त्तक व्यय, यदि हम चाहें तो, फ़ोर्ड फ़ाउन्डेशन से वहन किया जायेगा, और दूसरे वर्ष के आवर्त्तक व्यय का शेष आधा भाग और तीसरे वर्ष से आगे के वर्षों का समस्त व्यय विभिन्न राज्य सरकारों को अपने द्वारा भेजे गये विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार आनुपातिक रूप से वहन करना होगा।

श्री एस० एन० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अविरल रहेगा अथवा यह एक थोड़े समय की योजना है ?

राजकुमारी अमृत कौर : यह अविरल रहेगा क्योंकि देश में लोक स्वास्थ्य परिषेविकाओं की आवश्यकता बहुत अधिक है।

श्री चट्टोपध्याय : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या परिषेविकाओं के चुनाव के लिए कोई मौखिक परीक्षा ली जाती है, और यदि हां, तो क्या परीक्षकगण पुरुष होते हैं अथवा महिलायें ?

राजकुमारी अमृत कौर : मुझे ज्ञात नहीं कि अभी तक कोई मौखिक परीक्षायें ली गई हैं अथवा नहीं। जहां तक मुझे ज्ञात है चुनाव राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और इस के पश्चात् यहां परिषेवा महाविद्यालय द्वारा उम्मेदवारों को स्वीकार कर लिया जाता है।

दिल्ली की राशन डिपोओं में खराब गेहूं और चावल का दिया जाना

*१८. **श्री ए० एन० विद्यालंकार**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस सामान्य शिकायत की ओर, कि दिल्ली के राशन डिपोओं को साधारणतया जो गेहूं, आटा और चावल दिया जाता है वह अच्छे प्रकार का नहीं होता है, दिलाया गया है;

(ख) क्या इस शिकायत की सावधानी से जांच की गई है और वास्तविक तथ्य ज्ञात किये गये हैं;

(ग) क्या यह तथ्य है कि दिल्ली की राशन दुकानों को दिया गया विदेशी गेहूं बहुत ही निम्न कोटि का है और उस में कम पोषक तत्व हैं; तथा

(घ) इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) से (घ) . कभी कभी ऐसी शिकायतें हुई हैं, और उन की जांच की गई है । तथ्य यह है कि राशन डिपोओं को दिये गये गेहूं या गेहूं के आटे या चावल की उत्तमता में मूलत: कोई खराबी नहीं थी; परन्तु उपभोक्ताओं ने देशी अनाज के प्रति झुकाव प्रकट किया है । मुख्यतया शिकायतें उस समय दिये जा रहे चावल के स्वाद के कारण हुई थीं और इसलिये हुई थीं क्योंकि गेंहूं की शकल उपभोक्ताओं को कम रुचिकर थी ।

दिये गये खाद्यान्नों की किस्म की अग्रेतर जांच करने के लिए अनाज छानने और साफ करने के प्रबन्ध किये गये हैं; और राशन की दुकानों को माल देने से पहले उन की किस्म की जांच करने के लिए राशन देने वाले डिपोओं पर घोषित अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या यह तथ्य है कि बहुत सारा सड़ा तथा कीड़े लगा (घुना) अनाज दिल्ली की राशन दुकानों में भर दिया गया था ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : वह कीड़ों वाला (घुना) अनाज नहीं था । वह आयात किया हुआ गेहूं था । आयात किया हुआ गेंहूं देशी गेहूं से सदैव ही बुरा दिखाई देता है । १५ जून से पूर्व, हम दिल्ली निवासियों को देसी गेंहूं दे रहे थे । फिर हमने आयात किया गया गेहूं देना प्रारम्भ किया, इस गेहूं की शक्ल में देसी गेहूं से बहुत अधिक भिन्न थी। अत: जनता द्वारा कुछ असंतोष प्रकट किया गया । हम ने इस शिकायत की तुरन्त ही जांच की ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या वह बुरा दिखाई ही देता था या वह वास्तव में बुरा था ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : वह केवल रंग में बुरा मालूम होता था ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : अधिकांश विदेशी अनाज दिल्ली की राशन दुकानों रंग में क्यों भर दिया गया ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जी नहीं, यह भरा नहीं गया है । विदेशी गेहूं दिसम्बर के अन्त तक समाप्त हो जायेगा । जनवरी के प्रारम्भ से हमें दिल्ली में देने के लिए देसी गेहूं मिलने वाला हो रहा है । माननीय सदस्य को यह ज्ञात होना चाहिये कि हम भी दिल्ली में रह रहे हैं । यह बात न केवल सरकार के ध्यान में ही आती है अपितु यदि कोई यहां हो जायेगी तो उस का अनुभव में भी करना होगा ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश को इस सम्बन्ध में क्या सहायता दी गई और क्या सहायता दी जाने वाली है ?

खाद्य तथा कृषिमंत्री (श्री किदवई) : आप किस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश को सहायता देने की बात कर रहे हैं ?

खाद्य फस्लों की हानि

*१९०. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) हाल ही में आई बाढ़ों तथा अन्य कारणों से भारत के विभिन्न भागों (राज्य-वार) को पहुंची हानि का विस्तार;

(ख) (१) फस्लों तथा (२) कृषि भूमि को पहुंची हानि का विस्तार; तथा

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यक्षत: दी गई या प्रस्तावित सहायता का परिमाण ?

कृषिमंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख) । अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिय परिशिष्ठ १, अनुबन्ध संख्या ४७.**]

(ग) आसाम और मनीपुर की सरकारों की प्रार्थना पर आसाम को १५००० मन चावल और मनीपुर को ४००० मन चावल प्रभावित व्यक्तियों में १५ रुपये प्रति मन की दर से वितरित करने के लिए रियायती दरों पर आवंटित किया गया था ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या राज्य सरकारों को सहायता के रूप में कोई अनुदान दिये गये थे ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं, श्रीमान् ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या राज्य सरकारों से केन्द्रीय सरकार को कोई सहायता दिये जाने की प्रार्थना प्राप्त हुई थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : आसाम सरकार ने हम से रियायती दरों पर कुछ चावल देने की प्रार्थना की थी और यह प्रार्थना पूरी की जा चुकी है ।

श्री टी० के० चौधरी : प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित अन्य कारणों के सम्बन्ध में क्या सरकार का ध्यान उस विचित्र रोग की ओर दिलाया गया है जो वर्दवान, मुर्शिदाबाद, दक्षिण २४ परगना तथा अन्य जिलों में धान की फसल में फैल गया है ? सरकार की इस सम्बन्ध में क्या रिपोर्ट है, यदि सरकार के पास कोई रिपोर्ट है तो ? यह रोग बहुत व्यापक रूप से फैला हुआ है और इस से फसल को अत्यधिक हानि पहुंची है ।

डा० पी० एस० देशमुख : यदि मेरे माननीय मित्र धानकीट का निर्देश कर रहे हैं, जिस के सम्बन्ध में विभिन्न स्थानों से रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, तो मैं सदन को सूचित कर दूं कि प्रत्येक मामले में बहुत ही शीघ्रता से कार्यवाही की गई थी और जो भी कीट नाशक औषधियां या उपकरण उपलब्ध थे, वह तुरन्त ही दे दिये गये थे ।

श्री के० के० बसु : रोगों को फैलने से रोकने के सम्बन्ध में किये गये प्रयासों से क्या सरकार संतुष्ट है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, श्रीमान् ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो सम्मति का विषय है ।

श्री टी० के० चौधरी : हमारा ध्यान इस प्रैस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया था कि बंगाल सरकार का कृषि अनुसंधान विभाग यह ज्ञात करने में असमर्थ रहा था कि वह रोग, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया था अथवा किसी प्रकार के कीड़ो से फैला था । क्या इस विषय के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई रिपोर्ट है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं बताने में असमर्थ हूं ।

कारवार–हुगली रेलवे लाइन

* १९१. **श्री आर० जी० दुबे** : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि बम्बई सरकार ने कारवार–हुगली रेलवे लाइन के बनाये जाने की सिफारिश की है ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि कर्नाटक व्यापार मंडल (चेम्बर आफ कामर्स) तथा अन्य सार्वजनिक संस्थायें इस लाइन के बनाये जाने की मांग कर रही हैं ?

(ग) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) जी हां।

(ग) उस क्षेत्र की यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कारवार में एक आउट एजेंसी खोली गई है और हुबली को कार्यरत रेलवे स्टेशन बनाया गया है। कोई अग्रेतर कार्यवाही करने से पूर्व सरकार कुछ समय तक उक्त आउट एजेंसी के कार्यकरण की जांच करना चाहेगी।

श्री आर० जी० दुबे : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि नई रेल लाइनें बनाने के सम्बन्ध में प्राथमिकता निर्धारित करने के लिये कौन से निर्णायक विचार होते हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : हमने कुछ सिद्धांत निश्चित किये थे जिनके आधार पर पहले ही प्राथमिकता दे दी गई थी। परन्तु नई पंचवर्षीय योजना के अनुसार हमें अपने सभी कार्यक्रम योजना आयोग के परामर्श से निश्चित करने होंगें। अब हमें उन रेल पथों को प्राथमिकता देनी होगी जिन्हें योजना आयोग आवश्यक समझता हो। यदि किसी नई खान को विकसित करना है अथवा कोई नई फैक्टरी खोली जाने को है, तो इन स्थानों के लिये पहले रेलवे लाइनों की व्यवस्था करनी होगी।

श्री आर० जी० दुबे : क्या यह तथ्य नहीं है कि हुबली जिले में इस समय जो व्यवस्था है वह उस क्षेत्र में बढ़ते हुए यातायात का भार उठाने में असमर्थ है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया, हमें उस आउट एजेंसी के कार्यकरण की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी होगी।

श्री पी० टी० चांको : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि जब नई लाइनें बिछाई जाएंगी तो क्या सरकार उन्हें बड़ी लाइनों के रूप में बिछायेगी ?

श्री एल० बी० शास्त्री : हमें बड़ी लाइन बिछानी है या मीटरगेज यह सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर है।

श्री बोगावत : कारवार-हुबली रेलवे लाइन की लम्बाई क्या है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : माननीय सदस्य को यह बात मुझसे अधिक उत्तमता से ज्ञात होनी चाहिये।

श्री बोगावत : मुझे पता नहीं है इसी लिये पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। श्री नानादास।

श्री नानादास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या नई रेलवे लाइनें केवल राज्य सरकारों की सिफारिशों पर ही बनाई जाती हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : निस्संदेह, राज्य सरकारों से परामर्श किया जाता है और यह भी सत्य है कि उनकी सम्मतियों का यथायोग्य सम्मान किया जाता है ।

श्री आर० जी० दुबे : क्या यह तथ्य नहीं है, यह क्षेत्र जिसे बम्बई–कर्नाटक कहते हैं, सामाजिक तथा आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है और योजना आयोग की पिछड़े हुए भागों को विकसित करने की घोषित नीति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस प्रस्थापना पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह मामला योजना आयोग द्वारा निश्चित किया जाता है । इस विषय में तर्क करने से कोई लाभ नहीं है । अगला प्रश्न ।

स्थानीय वित्त जांच समिति की रिपोर्ट

*१९४. **श्री जजवाड़े :** (क) क्या स्वास्थ्य मंत्री स्थानीय वित्त जांच समिति के कार्य-करण में लगे समय तथा उसमें हुए व्यय को बतलाने की कृपा करेंगी ?

(ख) उसकी रिपोर्ट के प्रकाशन में कितना व्यय हुआ है ?

(ग) सरकार ने समिति की सिफारशों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है, और यदि नहीं की है, तो क्यों नहीं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) समिति ने १४-४-१९४९ से ३१-१२-१९५० तक कार्य किया और उस पर १,४२,३४५ रुपये व्यय हुए।

(ख) व्यय रुपया ७४५९—११ आने हुआ ।

(ग) स्थानीय वित्त समिति ने १४९ सिफारिशें की थीं और प्रायः सभी सिफारिशों पर राज्य सरकारों को कार्यवाही करनी है, क्योंकि संविधान में स्थानीय स्वशासन राज्य-सूची का विषय है । अतः समिति की रिपोर्ट विचार करने तथा अपेक्षित कार्यवाही करने के हेतु राज्य सरकारों को परिचालित की गई थी । अधिकांश राज्यों ने यह उत्तर दिया है कि मामले पर विचार किया जा रहा है, परन्तु कुछ राज्य सरकारों ने कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और कुछ को अस्वीकृत कर दिया है । स्थानीय परिस्थितियों के भिन्न भिन्न होने के कारण विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाहियों के भी विभिन्न होने की संभावना है ।

जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है, मुख्य सिफारिशें यह हैं कि रेलवेज़ समुद्र अथवा वायु द्वारा ले जाये जाने वाले माल अथवा यात्रियों पर लगने वाले सीमाकर को जो इस समय संविधान में संघ सूची में है, अब राज्य सूची में स्थानान्तरित कर दिया जाय, और साथ ही यह भी सिफारिश है कि जब तक केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति स्थानीय करारोपण से उन्मुक्त, तो सरकार को इन करों के बदले में स्थानीय निकायों को कुछ अंश दान देना चाहिये । जहां तक इन सीमा करों का सम्बन्ध है, संविधान के अनुच्छेद २६९ के अन्तर्गत यह कर केन्द्रीय सरकार द्वारा आरोपित तथा वसूल किये जायेंगे पर इनको राज्यों को सौंप देना होगा । इस स्थिति को बदलना आवश्यक नहीं समझा गया है । इन करों को आरोपित करने के हेतु कोई केन्द्रीय विधान बनाने का प्रश्न इस समय वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है ।

हम करों के बदले में स्थानीय निकायों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले भुगतान के सम्बन्ध में समस्त अपेक्षित ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है और कोई निर्णय करने में कुछ समय अवश्य लगेगा ।

श्री जजवाड़े : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सीमाकरों सम्बन्धी समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व सम्पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार पर है ?

राजकुमारी अमृत कौर : मैंने अपने उत्तर में इस का बहुत स्पष्ट उत्तर दे दिया है ।

श्री जजवाड़े : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि बिहार सरकार की वैद्यनाथ धाम के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान के सम्बन्ध में इस कर को आरोपित करने की सिफारिश का केन्द्रीय सरकार के समक्ष निलम्बित है ?

राजकुमारी अमृत कौर : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री जजवाड़े : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या बिहार राज्य के संसद् सदस्यों ने माननीय मंत्री से कोई अभ्यावेदन किया है, और क्या उस पर कोई कार्यवाही की गई है ?

राजकुमारी अमृत कौर : मैं पहले ही निवेदन कर चुकी हूं कि केवलमात्र स्थानीय निकायों ने प्रतिनिधान किया है । केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित कुछ मामलों में वित्त मंत्रालय स्थिति पर विचार कर रहा है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान् कि भूमि करों के कितने प्रतिशत भाग के स्थानीय निकायों को दिये जाने की सिफारिश की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं हुई है ?

राजकुमारी अमृत कौर : रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है और सदन पटल पर रख दी गई है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रश्न पूछने के स्थान पर रिपोर्ट को पढ़ने की कृपा करें ।

श्री एस० सी० सामन्त : माननीय मंत्री ने कहा कि कुछ राज्यों ने समिति की कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, और वह उन को कार्यान्वित कर रहे हैं । मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या वह उन सिफारिशों को सरकार के आदेश पर कार्यान्वित कर रहे हैं अथवा स्थानीय स्वशासन अधिनियमों को संशोधित कर के कर रहे हैं ?

राजकुमारी अमृत कौर : यह बात स्वाभाविक रूप से राज्य सरकारों को निर्दिष्ट की जानी चाहिये । राज्य सरकारें किस प्रकार कार्य करती हैं उसके लिये मैं उत्तर-दायी नहीं हूं ।

श्री वैलायुधन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस जांच समिति के परिणाम स्वरूप सरकार ने स्थानीय स्वशासनिक संस्थाओं के लिए कोई केन्द्रीय योजना प्रस्थापित की है ?

अध्यक्ष महोदय : समिति केवल मात्र वित्तीय पत्र पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई थी, सामान्य पत्र के लिये नहीं ।

श्री के० क० बसु : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा इस समिति की सिफ़ारिशों के सम्बन्ध में अपना मत निश्चित करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है ?

राजकुमारी अमृत कौर : सरकार के लिए कोई समय सीमा निश्चित करना बहुत कठिन है, परन्तु हम राज्य सरकारों को याद दिलाते हैं और हमें यह बताने के लिए कि वह इस सम्बन्ध में क्या कर रही है समय समय पर आदेश देते हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

* **१९५. श्रीमती जयश्री** : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि जून १९५१ में जिनिवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन के ३४ वें सत्र में 'पुरुष तथा स्त्री कमकरों को बराबर काम बराबर वेतन' के विषय पर चर्चा हुई थी ; तथा

(ख) क्या यह तथ्य है कि इस प्रकार के किसी प्रचलन के लागू किये जाने के विषय पर भारत ने विरोध पत्र में मत दिया था ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जी हां, जून १९५१ में जिनिवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन के ३४ वें सत्र में इस विषय पर चर्चा हुई थी और उस में यह प्रचलन स्वीकार किया गया था और पुरुष और महिला कमकरों को समान कार्य के लिए बराबर की मंजूरी दिये जाने की सिफ़ारिश की गई थी ।

(ख) बराबर मंजूरी देने का सिद्धान्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३९ (घ) के निदेशक तत्त्वों में निगमित कर लिया गया है और केन्द्रीय वेतन आयोग, उचित मजूरी समिति तथा अनेकों औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा भी मसे स्वीकृत करलिया गया है । परन्तु वास्तविक कठिनाइयां होने के कारण उक्त सिद्धान्त का क्रियात्मक प्रचलन बहुत ही क्रमिक होगा । कार्य परितृप्ति के वस्तुरूप मूल्यांकन के लिए, जिनके बिना यह सिद्धान्त लागू नहीं किया जायेगा, कोई कार्य व्यवस्था बनानी पड़ेगी । ३४ वें सत्र ने इस विषय के सम्बन्ध में एक अभिसमय तथा एक सिफ़ारिश स्वीकार की थी । भारत सरकार के प्रतिनिधि ने अभिसमय पर मतदान नहीं किया परन्तु उसने सिफ़ारिश के पक्ष में मत दिया । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय के अनुच्छेद १९ के अनुसार इस अभिसमय तथा सिफ़ारिश पर भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा स्थिति की व्याख्या करने वाली प्रतिनिधि मंडल को रिपोर्ट के सम्बन्ध में एक विवरण शीघ्र ही संसद् के समक्ष रखा जायेगा ।

श्रीमती जयश्री : मैं ज्ञात कर सकती हूं कि क्या सरकार कार्य दरों को निश्चित करने के लिए कोई कार्य व्यवस्था स्थापित करने का विचार रखती है ?

श्री वी० वी० गिरि : जी हां, श्रीमान् ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह तथ्य है कि सरकारी प्रतिनिधि ने यह स्थिति अपनाई थी कि भारत में स्त्रियों को पुरुषों से कम मजूरी दी जाये ?

श्री वी० वी० गिरि : मेरा ऐसा विचार नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं वह कारण ज्ञात कर सकता हूं जिन से प्रभावित हो कर भारतीय प्रतिनिधि ने अभिसमय के पक्ष में तो मतदान किया परन्त सिपारिश पर मतदान नहीं किया ?

श्री वी० वी० गिरि : कारण बतलाने वाला एक विवरण शीघ्र ही सदन पटल पर रखा जायेगा ।

श्री श्रीकान्तन नायर : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार को विदित है कि चाय बागान उद्योग में न्यूनतम मजूरी निश्चित करते समय भारत सरकार की इस काल्पनिक धारणा के आधार पर कि पुरुषों और स्त्रीयों की विभिन्न मजूरी दरें निश्चित की जायें एक विभेदता की गई है ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे विश्वास है कि भारत सरकार की यह इच्छा नही है कुछ भी हो, भारत सरकार का यह निर्णय है कि यह देखने के लिए कि कोई विभेदन रहे उक्त अधिसमय का क्रमशः पालन किया जाए ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह तथ्य है कि चाय बागानों में पत्ती चुनने वाली एक सामान्य स्त्री मजूर सामान्य पुरुष मजूर से उत्तम होती है और इस बात के अनेक भी पत्ती चुनने के लिए पुरुषों को स्त्रीयों की तुलना में अधिक मजूरी मिलती है ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं यह सूचना माननीय सदस्य से ग्रहण कर लूंगा ।

कवाली और मदरास के मध्य चलने वाले ट्रेन

*१९६. **श्री के० एस० राव :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को सार्वजनिक संस्थाओं तथा व्यक्तियों से दक्षिणी रेलवे में कवाली और मदरास के बीच ट्रेन सेवा को पुनः प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार उस ट्रेन सेवा को पुनः चालू करने की प्रस्थापना करती है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । १ अप्रैल, १९४८ से पूर्व मदरास और कबाली के मध्य दोनों ओर से एक पैसेंजर गाड़ी चलती थी १ अप्रैल १९४८ से औंगोल कोनाडा पैसेंजर गाड़ी के बितरागुंट तक तथा से बढ़ाये जाने के साथ साथ मदरास कवाली के मध्य चलने वाली का मदरास वितरागुंटा तक चलना निश्चत किया गया था । ६-११-१९५१ से दैनिक जनता एक्सप्रैस गाड़ी के मदरास कलकत्ता के बीच चलाये जाने से दक्षिणी रेलवे की उत्तर पूर्वी लाईन पर कुछ ब्रांच लाइनों का चलना बन्द किया गया, उन में वह ट्रेन भी थी जो मदरास तथा बितरागुटा के मध्य चलती थी । ऐसा करना आवश्यक समझा गया क्योंकि डब्बों तथा इंजनों की कमी के कारण, इन गाड़ियों का चलना बन्द किये बिना जनता ऐक्सप्रेस चलाना संभव नहीं था ।

श्री नानादास : श्रीमान् वह केवल तैलगू भाषा जानते हैं, मैं उनके प्रश्न का अनुवाद कर दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य उनकी और से प्रश्न पूछें ।

श्री नानादास : इस ट्रेन विशेष के पुनः चलाए जाने के सम्बन्ध में सरकार को किन २ संस्थाओं की ओर से प्रतिनिधान प्राप्त हुए हैं ?

श्री शाहनवाज खां: कोई दस संस्थाओं से प्रतिनिधान प्राप्त हुए हैं। उन संस्थाओं के नाम यह हैं:

(१) गुडूर का अमुक कमकर संघ,

(२) गुडूर की दक्षिण भारत अमुक खान मालिक संस्था,

(३) सभापति, नगर कांग्रेस कमेटी, गुडूर,

(४) मदरसा अमुक संस्था, गुडुर,

(५) श्री बी० रामचन्द रैड्डी, संसद सदस्य,

(६) श्री बी० गोपाल रैड्डी, सभापति, जिला काग्रेस कमेटी,

(७) श्री बी० संजीव नारायण, सदस्य रेलवे स्थानीय परामर्शदात्री समिति,

(८) प्रो० पी० सी० रैड्डी, तथा; अन्य नैल्लौर,

(९) श्री के० कृष्णराव, सदस्य विधान सभा, नैल्लौर, तथा

(१०) श्री ए० रामी रैड्डी, नैल्लोर।

श्री रामचन्द रैड्डी: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है अथवा इस प्रश्न पर अभी विचार हो सकता है?

श्री **शाहनवाज खां**: जी हां, श्रीमान् यह अन्तिम निर्णय किया जा चुका है कि डिब्बों तथा इंजनों की कमी के कारण यह ट्रेन पुनः चलाई नहीं जा सकती है।

ट्रावनकोर-कोचीन में दुर्भिक्ष

*१९७. श्री **श्रीकान्तन नायर**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि ट्रावनकोर-कोचीन के तटीय भागों में दुर्भिक्ष जैसी स्थिति हो रही है;

(ख) यदि आई है, तो दुर्भिक्ष के कारण; तथा

(ग) क्या कोई राहत सुबिधाएं दी जा रही हैं?

कृषि मंत्री डा० पी० एस० देशमुख: (क) ट्रावनकोर-कोचीन के तटीय भागों में 'दुर्भिक्ष जैसी स्थिति' नहीं फैली हुई है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं। परन्तु इतना मैं निवेदन कर दूं श्रीमान कि यद्यपि दुर्भिक्ष जैसी स्थिति नहीं हो रही है और न उस क्षेत्र में खाद्यान्नों की कोई कमी ही है, परन्तु नारियल जटा उद्योग में अत्यधिक मन्दी आ जाने के कारण जिन स्थानों में बड़े पैमाने पर बेकारी फैली हुई है यहां की अधिकाशं जनता को अधिकाधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कोई छै लाख व्यक्ति इस से प्रभावित हुए हैं, परन्तु उनको राहत पहुंचाने के लिए पर्याप्त कार्यवाहियां की गई हैं।

श्री श्रीकान्तन नायर: मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान् कि क्या कार्यवाहियां की गई हैं?

डा० पी० एस० देशमुख: उनकी संख्या काफी अधिक है। उदाहरण के लिए,

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हुई एक मीटिंग में ट्रावनकोर-कोचीन सरकार को राज्य सरकार से योजना का प्राक्कलन प्राप्त होने पर यह अनुदान देने का सुझाव दिया गया था :

(१) सड़कों को बनाने तथा उनकी मरम्मत के लिए ७ लाख रुपया।

(२) नई सड़कें बनाने के लिए ८·२ लाख रुपया।

(३) सड़क निधि में से ११ लाख रुपया।

और भी विभिन्न कार्यवाहियां की गई

श्री श्रीकान्तन नायर : माननीय मंत्री के स्वीकरण के अनुसार दुर्भिक्ष या कभी किसी स्थिति आठ लाख व्यक्तियों को प्रभावित कर रही है, और अनुदान की परिमात्रा २० लाख रुपए के लगभग है। क्या इन व्यक्तियों के कष्टों के निवारण के लिए यह छोटी सी रक़म पर्याप्त होगी ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । प्रश्नों का घन्टा समाप्त हो गया।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

भारतीय गांवों पर पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस द्वारा गोली वर्षा

श्री एस० एन० दास : क्या प्रधान मंत्री वह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित एक भारतीय गांव डाउके पर १ तथा २ नवम्बर १९५२ को पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस द्वारा बहुत अधिक गोली वर्षा की गई थी ?

(ख) यदि हो, तो वह परिस्थितियां क्या थीं जिन में यह घटना हुई;

(ग) इस गोली वर्षा के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न हुई स्थिति का मुकाबिला भारतीय पुलिस ने किस प्रकार किया;

(घ) क्या जन तथा सम्पत्ति की कोई हानि हुई; और यदि हो तो सीमा के भारतीय मृतकों तथा आहातों की संख्या तथा सम्पत्ति को पहुंची हानि का परिणाम ; तथा

(ङ) इस सम्बन्ध में शान्ति स्थापित करने तथा इस घटना के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को दंड देने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान्, आप की अनुमति से मैं एक काफी बड़ा वक्तव्य जो इस अल्प सूचना प्रश्न में अपेक्षित वक्तव्य से बड़ा होगा देना चाहता हूं ताकि सदन को न केवल इस घटना विशेष का ही जो अभी हुई है अपितु उन अन्य घटनाओं का भी जो अधिकतर इस सीमा पर होती रहती है पश्चिम में भारत और पाकिस्तान के बीच होती रहती हैं एक पूर्ण विवरण प्राप्त हो सके।

जब से विभाजन हुआ है, पूर्वी पंजाब तथा पश्चिमी पंजाब के सीमा-वर्ती गांवों के सम्बन्ध में कुछ कठिनाईयां

विशेष रही हैं। रैड क्लिफ पंचाट द्वारा निर्धारित सीमा लाइन बहुत स्पष्ट नहीं थी और उस में कुछ भौगोलिक आकारों की उपेक्षा की गई थी। इस प्रकार कुछ गांव जो कि भारतीय राज्य-क्षेत्र में हैं, नदी के दूसरी ओर हैं और भारत की ओर से उन में प्रवेश करना सरल नहीं है। इसी प्रकार पाकिस्तान राज्य क्षेत्र के कुछ गांव नदी के इस ओर हैं और पाकिस्तान की ओर से उन में प्रवेश करना सरल नहीं है। अन्तर्ग्रस्त भूमिक्षेत्र बहुत छोटे हैं, १०० एकड़ के लगभग के हैं, और उन में से अधिकांश कृषिकार्य के योग्य नहीं हैं और उन में घास पात उगी हुई है। वास्तव में, भारत की ओर के क्षेत्र भारत के कब्जे में रहते आये हैं और पाकिस्तान की ओर के भाग पाकिस्तान के कब्जे में हैं। यह क्षेत्र अधिकांशतया गैर आबाद है। सन् १९४९ से पाकिस्तान के साथ यह निश्चय हुआ था कि सीमांकन होने तक, यह भूमि क्षेत्र उसी देश के कब्जे में रहने दिये जायेंगे जिनकी ओर वह स्थित हैं।

सीमा विभाजन की कोई स्पष्ट रेखा न होने के कारण लगातार सीमावर्ती झगड़े होते आये हैं। सन १९४८ में हुए अनेकों अन्तः औपनिवेशिक सम्मेलनों में बहुत से निर्णय किये गये थे। इन में से एक पूर्वी-पंजाब-पश्चिमी-पंजाब की सीमा पर होने वाले सीमान्त झगड़ों के सम्बध में था।

यह निश्चित हुआ था कि पूर्वी तथा पश्चिमी पंजाब के मध्य और विशेषतया उन क्षेत्रों में जहां सीमा रेखा स्पष्ट नहीं थी एक विभाजन रेखा की आवश्यकता थी। इस क्षेत्र में सीमान्त खेमे गाढ़ने की संभावना पर आग्रह नहीं किया गया था। यह स्वीकार किया गया था कि झगडे होने का कारण कुछ गांवों का नदी के दूसरी ओर दूसरे देश में होना था। यह सुझाव दिया गया था कि दोनों ओर के दो वित्तीय आयुक्त उन विशेषज्ञ राजस्व अधिकारीयों के साथ जिन को रखना वह ठीक समझें, परस्पर मिलें और इस सम्बन्ध में निश्चित सिफारिशें करें। वह सीमान्त खेमों को गाढ़ने के प्रश्न पर भी विचार करें।

यह भी निश्चित हुआ था कि पूर्वी पंजाब तथा पश्चिमी पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस स्थानीय जिलाधीशों और पुलिस सुपरिन्टेन्डेंटों के साथ सीमा के दोनों ओर होने वाली सीमान्त घटनाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई परिस्थिति का पुनरीक्षण करने के लिए समय समय पर मिलते रहें।

यह भी निश्चय हुआ था कि दोनों प्रान्तीय सरकारें स्थानीय सीमान्त पुलिस होम गार्डों और नेशनल गार्डों को चेतावनी दे दें और उन को आदेश दें कि वह दोनों ओर के आक्रान्ताओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी प्रकार की सहायता न दें।

करार में जिन सम्मेलनों की प्रत्याशा की गई थी वह हो रहे हैं और उठ खडे होने वाली अनेकों सीमान्त समस्याओं को निपटाया गया है। परन्तु सीमान्त खेमें अभी गाढ़े नहीं गये हैं। इन क्षेत्रों में हाल ही में कुछ छोटे मोटे झगडें हुए हैं।

जब इस घटना विशेष का निर्देश करते हुए, इस नयें गोली कांड में जो गांव आये हैं वह जिला अमृतसर के डाउके, भैनी, राजपूतन और राजथाल

और लाहौर जिले के लाओ, मजुकी, धुरकी और किला जीवन सिंह । इन गांवों के बीच एक बरसाती नाला जिसे हुदियारा नाला कहते हैं बहता है । कुछ समय पूव इस नाले के पाकिरतानी भाग में एक बांध बनाया गया था और इस से भारतीय गांवों में जल के विकास की समस्या पैदा हो गई । इसलियें यह निश्चित किया गया कि भारतीय राज्य क्षेत्र में नाले के दो स्थानों के बीच एक जल बहाव नाली बनाई जाये ।

२२ अक्तूबर को जब कि एक भारतीय भूमापन दल इस जल बहाव नाली की दाग बेल कर रहा था तो पाकिस्तान सीमान्त पुलिस ने इस कार्य के किये जाने पर आपत्ति की । वह भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित डाउके गांव में घुस गये और जिन स्थानों पर झंडियों से दाग बेल की गई थी उन को मिटा दिया । २३ अक्तूबर को जब कि भू-मापन दल ने काम प्रारम्भ किया तो पाकिस्तानी सीमान्त पुलिस ने एका एकी और बिना किसी उत्तेजना के उन पर गोली चलाई। इस पर पंजाब सशस्त्र पुलिस ने मोरचा संभाला और गोलियों का जवाब गोलियों से दिया । २३ अक्तूबर को २–३० म० प० और ६–३० म० प० के बीच गोली चली थी । भारतीय पुलिस दल ने ४६७ गोलियां चलाई । मैं यह भी निवेदन कर दूं कि यह गोली चलाने की घटना एक बिल्कुल ही दूसरे प्रकार की थी । दोनों दलों के बीच बहुत खाली जगह थी और गोली किसी व्यक्ति आदि को देख कर नहीं चलाई गई थी । इस का परिणाम यह हुआ कि कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ । इस के पश्चात् दोनों के पुलिस अधिकारी इस मामले को दबाने की प्रयत्न करने के लिये मिले परन्तु कोई समझौता नहीं हो सका । १ नवम्बर को दोपहर के करीब पाकिस्तानी पुलिस ने फिर बिना किसी प्रकार की उत्तेजना के गोली चलाई । रात भर दोनों ओर से धुआंधार गोलियां चलती रहीं दो बार भारतीय पुलिस ने यह सोच कर कि शायद उन को देखा देखी पाकिस्तानी पुलिस भी गोली चलाना बन्द कर दे, गोली चलानी बन्द कर दिया । परन्तु पाकिस्तानी सिपाही गोली चलाते ही रहे । इस के पश्चात् दोनों ओर के स्थानीय अधिकारियों में परस्पर समझौता हो जाने के कारण २ नवम्बर को कोई १–३० म० प० गोली चलाना बन्द हुआ । गोली चलाये जाने की यह दुर्घटना चार मील लम्बे सीमान्त पर सशस्त्र सीमान्त पुलिस की अगली चौकियों पर हुई थी । यह ठीक नहीं है कि भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानी गांवों के आबादी वाले भागों पर गोली वर्षा की थी और न यह ठीक है कि पाकिस्तानी सेनाओं ने भारतीय गांवों के आबादी वाले भागों पर गोली वर्षा की थी । यह संभव है कि कोई इक्का दुक्का गोली अचानक ही आबादी वाले भागों में चली गई हो । भारतीय ओर न जन हानि हुई और न सम्पत्ति इत्यादि को कोई हानि ही पहुंची । पाकिस्तान सरकार ने सूचना दी है कि उसकी ओर का एक व्यक्ति आहत हुआ था । २ नवम्बर के बाद से गोली चलने की कोई घटना नहीं हुई ।

यह कहना कि भारतीय सेना पाकिस्तान राज्य-क्षेत्र में घुस गई थी, बिल्कुल गलत है । घटना स्थान के आस पास सीमा ऐसी है कि भारतीय गांव डाउके का तीन चौथाई भाग नाले के पाकिस्तान

की ओर वाले किनारे पर है और इसके विपरीत पाकिस्तानी गांव मजुकी का आधा भाग भारतीय राज्यक्षेत्र में है । विभाजन के समय से दोनों भाग बेकार पड़े हुए हैं और इस समय उस में जंगली घास पात उगा हुआ है । वस्तुतः स्थिति यह है कि भारतीय गांवों के पाकिस्तान की ओर स्थित भाग पाकिस्तान के कब्जे में हैं और जो भाग न्यायतः पाकिस्तान के हैं वह भारत के कब्जे में हैं । ऐसी स्थिति पंजाब में और भी स्थानों पर, और विशेषतः उन स्थानों पर जहां पास ही नदियां बहती हों, पाई जाती हैं । सन् १९४९ से पाकिस्तान के साथ यह समझौता चला आता है कि सीमा के रेखांकन होने तक यह भूमि क्षेत्र वस्तुतः उन्हीं देशों के कब्जे में रहेंगे जिन की ओर वह स्थित हैं । यह एक सुविचारित तथा व्यवहारिक व्यवस्था है जिसने सीमान्त दुर्घटनाओं के कम होने में सहायता पहुंचाई है ।

इस वर्तमान मामले में, पाकिस्तानी सीमान्त पुलिस द्वारा भारतीय परिमाप दल के कार्य में गोली चला कर हस्तक्षेप किये जाने के कारण पंजाब सशस्त्र पुलिस को नाले के भारतीय राज्य-क्षेत्र की ओर स्थित पाकिस्तानी गांव मजूकी में अपना मोर्चा लगाना पड़ा । उपरि उल्लिखित भारत-पाकिस्तान समझौते के अनुसार, यह भूमिखंड, जिसका सम्पूर्ण क्षेत्रफल कुल ९० एकड़ है, भारत के कब्जे में है और बराबर रहा है । इसी प्रकार नाले के उस ओर पाकिस्तानी राज्य-क्षेत्र में स्थित भारतीय राज्य-क्षेत्र का बहुत अधिक भाग भारत के कब्जे में नहीं हैं यद्यपि वह वैधानिक रूप से भारतीय राज्य-क्षेत्र है । भारत-पाकिस्तान समझौते के अनुसार जब तक कि सीमा का पूर्णरूपेण सीमांकन नहीं हो जाता है । भारत इन क्षेत्रों के पाकिस्तान के कब्जे में रहने पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता है । इसके विपरीत पाकिस्तान भी कुछ पाकिस्तानी राज्य-क्षेत्र के भारत के कब्जे में रहने पर आपत्ति नहीं कर सकता है । भारत-पाकिस्तान समझौते के आधार पर यथापूर्व स्थिति बनाये रखने का अर्थ यह है कि इस प्रकार के कब्जे की बात पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जायेगी चाहे रैड क्लिफ पंचाट के अनुसार उन क्षेत्रों का कानूनी मालिक कोई क्यों न हो । इस स्थिति का भारत ने कभी अतिक्रमण नहीं किया ।

यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पाकिस्तानी सीमान्त पुलिस ने एक नगण्य सिंचाई सम्बन्धी झगड़े के सिलसिले में, जिसका निपटारा दोनों ओर के असैनिक अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिये था, भारतीय भू-मापन दल पर गोली चलाई । दोनों देशों में शान्ति बनाये रखने और सीमान्त पर स्थिर अवस्था रखने में ऐसी घटनायें बाधक होती हैं । दिसम्बर १९४८ के भारत-पाकिस्तान समझौते में सीमान्त पर होने वाली घटनाओं की संख्या न्यूनतम करने तथा पूर्वी तथा पश्चिमी पंजाब की सरकारों में अधिकतम सहयोग स्थापित करने के प्रावधान रखे गये थे । सन् १९४९ का समझौता, जिसका उल्लेख मैं कर चुका हूँ, इसी सम्बन्ध में एक अग्रेतर कार्यवाही थी । गतवर्ष में सीमान्त पर बहुत अधिक दुर्घटनायें हुई हैं और इन झगड़ों का निपटारा करने के लिये दोनों पंजाबों के वित्तीय आयुक्त तथा जिला अधिकारी कई सम्मेलन कर चुके हैं । सीमा का वास्तविक सीमांकन करने के लिए दोनों ने मिल कर प्रारम्भिक कार्यवाही शुरू कर दी है ।

श्री एस० एन० दास: मैं ज्ञात कर सकता हूँ, श्रीमान् कि क्या इस तथ्य की स्वयंचलित शस्त्र, हथगोले और तोपें काम में लाई गई थीं, जांच कर ली गई है ?

श्री जवाहरलाल नहरू : मुझे विश्वास है कि कुछ तोपें काम में लाई गई थीं। और कौन कौन से शस्त्र काम में लाये गए थे यह बतलाना कठिन है, परन्तु सम्भव है कि स्वयंचलित शस्त्र काम में लाये गए हों।

श्री एस० एन० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूँ श्रीमान् कि इस गोलीकांड में भाग लेने वाली पाकिस्तानी पुलिस की संख्या का कोई अनुमान लगाया गया है अथवा ज्ञात की गई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं, श्रीमान्। मुझे दोनों ओर के पुलिस बल की संख्या ज्ञात नहीं है। दोनों ओर सामान्य सीमान्त पुलिस है।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या प्रधान मंत्री यह बतलाना चाहते हैं कि गोलीकांड केवल गैर-आबाद भागों तक ही सीमित रहा था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने यह निवेदन किया कि गोली, जहां तक हमें ज्ञात है, किसी आबादी की ओर नहीं चलाई गई थी। यह संभव है कि कोई इक्का दुक्का गोली इधर उधर चली गई हो।

श्री वी० जी० देशपांडे : पाकिस्तान सरकार के इस प्रकार के रवैये के प्रति सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ? क्या वह कोई कठोर कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है अथवा केवल मात्र एक वक्तव्य देना चाहती है कि पाकिस्तान ऐसी कार्यवाहियां कर रहा है ?

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। मेरे विचार से यह प्रश्न दिए गए वक्तव्य से उत्पन्न नहीं होता है।

श्री गिडवानी : मेरे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ श्रीमान् ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उस का अभी निर्णय करके यह कहने को ही था कि इस वक्तव्य को दृष्टि में रखते हुए वस्तुतः किसी अग्रेतर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती है। मैं यही कहने को था कि श्री देशपांडे ने प्रश्न पूछ लिया।

पंडित अलगू राय शास्त्री : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय: देखिये आप तो लेट हो गये हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे यहां का यह नियम है कि जब कोई बड़ा स्टेटमैंट (वक्तव्य) होता है तो अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं।

पंडित अलगू राय शास्त्री : इसी ख्याल से मैं लेट हो गया था।

अध्यक्ष महोदय : तो आप जानते थे फिर भी आपने प्रश्न करने की अनुमति चाही।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कच्छ के पत्तन

*१८०. **श्री सी० आर० इय्युन्नी** : क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कच्छ के पत्तनों के विकास के लिए कितनी धन राशि आवंटित की गई है;

(ख) प्रत्येक पर कितना व्यय किया गया है; तथा

(ग) कितना व्यय करना अभी शेष है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) कच्छ स्थित कांधला

पत्तन के विकास के लिए प्रावधानित १२.९५ करोड़ रुपये के अतिरिक्त, पंच-वर्षीय योजना में कच्छ के छोटे पत्तनों के विकास के लिए १३·४ लाख रुपये का प्रावधान किया गया है ।

(ख) सन् १९५१-५२ के अन्त तक कांधला पत्तन पर १·४५ करोड़ रुपया और छोटे पत्तनों पर १·०९ लाख रुपया व्यय किया जा चुका है ।

(ग) ११·५ करोड़ रुपया कांधला पर और १२·३१ लाख रुपया छोटे पत्तनों पर ।

कोचीन पत्तन

*१८१. **श्री सी० आर० इय्युन्नी :** क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या वर्ष १९५०-५१, १९५१-५२ और १९५२-५३ में कोचीन पत्तन के विकास के लिए क्या कोई धन राशि व्यय की गई है; तथा

(ख) क्या यह तथ्य है कि जब कि नौपरिवहन अधिक होता है तो जहाज़-गोदियों में पर्याप्त स्थान न होने के कारण बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां । सन् १९५०-५१ में ८.९० लाख रुपया व्यय हुआ था और सन् १९५१-५२ में २६·१० लाख रुपया व्यय हुआ था । सन १९५२-५३ के आय व्ययक में ४३·७६ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

(ख) जी नहीं ।

माल डब्बे

*१९२. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **रेल मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि भारतीय रेलवेज़ पर इस समय माल डब्बों की जो कमी है वह अंशत: जंकशन स्टेशनों पर माल डब्बों के रुक जाने का कारण है;

(ख) यदि ऐसा है; तो इस गतिरोध को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) गत दो वर्षों के कार्यकरण के आधार पर निश्चित की गई सामान्य मांग को पूर्णरूपेण पूरा करने के लिए कितने माल डब्बों की वास्तव में आवश्यकता है; तथा

(घ) इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) २०,००० और अधिक डब्बे ।

(घ) अपनी उपाय उपकरण स्थिति और न केवल भारत स्थित अपितु विदेशों में भी स्थित अधिकांश सार्थों को आदेश स्वीकार करने तथा उनको कार्यान्वित करने की सामर्थ्य क्षमता को ध्यान में रखते हुए कम से कम संभव समय में अधिक संख्या में नये माल डब्बे प्राप्त करने के यथासंभव प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

मिली जुली ट्रेनें

*१९३. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि बहुत सी रेल लाइनों पर मिली जुली ट्रेनें चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी संख्या में तथा किन लाइनों पर;

(ग) क्या यह तथ्य है कि इन मिली जुली ट्रेनों को चलाये जाने से यात्रियों के

जीवन तथा सम्पत्ति को जोखिम पहुंचने की संभावना है; तथा

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो जोखिम को दूर करने तथा इन लाइनों पर यात्रा को परिस्थितियों के अनुसार यथासंभव सुरक्षित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां, मिली-जुली गाड़ियां, अर्थात् ऐसी ट्रेनें जिन में यात्री डब्बे, अन्य प्रकार के डब्बे तथा माल के डब्बे होते हैं, चल रही हैं ।

(ख) विभिन्न रेलवेज़ पर ७८४ मिली जुली गाड़ियां चल रही थीं । उन का विवरण इस प्रकार है :

केन्द्रीय रेलवे	९५
पूर्वी रेलवे	११७
उत्तरी रेलवे	१५३
उत्तर-पूर्वी रेलवे	८५
दक्षिणी रेलवे	९२
पश्चिमी रेलवे	२४२
	७८४

(ग) और (घ) जी नहीं । स्पष्टतया प्रश्न यह है कि ऐसी मिली जुली ट्रेनें जिन में खतरे की जंजीर खींचने के लिए एक सिरे से दूसरे सिरे तथा वायुशून्य ब्रेक प्रणाली न होने के कारण जोखिम की अधिकाधिक संभावना है । स्थिति संक्षेप में इस प्रकार है । ब्राड गेज लाइन पर चलने वाली सभी मिली जुली ट्रेनों में एक सिरे से दूसरे तक लगातार वायुशून्य ब्रेक प्रणाली के लिए अपेक्षित उपकरण लगे होते हैं । परन्तु मीटर और नैरो-गेजों में अधिकांश माल डब्बों में अभी अविच्छिन्न वायुशून्य ब्रेक प्रणाली लगी नहीं होती है, और जब इन डब्बों को इंजन और यात्री डब्बों के बीच में जोड़ा जाता है तो खतरे की जंजीर और वायु-शून्य ब्रेक प्रणाली काम नहीं दे सकते हैं । ऐसी ट्रेनों में अन्य प्रबन्ध होते हैं, जैसे इंजनों में वायुशून्य अथवा वाष्प से काम करने वाले ब्रेक लगे होते हैं और इन से ट्रेन को काफी ब्रेक लगाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है । इस के अतिरिक्त इन ट्रेनों की अधिकृत अधिकतम गति भी तुलनात्मक कम होती है और इस कारण स्वयंचलित वायुशून्य ब्रेक प्रणाली के न होने पर भी इन ट्रेनों को नियंत्रण में रखने में कोई खास कठिनाई नहीं होती है ।

इस के अतिरिक्त माल डब्बों में भी वायुशून्य ब्रेक प्रणाली लगाने के प्रबन्ध किये जा रहे हैं और कार्य एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है । नये माल डब्बों में यह उपकरण लगे हुए हैं परन्तु सभी मिली जुली ट्रेनों में इस प्रकार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक का वायु-शून्य ब्रेक प्रणाली लगाय जाने में कम से कम दो या तीन वर्ष लगेंगे ।

नई मीटर गेज लाइन का बिछाया जाना

*१९८. **श्री दाभी** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि सरकार सुजित्रा और धोलका (बम्बई राज्य) भान और भाइटे (बम्बई राज्य) और छोटा उदयपुर (बम्बई राज्य) और कुकशी (मध्य प्रदेश) के बीच मीटर गेज की नई लाइनें बिछाने की कोई प्रस्थापनायें हैं ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) क्या यह तथ्य है कि किसी समय सरकार ने सुजित्रा और धोलका के मध्य रेलवे लाइन डालने की प्रस्थापना को त्याग दिया था ; तथा

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है ।

(ग) जी हां ।

(घ) और भी अनेकों इससे भी अधिक आवश्यक योजनायें हैं और जिन पर नई लाइनों को बिछाने के लिए उपलब्ध धन के पूर्ण रूप से कम हो जाने की संभावना है ।

सेवा योजनालय

*१९९. **श्री बैलायुधन** : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने सेवा योजनाओं के कार्यकरण की जांच करने के लिए कोई समिति नियुक्त की है; तथा

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निर्देश पद क्या हैं ?

श्रम मंत्री श्री बी० वी० गिरि: (क) पुनर्संस्थापन तथा सेवा नियोजन महाधिदेश संगठन के भविष्य की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की जा रही है ।

(ख) निर्देश पद यह है :

देश की आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति को ध्यान में रखते हुए पुनर्संस्थापन तथा सेवा नियोजन संगठन को जारी रखने की आवश्यकता का अनुमान लगाना, और उस आवश्यकता का निर्देश करते हुए उस की भविष्य में क्या रूपरेखा होनी चाहिए उसके सम्बन्ध में सुझाव देना और विशेषकर—

(१) पुनर्संस्थापन तथा सेवा नियोजन संगठन के भविष्य संबन्धी संपूर्ण प्रश्न की जांच करना और यह भी देखना कि क्या इस संगठन का कुछ भाग राज्य सरकारों को हस्तान्तरित कर दिया जाये अथवा नहीं ; इसी स्थिति में, केन्द्रीय सरकार को अधीक्षण तथा नियन्त्रण का कितना अधिकार रख लेना चाहिए;

(२) सेवा योजनालयों तथा प्रशिक्षण योजनाओं, जिसमें कोनी, बिलासपुर में प्रभिक्षकों तथा अधीक्षकों की प्रशिक्षण योजना भी सम्मिलित है, से प्राप्त परिणामों का निर्धार करना ;

(३) यह विचार करना कि किस आधार पर प्रशिक्षण योजनायें चलाई जायें और क्या प्रवृत्तियां देने की आजकल की प्रणाली को बन्द कर दिया जाये अथवा संपरिवर्तित किया जाये ;

(४) इस बात की जांच करना कि क्या देश की बढ़ी हुई आवश्यकताओं के साथ सेवा योजनालयों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में और अग्रेतर विस्तार किया जाये ;

(५) इस बात पर विचार करना कि क्या उद्योग के लिए कम

से कम बड़े औद्योगिक केन्द्रों में, कमकरों की भरती केवल सेवा योजनालयों के द्वारा ही की जाए, इसे अनिवार्य करने के लिए किसी विधान का पुरः स्थापित करना आवश्यक है ; और

(६) इस बात पर विचार करना कि इस संगठन के व्यय के कुछ भाग को पूरा करने के लिए क्या सरकार की नियोजकों तथा अथवा रोजगार तलाश करने वालों से कुछ लेवी वसूल करनी चाहिए ।

चित्तरंजन नगर

*२००. **श्री एच०एन० मुखर्जी:** क्या रेल मंत्री वह कारण बतलाने की कृपा करेंगे कि क्यों न केवल चित्तरंजन वर्कशाप क्षेत्र में वरन समस्त चित्तरंजन नगर में संघ के नागरिकों का मुक्त प्रवेश वर्जित कर दिया गया है ?

रेल तथा यातायात मन्त्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : समस्त चित्तरंजन नगर जिसमें वर्कशाप क्षेत्र तथा बस्ती दोनों शामिल हैं, एक सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। चित्तरंजन की बस्ती वर्कशाप क्षेत्र से लगी हुई है और उस में जल प्रदाय, विद्युत जनन जैसे आधारभूत अधिष्टापन स्थित है; और इस कारण उनके लिए विशेष सुरक्षात्मक कार्यवाहियां करना आवश्यक था।

क्विलोन—एरनाकुलम रेलवे लाइन

*२०१. **कुमारी एनी मस्करीन:** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्विलोन के एरनाकुलम रेलवे लाइन बनाने में उच्च प्राथमिकता देने की सरकार की नीति को कार्यान्वित करने के हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

(ख) क्या सरकार ने भूमि को अवाप्त करने अथवा उसके लिए अपेक्षित सामान का व्यादेश देने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

(ग) इस के लिए आवंटित धन राशि में से कितना भाग इस से पूर्व ही खर्च हो चुका है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) कुछ मील-दूरियों में, जहां कि अन्तिम स्थान-निर्धारण परिमाप कार्य समाप्त हो चुका है, इस कार्य को प्रारम्भ करने की व्यवस्था की जा रही है ।

(ख) इस कार्य के लिए भूमि अवाप्ति कर्मचारियों को तुरन्त ही नियुक्त करने के सम्बन्ध में त्रावनकोर सरकार आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

(ग) इस कार्य पर अब तक कोई ५०,००० रुपया व्यय हो चुका है ।

पानी के तालाब

*२०२. **श्री जसानी:** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या विभाग ने यह ज्ञात करने के लिए, कि रेलवे की सीमा में बने तथा रेलवे की स्वामित्व वाले कितने पानी के तालाबों में अतिरेक पानी है जिसे आस पास के खेतों की सिंचाई के लिए काम में लाया जा सकता है, कोई जांच की है ?

(ख) यदि की है, तो तालाबों की संख्या कितनी है और वह कहां स्थित है ?

(ग) किसानों को अधिक अन्न उपजाने में सहायता देने के हेतु इस अतिरेक पानी को उन्हें देने के सम्बन्ध में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) से (ग) । खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की प्रार्थना पर, रेलवे प्रशासन के आदेश दिए गए थे कि रेलवे की सीमा में स्थित तालाबों के अतिरेक पानी को कृषि कार्य के लिए दिए जाने की प्रार्थनायें सम्बद्ध राज्य सरकारों के राजस्व अधिकारियों द्वारा अनुमोदित हो कर प्राप्त हों और इस रियायत के दिए जाने से रेलवे के हितों को कोई हानि न पहुंचे, तो कृषकों को पानी दिए जाने की प्रार्थना पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए । रेलवे प्रशासन एक त्रैमासिक रिपोर्ट सीधी खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय को भेजता है जिस में रेलवे के तालाबों के पानी के काम में लाये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से प्राप्त हुई प्रार्थनाओं का और किस सीमा तक उनको स्वीकार किया गया है, इस का विवरण दिया हुआ होता है । वर्षा की मात्रा और स्थानीय अवस्थाओं के परिणामस्वरूप इन तालाबों की संख्या प्रति वष बदलती रहेगी ।

सरदारगंज-भुज रेल कड़ी

*२०३. **श्री जसानी** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या वर्तमान कांडला-डीसा रेलवे लाइन को मिलाते हूए एक मीटर गेज़ रेल लाइन सरदारगंज़ से भुज तक बनाने की कोई प्रस्थापना है ?

(ख) यदि है, तो कार्य के कब प्रारम्भ होने की संभावना है और सम्पूर्ण परिव्यय क्या होगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) किसी नई मीटर गेज़ लाइन को बनाने की कोई प्रस्थापना नहीं है, परन्तु वर्तमान छोटी लाइन (नैरो गेज) को मीटर गेज में बदल देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) संभावित व्यय की गणना की जा रही है और काम को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

विदेशों से खाद्य उपहार

* २०४. **श्री गोपाल राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंग :

(क) भारत की असरकारी संस्थाओं द्वारा विदेशों से प्राप्त खाद्य उपहारों के वितरण के सम्बन्ध में अब तक अपनाई नीति तथा प्रणाली; तथा

(ख) क्या भारत सरकार ने इस आधार पर, कि इस प्रकार के वितरण से सरकार की सहायता तथा राशनिंग योजना में गड़बड़ी पड़ जायेगी, भारत में असरकारी संस्थाओं द्वारा विदेशों से प्राप्त खाद्य उपहारों के वितरण को प्रतिषिद्ध करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवाई): (क) केवल अधिकृत सहायता संस्थाओं को ही विदेशों से खाद्य उपहार आयात करने की अनुज्ञा दी जाती है । यह उपहार बिना जाति या धर्म का विभेद किये दरिद्र तथा ज़रूरतमन्द व्यक्तियों को मुफ्त बांटे जाते हैं ।

(ख) अधिकृत सहायता संस्थाओं द्वारा खाद्य उपहारों को आयात करने सम्बन्धी सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

गन्ने की कीमतें

*२०५. **श्री गोपाल राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि गन्ने की क़ीमतें २५ प्रतिशत कम कर दी गई हैं; तथा

(ख) यदि हां, तो गन्ने की कीमतें कम करने सम्बन्धी सरकार के निर्णय के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) जी हां।

(ख) गन्ने की क़ीमतें कम करने का निर्णय तट कर पर्षद् की सिफ़ारिशों, राज्य सरकारों, इस समय की चीनी की प्रदाय स्थिति, सन् १९५२-५३ में प्रत्याशित उत्पादन, गुड़ का वर्तमान मुल्यस्तर, तथा आवश्यक खेतिहर वस्तुओं के मूल्यों के गिराव की प्रवृत्ति को ध्यान में रख कर किया गया है। यह निर्णय चीनी की विश्वव्यापी मूल्य प्रवृत्ति के, जो कि एक वर्ष से गिराव की ओर है, अनुरूप है।

सिंगरेनी समूह की खानें (दुर्घटनायें)

*२०६. **श्री विट्ठल राव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १५ सितम्बर, १९५२ को बिरले पिट, कोठागुडियम में हुई दुर्घटना के कारण;

(ख) यद्यपि इस दुर्घटना को हुए एक मास से अधिक हो गया है फिर भी इस की जांच क्यों नहीं की गई है; तथा

(ग) सिंगरेनी समूह की खानों में होने वाली अधिकाधिक दुर्घटनाओं की बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार कोई असरकारी जांच समिति नियुक्त करने की प्रस्थापना करती है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) दुर्घटना की सूचना के अनुसार, जिसे प्रबन्धक ने ज़िलाधीश के द्वारा भारत के मुख्य खान निरीक्षक को भेजा था यह ज्ञात होता है कि जब कि आहत व्यक्ति एक प्रकाश आने वाली खिड़की की नाप जोख कर रहा था तो पास की खदान में गोली चलाने से उड़ा कोयले का एक टुकड़ा उस के आकर लगा।

(ख) खान अधिनियम की धारा २३ (२) के अनुसार, खान विभाग को प्रत्येक दुर्घटना के कारणों की, जिसमें कोई आहत हुआ हो, दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने के दो मास के भीतर जांच करनी होती है। इस समय एक अधिकारी घटना स्थल पर जांच कर रहा है। दो महीने की निर्धारित समयावधि के समाप्त होने से बहुत पहले ही जांच कार्य पूरा करने के भरसक प्रयत्न किये जाते हैं परन्तु स्वयं खान अधिनयम में यह प्राधिकृत है कि संभव है कि विभाग सदैव ही तुरन्त जांच न कर सके।

(ग) उक्त अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

ढ़लान संख्या २ को ठागूडियम में दुर्घटना

*२०७. श्री **विट्ठल राव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९ सितम्बर, १९५२ को ढ़लान संख्या २ को ठागुडियम में हुई दुर्घटना के कारग ;

(ख) यद्यपि दुर्घटना को हुए एक महीने से अधिक हो चुका है, कोई जांच क्यों नही की गई है ; तथा

(ग) क्या सरकार, जैसा कि श्रम मंत्री ने ३० जुलाई, १९५२ को हुए आध घन्टे की चर्चा में वायदा किया था कम से कम एक जांच न्यायालय नियुक्त करने की प्रस्थापना करती है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरी) : (क) से (ग)। माननीय सदस्य का ध्यान प्रश्न संख्या २०६ के सम्बन्ध में दिये गये मेरे उत्तर की ओर आकृषित किया जाता है। इस मामले में दुर्घटना का कारण पत्थरों के एक ढेर का गिर पड़ना था।

सिंगरेनी कोयलाखान कम्पनी

*२०८. **श्री विट्ठल राव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सिंगरेनी कोयला-खान कम्पनी द्वारा सन् १९४९ से मकानों के निर्माण कार्य के प्रारम्भ न किये जाने के कारण; तथा

(ख) गत तीन वर्षों में उक्त कम्पनी द्वारा क्या क्या श्रम कल्याण गतिविधियां प्रारम्भ की गई हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) भारत सरकार को वास्तविक कारणों के सम्बन्ध में कुछ भी विदित नहीं है। निर्माण कार्य के पुन प्रारम्भ कराये जाने के लिए कार्यवाहियां की जा रही हैं।

(ख) आमोद-प्रमोद सुविधायें, जैसे कल्याण केन्द्रों को खोलना और चलाना, खेल कूद की व्यवस्था करना, मुफ्त सिनेमा दिखाना, मलेरिया विरोधी कार्यवाहियां करना, शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें जैसे प्रौढ़ शिक्षाकेन्द्र खोलना और चलाना, प्राईवेट स्कुलों को अनुदान देना, सब्ज़ी तरकारी के फार्म खोलना, स्वास्थ्य सप्ताहों का मनाना और चिकित्सकीय सुविधायें देना, इत्यादि विभिन्न गतिविधियां हैं जो इस समय हैदराबाद कोयला क्षेत्रों में दी जा रही हैं।

चिकमगलूर जिले में रेलवे उपकर

*२०९. **श्री नंदिया गौडी** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) चिकमगलूर जिले (मैसूर) में कब से और किस हेतु रेलवे उपकर वसूल किया जा रहा है;

(ख) अब तक वसूल की गई समस्त धनराशि;

(ग) उक्त धनराशि के किस प्रकार व्यय किये जाने की प्रत्याशा है;

(घ) क्या उक्त जिले के निवासियों ने एक ज्ञापन द्वारा सरकार से यह प्रार्थना की है कि रेलवे लाइन को कदूर से चिकमगलूर होते हुए मंगलौर तक बढ़ा दिया जाये, इस का क्या परिणाम हुआ ; तथा

(ङ) इस लाईन को खोलने में कितने धन की आवश्यकता होगी ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) रेलवे कोई उपकर वसूल नहीं करती है।

(ख) और (ग) । प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

(घ) नगर म्युनिस्पिल कमेटी चिक-मगलुर के सभापति ने अगस्त १९५२ में कदूर से मंगलौर तक रेलवे लाईन बनाई जाने के सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था । परन्तु सीमित आर्थिक साधनों और अन्य उच्चतम प्राथमिकता प्राप्त अनेकों आवश्यक परियोजनाओं में जिनके निर्माण को केन्द्रीय यातायात पर्षद् ने स्वीकार कर लिया है, सभी उपलब्ध संसाधनों को काम में लाने की हमारी प्रतिज्ञाओं के कारण स प्रस्थापना को विलम्बित कर दिया गया था ।

(ङ) सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस योजना का मंगलौर तक परिमाप नहीं किया गया है

मद्रास-मंगलौर रेलगाड़ी

* २१०. **श्री बासप्पा :** (क) रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मैसूर के मुख्य मंत्री ने हाल ही में केन्द्रीय रेल मंत्री से मदरास और मंगलौर के बीच बूरिंगपेट होकर एक सीधी रेल लाईन बनाई जाने के सम्बन्ध में कोई प्रतिनिधान किया था ?

(ख) क्या भारत सरकार इस मामले में कोई भू-मापन कार्य प्रारम्भ कर रही है ?

(ग) वह कौन सी नई रेलवे लाइनें हैं जिन के बनाये जाने के लिए गत वर्ष में कई बार मदरास सरकार की ओर से इस सरकार से प्रतिनिधान किये गये हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) उत्तर हां में है ।

(ख) इस समय नहीं ।

(ग) इन रेलवे लाइनों के बनाये जाने के लिए प्रतिनिधान प्राप्त हुए थे-- (१) कुदूर-चिकमगलूर-मंगलौर, (२) चतर्लदुर्ग, रायदूर्ग तथा (३) छामराजनगर--सत्यमंगलम ।

प्रधान मंत्री द्वारा पीड़ित क्षेत्रों का दौरा

* २११. **श्री बासप्पा :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री उन स्थानों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे जहां प्रधान मंत्री अपने हाल ही के मैसर राज्य के विपत्तिग्रस्त क्षेत्रों के दौरे के समय गये थे ?

(ख) उस क्षेत्र का विस्तार तथा जनसंख्या कितनी है ।

(ग) प्रधान मंत्री को दिये गये ज्ञापनों में विपत्तिग्रस्त क्षेत्र की जनता ने किन मुख्य सहायता कार्यवाहियों का उल्लेख किया था ?

(घ) इन ज्ञापनों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कायवाही की है ?

(ङ) क्या प्रधान मंत्री के दौरे के पश्चात मैसूर राज्य को कोई अतिरिक्त सहायता दी गई है, यदि हां, तो यह सहायता किस प्रकार की है तथा उसका विस्तार कितना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) मैसूर राज्य के विपत्तिग्रस्त क्षेत्रों में हाल ही में दौरा करते समय प्रधान मंत्री

ने टुमकूर, चितलदुर्ग और कोलार ज़िलों के इन स्थानों का मख्यतया दौरा किया था:—

पवगड़ा, परसुरामपुरा, चल्लेकेरी, हिरिपुर, सीरा, मधुगिरि, गेरीबिदपुर, गुडीबन्डा, बागेपल्लू और पलासमुद्रम ।

(ख) (१) प्रायः दो-तिहाई राज्य में ।

(२) अभाव से प्रायः ५० लाख व्यक्ति पीड़ित हैं ।

(ग) लोगों द्वारा जिन मुख्य सहायता कार्यों का सुझाव दिया गया था वह यह हैं:

(१) मद्रा योजना में शीघ्रता करना;

(२) थोड़ी दूर जाने वाली बहुत सी रेल लाइनों को खोलना;

(३) विभिन्न गृह तथा अन्य उद्योगों और विशेष कर खड्डी उद्योग को स्थापित करना तथा विकसित करना ;

(४) नये कुओं, नलकूपों और तालाबों का खोदना और पुरानों की मरम्मत करना;

(५) ग्राम्य यातायात साधनों और जल व्यवस्था को सुधारना;

(६) और अधिक खिचड़ी केन्द्र खोलना ;

(७) जल तथा खनिज संसाधनों का परिमापन करना;

(८) सामुदायिक परियोजनाओं को संगठित करना; तथा

(९) केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायताओं, अनुदानों, तक़ावियों तथा निर्वाह ऋणों का दिया जाना ।

(घ) उक्त ज्ञापनों को वहां के मुख्य मंत्री के पास समुचित कार्यवाही करने के लिए भेज दिया गया था ।

(ङ) जी नहीं ।

अलमुरु में सड़क का पुल

*२१२. **श्री के० सुब्रह्मण्यम :** (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि गोदावरी नदी पर अलमुरू में एक सड़क का पुल बनाने के लिए दो वर्ष पहले शिलान्यास किया गया था ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो पुल के निर्माण में कितनी वृद्धि हुई है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां ।

(ख) सुरक्षात्सक कार्य (जैसे गिट्टी कूटना और किनारे के पुश्ते बनाना) प्रारम्भ कर दिये गये हैं । पुल निर्माण सम्बन्धी मुख्य कार्य को करने के लिए मूल्य वेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं ।

विजयवाडा में कृष्णा पर सड़क का पुल

*२१३. **श्री के० सुब्रह्मण्यम :** क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विजयवाडा में कृष्णा पर सड़क का पुल बनाये जाने की प्रस्थापना का क्या परिणाम हुआ ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): इस कार्य को चालू पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है और उसके सन् १९५३-५४ में प्रारम्भ किये जाने की प्रस्थापना है । भू-परिमापन कार्य किया जा रहा है ।

काकीनाडा हो कर मदरास-कलकत्ता रेल लाईन

*२१४. **श्री के० सुब्रह्मण्यम :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मदरास कलकत्ता मेन लाईन को काकीनाडा हो कर ले जाने की प्रस्थापना क्या अब त्याग दी गई है;

(ख) इस विषय को कितनी बार केन्द्रीय यातायात पर्षद् की कार्य-सूची में रखा गया;

(ग) इस पर कितनी बार चर्चा हुई; तथा

(घ) किन कारणों से इस पर विचार करना स्थगित कर दिया गया ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी नहीं, अभी इस का निर्णय होना है।

(ख) दो बार, एक बार सन् १९४९ में जब कि केन्द्रीय यातायात पर्षद् ने परिमाण तथा अंजनकीय परिमापन कार्य प्रारम्भ किये जाने का निर्णय किया और दूसरी बार पिछले अगस्त में।

(ग) एक बार सन् १९४९ में।

(घ) अपनी पिछली अगस्त वाली बैठक में केन्द्रीय यातायात पर्षद् ने मदरास सरकार के प्रतिनिधियों की प्रार्थना पर इस परियोजना पर अग्रेतर विचार अपनी अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया था।

आयुर्वेदिक तथा यूनानी वैद्य हकीम तथा होम्योपैथ डाक्टर (पंजीयन)

*२१५. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि किन राज्यों म आयुर्वैदिक तथा यूनानी वैद्य, हकीमों और होम्योपैथ डाक्टरों के पंजीयन का कार्य प्रारम्भ किया गया है तथा पूर्ण हो गया है ?

(ख) प्रत्येक राज्य में प्रत्येक की संख्या कितनी ह ?

(ग) किन राज्यों ने अभी तक इस प्रकार के पंजीयन का कार्य प्रारम्भ नहीं किया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) से (ग)। अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

चिकित्सकीय भंडार तथा डीपो

*२१६. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी :

(क) क्या चिकित्सकीय भंडारों तथा डिपोओं के कार्यकरण की हाल ही में जांच की गई है; तथा

(ख) क्या सरकारी तथा स्थानीय निकायों के अस्पतालों तथा चिकित्सकीय विद्यालयों को औषधियों की पर्याप्त तथा सामयिक प्रदाय दी जाती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) जी हां। वस्तुतः चिकित्सकीय भंडारों तथा डीपोओं के कार्यकरण की निरन्तर जांच की जाती रही है।

(ख) जी हां।

गहन समुद्र तथा तटीय मत्स्य गृहण

*२१७. **श्री अच्युतन्** : (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलान की कृपा करेंगे कि भारत में गहन समुद्र तथा तटीय मत्स्य गृहण के विस्तार के सम्बन्ध में कोई परिमापन किया गया था, यदि किया गया था, तो परिणाम क्या थे ?

(ख) कितने व्यक्ति मत्स्य ग्रहण का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विदेशों को भेजे गये हैं और उनके वापस लौटने पर उनकी सेवाओं को काम म लाने के सम्बन्ध में क्या कोई कार्यक्रम बनाया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) अब तक किये गये प्रारम्भिक प्रकार

के परिमापन से यह परिणाम ज्ञात हुए हैं:-

गहन समुद्र : बम्बई समुद्रतट के सामने बम्बई से २००-३०० मील की परिधि में किये गये परिमापन कार्य समाप्त हो गये हैं, और मीन क्षेत्रों, मछली पकड़ने का मौसम, मछली पकड़ने का विस्तार, भारतीय अवस्थाओं के अनुकूल विभिन्न प्रकार के मछली मारने वाली नावों तथा उपकरणों की उपयोगिता की जांच, मछली के सुरक्षण के सम्बन्ध में अनुसंधान तथा प्रयोग करने का कार्य, और भारतीय मछलहारों को नवीनतम मत्स्य गृहण के तरीकों का प्रशिक्षण देने का कार्य पूर्ण हो चका है ।

इस के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष १९५१-५२ (जून से अक्तूबर तक के मानसून वाले मौसम के अतिरिक्त) में भारत सरकार के गहन समुद्र मत्स्य गृहण केन्द्र बम्बई से लगे चार मछली पकड़ने वाले जहाजों ने ५,४२२ मन मछलियां और तीन लाख मैकेरल (जिनका भार ७३४ मन था), जिन का सम्पूर्ण मूल्य प्रायः १,२१,९८० रुपये था, पकड़ीं ।

तटीय: पश्चिमी तट की झींगा मच्छी के जीवन इतिहास की विस्तार से जांच की जा चुकी है । व्यापार की दृष्टि से आवश्यक मछलियों, जैसे सारडीन, मैकेरल, बैम्बे डक, रिबन फ़िश, पर्च और मालाबार संलि की जांच प्रारम्भ की की गई है । ऊपरी सतह के समुद्रजल के तापक्रम रिकार्ड के साथ साथ समुद्रजल के नमूनों का संग्रह करके समुद्र में लवण का वितरण भी ज्ञात किया जा चुका है ।

(ख) चार सूत्री योजना के अन्तर्गत, भारत सरकार ने केन्द्रीय समुद्री मत्स्यगृहण अनुसन्धान केन्द्र, मंडपम के एक अनुसन्धान अधिकारी को मत्स्यजीव विज्ञान में इंगलैण्ड में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रतिनियुक्त किया है । वापस आने पर वह मंडपम अनुसन्धान केन्द्र में मुख्य गहन समुद्र मत्स्यगहण में अनुसन्धान कार्य करेगा ।

मत्स्य उद्योग

*२१८. **श्री अच्युतन**: (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में अभी तक कितनी मछली बाहर निर्यात की गई है तथा किन देशों को ?

(ख) गत दो वर्षों में मत्स्यगृहण उद्योग के विकास के लिए किस प्रकार की विदेशी सहायता प्राप्त हुई है, इस वर्ष तथा अगले वर्ष में और क्या सहायता प्राप्त होने की आशा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) सूचना उपलब्ध नहीं है; और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) गत दो वर्षों में भारत सरकार को मत्स्य उद्योग के विकास के लिए कोई विदेशी सहायता नहीं मिली है । भारतीय-संयुक्त राज्य कार्य संचालन करार संख्या ५ के अनुसार, हम को समुद्र मत्स्य-ग्रहण के विस्तार तथा आधुनकीकरण के लिए अगले दो वर्षों में २४,६२,००० डालर व्यय करने हैं । इस में मशीनों की खरीद तथा विधिविज्ञों की भरती भी शामिल है ।

मेरठ-लखनऊ ट्रेन

*२१९. **श्री के० आर० शर्मा**: क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को उत्तरी रेलवे को मेरठ-लखनऊ ट्रेन में ऊंची श्रेणियों में और अधिक स्थान की व्यवस्था करने तथा तीसरी श्रेणी के और डब्बे जोड़े जाने के सम्बन्ध में कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ट्रेन में अधिक स्थान की व्यवस्था करने तथा और तीसरे श्रेणी के डब्बे जोड़ने की प्रस्थापना करती है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) मेरठ-लखनऊ के बीच थ्रू ट्रेन में वर्तमान उच्च श्रेणी के उपलब्ध स्थान में उच्च श्रेणी के अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था करने के सम्बंध में कोई प्रतिनिधान प्राप्त नहीं हुआ है ; परन्तु गाजियाबाद होकर मेरठ नगर से सीधे लखनऊ जाने वाले डब्बे में अतिरिक्त तीसरे दर्जे के स्थान की व्यवस्था करने के लिए प्रतिनिधान प्राप्त हुए हैं।

(ख) १ अक्तूबर, १९५२ से एक सीधा जाने वाला डब्बा मेरठ सिटी और लखनऊ के बीच चल रहा है। अधिक ट्रेन स्थान उपलब्ध न होने के कारण, अपेक्षित सीधे जाने वाले डब्बे की व्यवस्था करना संभव नहीं है।

केबुलों की ख़रीद

*५४. **डा० अमीन** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९४८, १९४९, १९५०, १९५१ और १९५२ (जुलाई तक) में भारत सरकार द्वारा खरीदे गये ट्रैलीग्राफ़ केबुलों का लम्बाई में परिमाण ;

(ख) किस मूल्य पर यह केबुल ख़रीदे गये थे, उन देशों के नाम जहां से यह ख़रीदे गये थे, प्रत्येक देश से ख़रीदे गये तारों की लम्बाई तथा रुपयों में मूल्य पृथक पृथक बतलाये जायें ; तथा

(ग) क्या यह केबुल सीधे ही ख़रीदे गये थे या ऐजैन्टों के द्वारा ख़रीदे गये थे, और यदि ऐजैन्टों के द्वारा ख़रीदे गये थे तो उन ऐजैन्टों के नाम ओर उनको दी गई दस्तूरी की प्रतिशतता ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) । प्रत्येक देश से अपेक्षित वर्षों में ख़रीदे गये टेलीग्राफ केबुलों की लम्बाई तथा मूल्य बतलाने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४८]**।

(ग) कुछ के अतिरिक्त सभी केबुल रसद तथा उत्सर्जन महासंचालक द्वारा खरीदे गये थे और उसने उस मूल्य वेदन-पत्र आमंत्रित करके प्राप्त किया था। प्रायः सभी मामलों में, विदेशी निर्माताओं के स्थानीय एजैन्टों को आदेश दिये गये थे, अतः दस्तूरी देने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

खाद्यान्नों का उत्पादन

५५ श्री **एस० एन० दास** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या १९५१-५२ के खाद्यान्न-उत्पादन के अन्तिम प्राक्कलन पूर्ण हो गये है ?

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों का उत्पादन क्या रहा है ?

(ग) क्या राज्यों के लिए नियत लक्ष्य आंकड़े प्राप्त हो गये हैं ?

(घ) सम्पूर्ण उत्पादन सम्पूर्ण लक्ष्य आंकड़ों से कितना कम रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४९**]

(ग) और (घ). इस समय यह बतलाना, कि अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के अन्तर्गत वर्ष १९५१-५२ के लिए विभिन्न राज्यों के सम्बन्ध में नियत किये गये अतिरिक्त उत्पादन लक्ष्य प्राप्त हो गये हैं अथवा नहीं, बहुत कठिन है, क्योंकि वर्ष भर में हुए अतिरिक्त उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

यात्री सुविधा समितियां

५६. **श्री एस० एन० दास** : (क) क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सभी भारतीय रेलवेज़ में यात्री सुविधा समितियां बना दी गई हैं, और क्या उन्होंने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है ?

(ख) वर्ष १९५२-५३ के लिए उन के द्वारा की गई मुख्य सिफ़ारशें क्या हैं ?

(ग) क्या उत्तर पूर्वी रेलवे की समिति की बैठक हुई है और उसने अपनी सिफ़ारिशें प्रधान प्रबन्धक को दे दी हैं ?

(घ) यदि हां, तो वह सिफ़ारिशें क्या हैं, और उन को कार्यान्वित करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां, केवल उत्तरी रेलवे के अतिरिक्त जिस में ऐसी समिति बनाई जा रही है।

(ख) इस प्रकार की यात्री सुविधा समितियां केवल मात्र पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बनाई गई थीं, और इस कारण वह सन् १९५३-५४ के विषय में ही यात्री सुविधा कार्यवाहियों के सम्बन्ध में सिफ़ारिश कर सकी हैं। वर्ष १९५३-५४ के सम्बन्ध में यात्री सुविधा समितियों द्वारा की गई आवश्यक सिफ़ारिशों को बताने वाला एक संक्षिप्त विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिय परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५०**]

(ग) जी हां।

(घ) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विस्तृत विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५०**]

गंगा-ब्रह्मपुत्रा यातायात पर्षद्

५७. **श्री एस० एन० दास** : (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गंगा-ब्रह्मपुत्रा यातायात पर्षद् द्वारा सूचित आवश्यक कार्यक्रम क्या हैं ?

(ख) क्या इनमें से किसी भी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए प्रारम्भ किया गया है ?

रेल तथा यातयात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) वर्ष १९५२-५३ के निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित तथा गंगा ब्रह्मपुत्रा यातायात पर्षद् द्वारा स्वीकृत विषय यह हैं :

(१) गंगा नदी के छिछले भाग में नावों तथा बेड़ों को बांध कर खींच ले जाने के लिए छिछले पानी वाले खैंचू बोटों को काम में लाने की वाछनीयता का परीक्षण करने के लिए अग्रिम प्रदर्शन परियोजना को सूचित करना; तथा

(२) हाल ही में आई बाढ़ों के कारण ब्रह्मपुत्रा में नौपरिवहन समस्याओं सम्बन्धी छानबीन करना।

(ख) (१) श्री जे० जे० सूरी अन्तर्देशीय नौपरिवहन विशेषज्ञ,

जिनको यू० एन० टी० ए० ए० द्वारा अग्रिम प्रदर्शन परियोजना की रूप-रेखा तैयार करने के लिए प्रति नियुक्त किया गया है, २३ अक्तूबर, १९५२ को भारत आ गये हैं और अपेक्षित प्रारम्भिक छानबीन कर रहे हैं।

(२) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के एक विशेषज्ञ ने जुलाई-अगस्त १९५२ में आसाम के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उसकी सिफारिशें इस प्रकार की सूचनाओं, जैसे निश्चित स्थानों पर जल बहाव का निरीक्षण और इस प्रकार की व्यवस्थाओं, जैसे अवरोधकों को हटाना, प्रकाश का अधिक उत्तम प्रबन्ध करना, तथा डिब्रूगढ़ पर एक नया घाट बनाना, इत्यादि के सम्बन्ध में हैं।

अमरीकन कृषिकार्य प्रविधिविज्ञों की बैठक

५८. **श्री मोहन राव :** (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत स्थित अमरीकन कृषिकार्य प्रविधिविज्ञों की कोई बैठक सामुदायिक परियोजना योजना के सम्बन्ध में होने को है या पहले ही हो चुकी है ?

(ख) इस बैठक की क्या आवश्यकता थी ?

(ग) इस बैठक में किस किस ने भाग लिया और उन में से प्रत्येक कितने दिनों तक भारत में टिका ?

(घ) उक्त कालावधि में प्रत्येक ने कितना कितना कार्य कर लिया था ?

(ङ) भारत की स्थानीय अवस्थाओं के सम्बन्ध में उन के अनुभव क्या थे ?

(च) भारत सरकार की ओर से किसने उस बैठक में भाग लिया ?

(छ) क्या भारतीय कृषि कार्य प्रविधिविज्ञों को भी अपना मत प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया था ?

(ज) क्या सरकार उस बैठक तथा उस में हुए निर्णयों सम्बन्धी रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखने की प्रस्थापना करती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) भारत स्थित अमरीकन कृषिकार्य प्रविधिविज्ञों की एक बैठक १ से ५ सितम्बर, १९५२ को आगरा में हुई थी।

(ख) यह बैठक विस्तार कार्यकर्त्ताओं को प्रस्तावित कार्यक्रम पर चर्चा करने का अवसर देने तथा किस प्रकार उन का कार्य सुधर सकता है इसके सम्बन्ध में साधन तथा उपाय निश्चित करने के लिए की गई थी।

(ग) ३७ अमरीकन कृषिकार्य प्रविधिविज्ञों ने बैठक में भाग लिया। एक विवरण जिसमें उनके नाम, उनके भारत आने की तिथि तथा उनके लिए निर्धारित कार्यों का वर्णन दिया हुआ है, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५१**]

(घ) उनका काम कृषिकार्यों सम्बन्धी मामलों में साधारणतया तथा विकास कार्यों सम्बन्धी मामलों में विशेष रूप से प्रविधिक परामर्श देना है।

(ङ) उन के भारत की स्थानीय अवस्थाओं विषयक अनुभवों के सम्बन्ध में सूचना अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(च) श्री विष्णु सहाय, सचिव, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय, डा० बी० एन०

उप्पल, भारत सरकार के कृषिकार्य सम्बन्धी आयुक्त, श्री एस० के० डे०, प्रशासक सामुदायिक परियोजना प्रशासन तथा श्री ए० डी० बोहरा, उपसंचालक, सामुदायिक परियोजना प्रशासन, ने भारत सरकार की ओर से बैठक में भाग लिया था।

(छ) जी हां।

(ज) उक्त बैठक की कार्यवाही के विवरण की एक प्रति सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

भारतीय नौपरिवहन (अर्जन)

५९. **श्री बी० पी० नायर**: क्या **यातायात** मंत्री सन् १९५१ में भारतीय नौ परिवहन द्वारा भाड़े तथा यात्री किराये के रूप में प्राप्त हुई सम्पूर्ण आय तथा उसी अवधि में भारत से विदेशी नौ परिवहन द्वारा अर्जित धनराशि बतलाने की कृपा करेंगे ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): माननीय सदस्य का ध्यान श्री मुरारका द्वारा २७ जून, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२७७ तथा श्री वंसल द्वारा २२ जुलाई, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९९२ के भाग (क) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर आकर्षित करूंगा।

मछली पकड़ना

६०. श्री **बी० पी० नायर**: (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री समुद्री, नदीय तथा मीठे पानी में से प्रति वर्ष भारत में पकड़ी गई मछली का अनुमानित परिमाण बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) वर्ष १९४७ की तुलना में परिमाण में कितनी वृद्धि हुई है ?

(ग) भारत में इस समय प्रति व्यक्ति मछली की खपत कितनी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) सन् १९५१ में मत्स्य उत्पादन इस प्रकार था :

समुद्री, नदीय समेत	५,२५,००० टन
मीठे पानी की मछलियां (विक्रय योग्य अतिरेक)	२,१५,००० टन
	७,४०,००० टन

(ख) २,३२,५०० टन

(ग) ३,९८ पौंड

बिना टिकट यात्रा

६१. **प्रो० अग्रवाल**: क्या **रेल** मंत्री भारतीय रेलवेज़ में बिना टिकट यात्रा को निश्चयात्मक रूप से रोकने के लिए की गई कार्यवाहियों के सम्बन्ध में बतलाने की कृपा करेंगे तथा उनसे क्या परिणाम प्राप्त हुए ह ?

रल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): साधारण कार्यवाहियों, जैसे चलती गाड़ी में तथा स्टेशनों पर टिकट की जांच के अतिरिक्त भारतीय रेलवेज पर बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए अब की गई कार्यवाहियां इस प्रकार हैं :

(१) टिकट जांचने वाले अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति।

(२) उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों से मजिस्ट्रेटों तथा पुलिस की सहायता से टिकटों की जांच की जाने की प्रणाली को अब बिहार में भी लागू कर दिया गया है।

(३) अत्यन्त बदनाम क्षेत्रों में आकस्मिक तथा अधिकाधिक टिकट जांचने की प्रणाली चालू करना।

(४) बिना टिकट दिखाये तेजी से निकले चले जाने की अपेक्षा उपनगरीय यात्रियों में द्वार पर सीजन टिकट दिखाने का अभ्यास कराने के लिये किये गये विशेष प्रयत्न।

(५) उपनगरीय क्षेत्रों में स्वयं टिकट छापने तथा बांटने वाली मशीनों का लगाया जाना। यदि टिकट जल्दी मिल जाते हैं तो यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करने का लोभ कम होता है।

सन् १९५२-५३ के प्रथम छः मासों में बिना टिकट यात्रा करने वाले पकड़े गये यात्रियों के आंकड़े सन् १९५१-५२ की उसी अवधि के आकड़ों की तुलना में ३९ लाख से कम हो कर ३५ रह गये हैं।

टैलीफून एक्सचेंज

६२. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पश्चिमी बंगाल के हिजली, खड़गपुर और मिदनापुर के ऐक्सचेंज कब खोले गये थे ;

(ख) अभिदाताओं से प्रारम्भ में कितनी धनराशि वसूल की गई थी और आवर्त्तक शुल्क कितने हैं ;

(ग) इन एक्सचेंजों के बीच परस्पर कितनी दूरी है;

(घ) क्या नये एक्सचेंजों को खोलने पर पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले के किसी भाग में और अधिक टैलीफ़ून लाइनें बढ़ाने की क्या कोई प्रस्थापना है; तथा

(ङ) सारे जिले भर में कितने सार्वजनिक टैलीफ़ून काल आफिस हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) **हिजली :** सेवा से लिया गया प्राइवेट शाखा ऐक्सचेंज ३१–८–१९४६

खड़गपर : ३१–३–१९५२

मिदनापुर : १०–४–१९४८

(ख) विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५२**] आवर्त्तक शुल्क वही है जो दोनों विवरणों में दिखाये गये हैं। संस्थापन शुल्क केवल एक बार प्रारम्भ में ही वसूल किया जाता है।

(ग) (१) खड़गपुर-हिजली के बीच १·५ मील

(२) खड़गपुर-मिदनापुर के बीच ६·० मील

(३) हिजली-मिदनापुर के बीच ७·५० मील

(घ) जी नहीं। मिदनापुर तथा खड़गपुर के वर्तमान टैलीफ़ून ऐक्सचेंजों के विस्तार करने की प्रस्थापनायें विचाराधीन हैं।

(ङ) चार।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम

६३. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किन राज्यों में कृषि कमकरों की न्यूनतम मजूरी की दरें निश्चित कर दी गई हैं तथा यह दरें क्या हैं ?

(ख) किन किन राज्यों ने न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत पहले से ही समितियां नियुक्त कर दी हैं ?

(ग) कौन से राज्य इस मामले में अभी तक चुप हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत पंजाब, दिल्ली, अजमेर, कच्छ, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, कुर्ग, बिहार तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा कृषि सम्बन्धी न्यूनतम मजूरियां निश्चित कर दी गई हैं। अधिसूचनाओं की प्रतियां सदन पटल पर रखी जाती हैं। **[प्रतियां पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या पी-७३/५२]**

(ख) कृषि में मजूरी की न्यूनतम दरें निश्चित करने के सम्बन्ध में परामर्श देने के हेतु आसाम, मध्य भारत तथा पैप्सू की राज्य सरकारों ने न्यूनतम मजूरी अधिनियम १९४८ की धारा ५ (१) (क) के अन्तर्गत समितियां नियुक्त कर दी हैं।

(ग) कृषि श्रम के सम्बन्ध में इस अधिनियम को लागू करने के लिए सभी राज्य सरकारें आवश्यक कार्यवाहियां कर रही हैं।

टैलीग्राफिक सम्बन्ध

६४. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार के समक्ष (१) अंदर तरही और खुटुअना बाजार हो कर जानजारपुर से लोखा बाज़ार और (२) अरारिया और फुलपरस हो कर जानजारपुर से लोखी-बाज़ार तक टैलीग्राफ सम्बन्ध स्थापित करने की कोई प्रस्थापना है; तथा

(ख) यदि है, तो प्रस्थापना इस समय किस स्तर पर है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) जी हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

त्रावनकोर-कोचीन में राष्ट्रीय राज मार्ग

६५. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर** : क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५१-५२ में त्रावनकोर-कोचीन राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर व्यय हुई समस्त धनराशि;

(ख) वर्ष १९५२-५३ के लिए राज्य को आवंटित धनराशि ;

(ग) क्या इस वर्ष एलप्पी-एरनाकुलम सड़क पर स्थित अरून पुल के बनाये जाने का कार्य प्रारम्भ करने का कोई विचार है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) ०·५० लाख रुपया।

(ख) अब तक ३·२१ लाख रुपया आवंटित किया जा चुका है।

(ग) जी हां, यदि प्रारम्भिक परिमाप कार्य, जो कि प्रारम्भ कर दिया गया है, तथा विस्तृत प्राक्कलनों की तैयारी का काम समय रहते खत्म हो सकेगा।

गन्ना तथा चीनी की कीमतें

६६. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) गन्ने तथा चीनी की कीमतों की संगणना करते तथा उनको निश्चित करते समय ध्यान में रखे गये तथ्य; तथा

(ख) क्या अन्तर्ग्रस्त तथ्यों के परिव्यय के सम्बन्ध में कमी या बेशी होने के कारण क्या निश्चित मूल्यों में भी कोई तत्संवादी कमी या बेशी हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) उन तथ्यों के सम्बन्ध में, जिनके

आधार पर गन्ने की क़ीमत निश्चित की जाती है, माननीय सदस्य का ध्यान २५ जुलाई, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१११ के भाग (ख) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है।

चीनी की क़ीमत निश्चित करते समय जिन तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है वह यह है :

(१) गन्ने की क़ीमत।

(२) गन्ने से चीनी की निकासी।

(३) निर्माण व्यय।

(४) सरकार द्वारा लगाये गये कर :

(ख) गन्ने की क़ीमतों को प्रभावित करने वाले तथ्य उसके मूल्यों में और चीनी के तत्संवादी मूल्यों में बहुत अधिक कमी की मांग करते हैं। सन् १९५२-५३ के मौसम के लिए चीनी की क़ीमतें निश्चित नहीं की गई हैं।

त्रिदलीय औद्योगिक समिति

६७. **श्री एन० पी० सिन्हा** : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में कोयला खनन से सम्बन्धित त्रिदलीय औद्योगिक समिति के क्या कृत्य हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : कोयला खनन सम्बन्धी औद्योगिक समिति के कृत्य विशेषतया कोयला खनन उद्योग से सम्बन्धित विशिष्ठ समस्याओं पर चर्चा करना है।

बंजर भूमियों में उगी घास

६८. **श्री जसानी** : (क) क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रेलवे की स्वामित्व वासी बंजर भूमियों में उगी घास को वेचने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा साधारणतया क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

(ख) चालू वर्ष में रेलवे की स्वामित्व वाली बंजर भूमियों में उगी घास के चरावर अधिकार बेचने से रेलवे को कुल कितनी आय हुई ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) रेलवे की फालतू भूमियों पर उगी घास को बेचने के दो तरीक़े, (१) स्थानीय नीलाम द्वारा तथा (२) घास की बिक्री के सार्वजनिक मूल्य-वेदन पत्र मांग कर, रेलवे प्रशासन द्वारा अपनाये जाते हैं।

(ख) रेलवे की भूमि पर साधारणतया घास चराने की आज्ञा नहीं है। चालू वर्ष में रेलवे को घास की बिक्री से हुई आय के आंकड़े प्राप्त किये जायेंगे और सदन पटल पर रख दिये जायेंगे। सन् १९५१-५२ में इस स्रोत से हुई कुल आय ५ लाख रुपये के लगभग थी।

टिड्डी के बच्चे

६९. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मानसून वाली सन्तति के टिड्डी के बच्चे किन्हीं राज्यों में दिखाई दिये थे ;

(ख) यदि हां, तो किस राज्य अथवा किन राज्यों में यह बच्चे दिखाई दिये थे ; तथा

(ग) इन बच्चों को नियंत्रण में करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाहियां, यदि कोई, की गई हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) :

(क) जी हां।

(ख) राजस्थान, पंजाब (भारत), पैप्सू, उत्तर प्रदेश, अजमेर और बम्बई ।

(ग) की गई कार्यवाहियां यह थीं—

(१) बी० एच० सी० (२-१० प्रतिशत) छिड़कना ;

(२) खाइयां खोदना ;

(३) जलाना ;

(४) तरल बी० ऐच० सी० ५० प्रतिशत, छिड़कना ;

(५) आकाश से एल्ड्रिन छिड़कना;

(६) विषैली खाद्य वस्तुओं का प्रयोग ।

नौकरों के डिब्बे

७०. **डा० राम सुभग सिंह** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि भारतीय रेलों में उच्च श्रेणी के यात्रियों के नौकरों के लिए अलग डिब्बे रखने की प्रथा को समाप्त कर देने का निश्चय किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो यह निश्चय कब से क्रियान्वित होगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां, नये नमूने के बने सभी डिब्बों में ।

(ख) तुरत ही, नये नमूने के बने डिब्बों में ।

रेलवे में अन्नपूर्णा सेवा

७१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद् अपनी अन्नपूर्णा सेवा को भारतीय रेलवेज़ में प्रारम्भ करेगी ;

(ख) यदि हां, तो सर्व प्रथम किस रेलवे में तथा कब यह सेवा चालू की जाने को है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां, भारतीय रेलवेज़ पर हम सेवा को प्रयोगात्मक रूप से प्रारम्भ करने की प्रस्थापना है ।

(ख) यह सेवा उत्तरी रेलवे में प्रारम्भ की जायेगी, और अगले वर्ष के प्रारम्भ से इस सेवा के चालू हो जाने की प्रत्याशा है ।

मैसूर रेलवे वर्कशाप

७२. **श्री केशवैयगार** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मैसूर रेलवे वर्क शाप में प्रतिवर्ष कितने रेल के डब्बे बनाये जा रहे हैं ?

(ख) कितने माल डब्बे और इंजन ?

(ग) प्रति मास इन में से कितने डब्बों, माल डब्बों और इंजनों की मरम्मत की जाती है तथा उस का खोल कर साफ़ किया जाता है ?

(घ) प्रति मास वर्क शाप में किये गये काम का नक़द मूल्य क्या है प्रति मास कितना वेतन बिल का भुगतान किया जाता है ?

(ङ) मैसूर सरकार से अथवा अन्य किसी सरकार से कितनी इमारती लकड़ी संमृत तथा प्राप्त की जाती है ?

(च) लकड़ी से बने यात्री डब्बे की औसत आयु क्या होती है ?

(छ) (१) लकड़ी; और (२) स्टील के बने कितने यात्री डब्बे इस समय मैसूर रेलवे सेक्शन में काम में लाये जा रहे हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) २४१४ पहले वाले एककों के रूप में)

(ख) कोई नहीं।

(ग) **इंजन**—

सावधिक सफ़ाई	३ प्रति मास
मध्यकालीन सफ़ाई	३ प्रति मास
विशेष मरम्मत	३ से ५ प्रति मास

यात्री डब्बे—

सावधिक सफ़ाई	५६ से ६०, चार-पहिये वाले एककों के रूप में
अन्य मरम्मतें	१० से १२ प्रति मास

माल डब्बे—

सावधिक सफ़ाई	७५ से ८० प्रति मास
अन्य मरम्मतें	१० से १२ प्रति मास

(घ) वर्कशाप में किये गये काम का नक़द मूल्य	४२०,००० रुपये प्रति मास
भुगतान किये गये वेतन बिल	१८४,००० रुपये प्रति मास

(ङ) वर्ष १९५१-५२ में स्थिति इस प्रकार थी :—

मैसूर सरकार से संप्राप्त की गई इमारती लकड़ी	२५४ टन
प्राप्त हुई इमारती लकड़ी	२३२ टन
अन्य सरकारों से संप्राप्त की गई इमारती लकड़ी	६२ टन
प्राप्त हुई इमारती लकड़ी	४० टन

(च) ३० वर्ष।

(छ)	(१) लकड़ी के	३३७
	(२) स्टील के	कोई नहीं

गोमती का पुल

७३. श्री **आर० एन० सिंह** : क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बनारस-गाजीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गोमती नदी के पुल की देख रेख इत्यादि का दायित्व बनारस स्थित जनवास्तु विभाग के अंजनिक का है;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा उस की देख रेख के सम्बन्ध में किया गया व्यय, तथा

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नहीं में हो, तो कौन प्राधिकार उस की देख रेख के लिए जिम्मेदार है?

रेल तथा यातयात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) और (ग) बनारस-गाज़ीपुर सड़क पर, जो कि एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, गोमती नदी पर एक अच्छे मौसम में काम आने योग्य पीपों का पुल है। केन्द्र इस पुल की देख रेख का व्यय देता है और यह पुल बनारस प्रान्तीय डिवीज़न के कार्यपालिका अंजनिक (एक्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर) के कार्यकरण भार में है।

(ख) इस स्थान पर वर्षा ऋतु में खेवा लगाने और अच्छे मौसम में पीपों के पूल की देख रेख करने में करीब २०,००० प्रति वर्ष व्यय होता है।

मत्स्य-गृहण स्थान

७४. श्री **अच्युतन** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में मत्स्य उत्पादन में हुई वृद्धि की प्रतिशतता का अनुमान करने के लिए कोई आंकड़े उपलब्ध हैं, और यदि हैं, तो वृद्धि की प्रतिशतता क्या है?

(ख) भारत में गहन समुद्र मत्स्य ग्रहण में सधार करने के लिए क्या कार्य-

वाहियां की गई हैं और किन किन नवीनतम उपकरणों को काम में लाया जा रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में मत्स्य उत्पादन में हुई वृद्धि की प्रतिशतता का अनुमान करने के लिए कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु अभी वर्ष १९५१ में मत्स्य उत्पादन का अनुमान ७४० हज़ार टन लगाया गया है।

(ख) भारत में गहन समुद्र मत्स्य ग्रहण के विकास के लिए नवीनतम मत्स्य ग्रहण उपकरणों जैसे ट्रौल्स, प्रतिध्वनि निर्देशक, रेडियो, टैलीफून इत्यादि से कुछ पूर्ण रूप से सज्जित मछली पकड़ने के जहाज़ मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों का पता लगाने, मत्स्य ग्रहण का मौसम ज्ञात करने, मत्स्य ग्रहण की परिमात्रा का अनुमान लगाने तथा भारत की विशिष्ठ परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के मत्स्य ग्रहण उपकरणों तथा जहाज़ों की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए काम में लाये गये हैं। इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही केन्द्रीय मत्स्य ग्रहण अनुसन्धान योजना के तत्वाधान में बम्बई के अग्रिम गहन समुद्र मत्स्य ग्रहण केन्द्र तथा पश्चिमी बंगाल और मद्रास की राज्य सरकारों और मैसर्स दि टाइकको फिशिंग कम्पनी, लिमिटेड, टोकियो, जिस ने भारत सरकार के साथ भारतीय समुद्र में मछली पकड़ने का करार किया है, द्वारा की गई है।

बम्बई के गहन समुद्र मत्स्य ग्रहण केन्द्र के कार्यकरण को करने के हेतु खाद्य तथा कृषि संस्था (एफ. ए. ओ.) के द्वारा विदेशों से किसी मत्स्य ग्रहण औद्योगिक परामर्शक को प्राप्त करने के सम्बन्ध में व्यवस्था पूर्ण हो चुकी है। बहुत से भारतीयों को नवीनतम मत्स्य ग्रहण तरीक़ों में प्रतिक्षिण कर दिया गया है और एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार काम किया जा रहा है।

विभिन्न प्रकार के मत्स्य ग्रहण के उपकरण; जैसे ट्रौल्स के छल्लेदार भालों, हैरिंग पकड़ने के छल्लेदार ट्रौल जालों और तीन प्रकार के जालों को बम्बई के गहन समुद्र मत्स्य ग्रहण केन्द्रों में काम में लाया गया है। डैनमार्क के बने दो ट्रौलर जिनको दिसम्बर १९५० में आयात किया गया था इस समय पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के समुद्र तटों पर काम कर रहे हैं। टी. सी. ए. के अनुसार, कुछ पर्त सिनर्स, बहुप्रयोजनीय मछली पकड़ने की नावें, शीत संग्रह, मत्स्य ग्रहण उपकरणों तथा नौ विदेशी प्रविधिविज्ञों को प्राप्त करने की प्रस्थापना है।

रेलवे के यात्री डब्बे

७५. श्री के० आर० शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) रेलवेज़ को नये प्रकार के बिजली के पंखे लगे सुधारे हुए माडलों के तीसरी श्रेणी के कितने डब्बे अब तक प्रदाय किये जा चुके है ; तथा

(ख) उत्तरी रेलवे को आवंटित किये गये इस प्रकार के डब्बों की संख्या ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) ३०-९-५२ तक २९९-

(ख) ६६.

ट्रेनों के मार्ग रक्षण वाले विभाग

७६ श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में वह कौन सी रेलवेज़ है जिन में ट्रेनों के मार्ग रक्षण विभाग हैं, और उन

को यात्रियों की, और विशेषकर दूर जाने-वाली अधिक आवश्यक ट्रेनों में, सुरक्षा के लिए कहां तक काम में लाया जा रहा है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री **एल० बी० शास्त्री**) : भारतीय रेलवेज में ट्रेनों के मार्गरक्षण सम्बन्धी स्थिति इस प्रकार है :—

दक्षिणी रेलवे : सभी आवश्यक ट्रेनों के साथ सरकारी रेलवे पुलिस का एक कांस्टेबुल यात्रा करता है। और किसी मार्ग सुरक्षण की व्यवस्था नहीं है।

केन्द्रीय रेलवे : बम्बई-पूना खंड में चलने वाली कुछ ट्रेनों में तथा सिकन्दराबाद विभाग में और उत्तरप्रदेश में सशस्त्र पहरेदारों की व्यवस्था की गई है।

पश्चिमी रेलवे : बम्बई राज्य में रात्रि के समय चलने वाली ट्रेनों में सशस्त्र पहरेदारों तथा जासूसों की व्यवस्था की गई है।

उत्तरी रेलवे : ब्राडगेज विभाग में रात्रि के समय चलने वाली सभी आवश्यक ट्रेनों के साथ सशस्त्र पहरेदार चलते हैं।

उत्तर पूर्व रेलवे : सभी आवश्यक सवारी गाड़ियों के साथ सशस्त्र पहरेदार यात्रा करते हैं।

पूर्वी रेलवे : बिहार, पश्चमी बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्यों में रात्रि के समय चलने वाली सभी मुसाफिर गाड़ियों के साथ सशस्त्र पहरेदार चलते हैं।

मूंगफली के तेल का निर्यात (रेलभाड़ा)

७७. श्री **बालकृष्णन्** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को मद्रास राज्य में स्थित हरोड़ के व्यापारियों से हरोड़ से शालीमार (कलकत्ता) को भेजे जाने वाले मूंगफली के तेल पर बढ़ाये गये रेल भाड़े के सम्बन्ध में कोई याचना प्राप्त हुई है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां, अप्रैल १९५२ में, उन विशिष्ठ दरों के पुनः लागू किये जाने के सम्बन्ध में जिन को १-५-१९४७ से रद्द कर दिया गया था।

(ख) दक्षिणी रेलवे प्रशासन ने, जिस से उक्त प्रतिनिधान की जांच करने की प्रार्थना की गई थी, हरोड़ के तैल तथा तिलहन व्यापारी संस्था से २३-५-१९५९ को यह बतलाने के लिए कि वर्तमान दरें अनुचित थीं, विस्तृत सूचना देने की प्रार्थना की थी। एक अनुस्मारक भेजे जाने पर भी उक्त संस्था ने कोई उत्तर नहीं दिया है। ऐसी परिस्थितियों में, जांच कार्य में कोई प्रगति नहीं हो सकी है।

काकीनाडा—कोट्टी पल्ली रेल कड़ी

७८. **श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या काकी नाडा—कोट्टी पल्ली रेल कड़ी को प्रतिस्थापित करने की प्रस्थापना त्याग दी गई हैं : तथा

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नहीं में हो, तो इस समय प्रस्थापना किस स्तर पर है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) उत्तर नहीं में है।

(ख) काकीनाडा—कोट्टी पल्ली रेल कड़ी के प्रतिस्थापन का प्रश्न केन्द्रीय यातायात पर्षद् के विचाराधीन है और उस पर अगली बैठैक में चर्चा होने की प्रत्याशा है।

"अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन (राजकीय सहायतायें)

७९. **सरदार हुक्मसिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ३१ मार्च, १९५२ को समाप्त होने वाले पांच वर्षों में से प्रत्येक में देश में अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन को प्रोत्साहना देने के लिए राज्य सरकारों को अनुदानों अथवा राजकीय सहायताओं के रूप में भारत सरकार द्वारा व्यय की गई धनराशि का परिमाण बतलाने की कृपा करेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : उपलब्ध सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५३**]

बंजर भूमि

८०. **श्री के० सुब्रह्मण्यम् :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष १९५१-५२ में भारत में बंजर भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र फल में क्या कोई वृद्धि हुई है ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो वृद्धि की प्रतिशतता क्या है ?

(ग) इस वृद्धि के क्या कारण हैं और कौन से राज्य सब से अधिक प्रभावित हुए हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) सन् १९५१-५२ के बंजर भूमि-सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग)। प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

सत्यमेव जयते

मंगलवार,
११ नवंबर, १९५२

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

मंगलवार, ११ नवम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष—पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

११-५८ म० पू०

सदन-पटल पर रखे गये पत्र

(१) दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार (महासंचालक तथा मुख्य लेखा अधिकारी के कृत्य तथा कर्तव्य) नियम १९५२; (२) दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार (नोटिसों तथा आदेशों की तामील) नियम, १९५२; तथा (३) दिल्ली सड़क परिवहन अधिकार (आस्तियों का मूल्यांकन) नियम, १९५२.

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : मैं दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार अधिनियम, १९५० की धारा ५२ की उपधारा (३) के अनुसार निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति सदन-पटल पर रखता हूं :

(१) दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार (महासंचालक तथा मुख्य लेखा अधिकारी के

कृत्य तथा कर्तव्य) नियम, १९५२ **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या पी–६९/५२]**

(२) दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार (नोटिसों तथा आदेशों की तामील) नियम, १९५२ **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या पी–७०/५२]**

(३) दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार (आस्तियों का मूल्यांकन) नियम, १९५२ **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या पी–७१/५२]**

संविधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री विश्वास) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाला विधेयक निम्न व्यक्तियों की एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाये और प्रवर समिति को २२ नवम्बर, १९५२ तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया जाये : श्री भवन जी ए० खीमजी, श्री श्यामनन्दन सहाय, श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा, श्री के० एल० मोरे, पंडित लिंग राज मिश्र, श्री रोहिणी कुमार चौधरी, पंडित लक्ष्मी कान्त मैत्रा, श्री मोहन लाल सक्सेना, श्री एन० एम० लिंगम, श्री उदय शंकर दुबे, चौधरी रघुबीर सिंह, श्री नेमी चन्द्र कास्लीवाल, श्री रनबीर सिंह चौधरी, श्री गोविन्द हरि देशपांडे, सरदार अमर सिंह सहगल, श्री कोटा रघुरामय्या, श्री कृष्णाचार्य जोशी, श्री लीलाधर जोशी, श्री ए० एम० टामस, श्री सी० आर० बासप्पा, श्री सी० माधव रेड्डी, श्री चौथराम परताबराय

[श्री बिश्वास]

गिडवानी, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, श्री पी० टी० पुन्नूस, श्री गिरिराज सरन सिंह, डा० मानिक चन्द जाटव-वीर, हिज़ हाईनेस महाराजा राजेन्द्रनारायण सिंह देव, श्री एन० आर० एम० स्वामी, श्री राधाचरण शर्मा, श्री रणजीत सिंह, श्री पी० एन० राजभोज, श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा तथा प्रस्तावक।"

इस अवसर पर मैं कोई लम्बा चौड़ा भाषण देने की आवश्यकता नहीं समझता । माननीय सदस्यों को याद होगा कि यह विधेयक मैंने गत जुलाई में पुरःस्थापित किया था । उस समय मैंने एक संशोधन स्वीकार किया था जिसमें कहा गया था कि विधेयक जनता की राय ज्ञात करने के लिये परिचारित किया जाये । अब सम्मतियें प्राप्त हो गई हैं और वे माननीय सदस्यों को परिचारित कर दी गई हैं । अब यह सुझाव दिया जा रहा है कि इन सम्मतियों की तथा विधेयक के उपबन्धों की जांच एक प्रवर समिति द्वारा करवाई जाये । मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि यद्यपि यह विधान छोटा और साधारण है, तथापि इसमें कोई ऐसी खराब बात नहीं है जिसका भय गत अवसर पर मेरे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट किया गया था । बात यह नहीं है कि मंत्रालय संविधान की कोई परवाह नहीं करता या उसे रद्दी कागज समझता है; आखिरकार संविधान इतने वाद-विवाद के उपरान्त तैयार किया गया है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

मेरे माननीय मित्र ने पिछले अवसर पर जो सुझाव रखा था, यदि उसे कार्यरूप में परिणित किया जाये तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा । अतः पिछली जनगणना के परिणामों को ध्यान में रखते हुए कुछ संशोधन करना तो अनिवार्य ही है । प्रश्न केवल यह है कि वह संशोधन क्या होना चाहिये । हमने, जहां तक सम्भव हो सका है, बहुत साधारण सा परिवर्तन किया है । श्रीमान्, आप को तो यह याद ही होगा कि गत निर्वाचन उस जनगणना के आधार पर किये गये थे जो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद ३८७ के अन्तर्गत निर्धारित की गई थी । अनुच्छेद ३८७ इस प्रकार है :

> "इस संविधान के प्रारम्भ से तीन वर्ष की कालावधि में इस संविधान के उपबन्धों में से किसी के अधीन किये गये निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिये भारत या उसके किसी भाग की जनसंख्या का निर्धारण, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी रीति से किया जा सकेगा जैसा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्देशित करे तथा ऐसे आदेश द्वारा विभिन्न राज्यों तथा विभिन्न प्रयोजनों के लिये विभिन्न उपबन्ध बनाये जा सकेंगे ।'

इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति ने एक ऐसा आदेश जारी किया था तथा इस आदेश के अन्तर्गत अनुमानित जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन किये गये थे । यदि आप संविधान के अनुच्छेद ८१ को देखें तो आपको मालम होगा कि उसमें यह दिया हुआ है कि प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोक-सभा में विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का ऐसे आधिकारी द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी तारीख से प्रभावी होने के लिये पुनः समायोजन किया जायेगा जैसा कि संसद् विधि द्वारा निर्धारित करे; परन्तु ऐसे पुनः समायोजन से लोक-सभा में के प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि उस समय वर्तमान सदन का विघटन न हो जाये ।

हमारे पास गत जनगणना के, जो १९५१ में की गई थी, आंकड़े हैं । उनसे यह पता चलता है कि कुल जनसंख्या राष्ट्रपति के आदेश के अन्तर्गत अनुमानित जनसंख्या से बढ़ गई है ।

अतः कोई न कोई समायोजन तो करना ही पड़ेगा। अब देखना यह है कि यह समायोजन किस प्रकार से किया जाये। निस्सन्देह, अगले विधेयक को, जो मेरे नाम में है, देखने से पता लगेगा कि यह ऐसी व्यवस्था करने के लिये रखा गया है जिससे आवश्यक समायोजन हो सके। परन्तु प्रश्न यह है कि समायोजन करने के हेतु हमें किन आंकड़ों को अपनाना चाहिये।

वर्तमान विधेयक के उद्देश्य तथा क्षेत्र को समझने के लिये यह आवश्यक है कि मैं अनुच्छेद ८१ के कुछ खंडों का निर्देश करूं। खंड १ के, जिसमें कि (क), (ख) और (ग) तीन उपखंड हैं, उपखंड (क) में यह उपबन्धित है कि :

> "खंड (२) के तथा अनुच्छेद ८२ और ३३१ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्यों में के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित पांच सौ से अनधिक सदस्यों से मिल कर लोक-सभा बनेगी।"

पहली चीज जिसके बारे में सदन को निश्चय करना है यह है कि क्या ५०० की संख्या को यों ही छोड़ दिया जाये या उसमें कोई परिवर्तन किया जाये। इसके बाद खंड (१) का उपखंड (ख) है जिसमें कहा गया है कि :

> "(ख) उपखंड (क) के प्रयोजन के लिये भारत के राज्यों का प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन, वर्गीकरण या निर्माण किया जायेगा तथा प्रत्येक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र को बांट में दिये जाने वाले सदस्यों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की जायेगी जिससे कि यह सुनिश्चित रहे कि प्रति ७,५०,००० जनसंख्या के लिये एक से कम सदस्य तथा प्रति ५,००,००० जनसंख्या के लिये एक से अधिक सदस्य न होगा।"

इसके बाद उपखंड (ग) अत्यन्त महत्वपूर्ण उपबन्ध है। इसमें कहा गया है :

> "प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र को बांट में दिये गये सदस्यों की संख्या का अनुपात उस निर्वाचन-क्षेत्र की ऐसी अन्तिमपूर्वगत जनगणना में, जिस के तत्सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, निश्चित की गई जनसंख्या से, भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र यथासाध्य एक ही होगा।"

दूसरे शब्दों में, प्रतिनिधित्व का जनसंख्या से अनुपात सारे भारत संघ में एक ही होगा। यदि आप उपखंड (क) के अन्तर्गत दी गई सदस्यों की संख्या कायम रखते हैं, तो उस से प्रतिनिधित्व का अनुपात आवश्यक रूप से निश्चित हो जाता है। उस सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए, प्रस्तुत विधेयक में केवल उपखंड (ख) में दिये गये आंकड़ों में परिवर्तन करने की व्यवस्था है। ये आंकड़े एक सदस्य द्वारा प्रतिनिधित अधिकतम तथा न्यूनतम जनसंख्या के विषय में हैं। दूसरे शब्दों में, यह कहा गया है कि निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन किया जायेगा तथा प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र को बांट में दिये जाने वाले सदस्यों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की जायेगी जिससे कि यह सुनिश्चित रहे कि प्रति ७,५०,००० जनसंख्या के लिए एक से कम सदस्य तथा प्रति ५,००,००० जनसंख्या के लिये एक से अधिक सदस्य न होगा।

यदि पिछले निर्वाचन के आंकड़ लिये जायें--फिलहाल मैं भाग 'क' तथा भाग 'ख' के राज्यों की ओर निर्देश कर रहा हूं--तो ज्ञात होगा कि राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार कुल जनसंख्या ३३७,३२०,००० थी। अब १९५१ की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या ३५१,०९९,०४० है। यदि आप भाग 'ग' राज्यों के आंकड़े लें तो आप देखेंगे कि राष्ट्रपति का अनुमान १०,०२०,००० था

[श्री बिश्वास]

और अब १९५१ की जनगणना के अधीन यह जनसंख्या कुछ कम हो गई है---नौ करोड़ और कुछ है ।

अतएव, जहां तक भाग 'क' तथा भाग 'ख' राज्यों का सम्बन्ध है, और जहां तक भाग 'ग' राज्यों सहित कुल जनसंख्या का सम्बन्ध है, हमें उस जनसंख्या से अधिक के आधार पर चलना होगा जो पिछले सामान्य निर्वाचन का प्रयोजनार्थ अपनाई गई थी । इसका अर्थ यह हुआ कि या तो जनसंख्या में वृद्धि के अनुसार सदस्यों की कुल संख्या बढ़ाई जाये या फिर प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रतिनिधित जनसंख्या में वृद्धि की जाये । मेरा निवेदन यह है कि लोक-सभा में सदस्यों की संख्या की जो सीमा रखी गई है, अर्थात् ५००, उसे न छेड़ा जाये । यह बात राज्यों की विधान सभाओं पर भी लागू होगी---वहां केवल आंकड़े भिन्न होंगे । लोक-सभा में सदस्यों की कुल संख्या में फेरबदल न कर के, हम केवल अनुच्छेद ८१ के खंड (१) के उपखंड (ख) में दिये गये आंकड़े में परिवर्तन कर रहे हैं । पिछले सामान्य निर्वाचन में हमने प्रतिनिधित्व का औसत फैलाया था और वह शायद एक सदस्य पीछे ७ लाख २० हज़ार आया था । अब नई जन-गणना के अनुसार यह औसत शायद एक सदस्य पीछे साढ़े सात लाख आयेगा । आप कहेंगे : "जब आप यह औसत स्वीकार कर रहे हैं तो फिर संशोधन की जरूरत ही क्या है ?" संशोधन इसलिये आवश्यक है क्योंकि कुछ निर्वाचन-क्षेत्र तो ऐसे होंगे जहां जनसंख्या साढ़े सात लाख से कम होगी परन्तु कुछ ऐसे भी होंगे जहां कि जनसंख्या साढ़े सात लाख से अधिक होगी इसलिए हमें अधिकतम सीमा बदलनी है; और जब अधिकतम सीमा बदली जायेगी तो इन्हीं कारणों से निम्नतम सीमा में भी परिवर्तन करना पड़ेगा । निम्नतम सीमा, जो अब पांच लाख है, साढ़े छै लाख हो जाये और अधिकतम सीमा साढ़े आठ लाख हो जाये, ऐसा हमारा सुझाव है । इन दोनों के बीच औसत साढ़े सात लाख निकलता है जबकि वर्तमान 'औसत ७ लाख २० हज़ार' है । तो यह परिवर्तन किया गया है ।

इस अवस्था पर मैं कुछ अधिक नहीं कहना चाहता । मैं बस इतना कहूंगा कि इस विधेयक को अधिक से अधिक व्यापक रूप से परचारित किया गया था । इस सम्बन्ध में जो सम्मतियां प्राप्त हुई हैं उन में से अधिकांश विधेयक में किये गये सुझावों के पक्ष में ही हैं । सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का सुझाव तो कुछ ही सम्मतियों में दिया गया है । जिन राज्य सरकारों या व्यक्तियों ने विधेयक के पक्ष में राय जाहिर की है वे ये हैं :

(१) जम्मू तथा काश्मीर सरकार ।

(२) मध्य प्रदेश सरकार ।

(३) राजस्थान-सरकार तथा श्री मुरली मनोहर व्यास ।

(४) मध्य भारत-सरकार, उच्चन्यायालय तथा श्री शिव दर्शन लाल एम० एल० ए० ।

(५) आसाम,---करीम गंज, शिलांग, हैलाकंडी तथा गोलमाड़ा के बार एसोसियशन ।

(६) सौराष्ट्र,---सरकार तथा उच्च-न्यायालय ।

(७) त्रिपुरा,---सरकार तथा अगर-तल्ला के ज़िला तथा सत्र न्यायधीश ।

(८) भोपाल

(९) मनीपुर,---राज्य कांग्रेस के प्रधान, ललित माधव शर्मा---(उन्होंने केवल निम्न-लिखित एक और खंड जोड़े जाने का सुझाव दिया है--- परन्तु मनीपुर, त्रिपुरा त कच्छ जैसे छोटे राज्यों को अपवाद मान लिया जाय') ।

(१०) उत्तर प्रदेश––सरकार, उच्च-न्यायालय तथा अन्य––ज़िला कांग्रस कमेटी, नैनीताल के प्रधान यह चाहते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा जाय और वहां प्रतिनिधित्व संख्या साढ़े छै लाख रखी जाय।

(११) कच्छ के उच्चायुक्त––उनका कहना यह है कि कच्छ के वर्तमान दो स्थानों में कोई फेरबदल न की जाये तथा भाग 'ग' राज्यों के लिये विशेष उपबन्ध किये जायें।

(१२) मैसूर,––सरकार, मैसूर प्रदेश कांग्रेस कमेटी तथा हस्सन जिला बोर्ड।

(१३) दिल्ली,––दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तथा श्री भगवानदास कटियाल, एम० एल० ए० जो यह चाहते हैं कि कोई ऐसा उपबन्ध किया जाये जिससे जब-जब जनगणना हो तब-तब संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता न पड़े।

(१४) बम्बई,––सरकार तथा दो नेता, श्री परंजय्ये तथा श्री लैले।

(१५) उड़ीसा,––उच्चन्यायालय; गंजम के कलैक्टर, ज़िला निर्वाचन अधिकारी, कटक; बलासोर तथा सुन्दरगढ़ के अपर ज़िला मजिस्ट्रेट, तथा क्योनगढ़ के ज़िला मजिस्ट्रेट।

(१६) त्रावनकोर-कोचीन।

(१७) मद्रास,––सरकार ने विधेयक को स्वीकार करते हुए यह सुझाव दिया है कि आठ लाख पचास हजार के स्थान पर आठ लाख पिचहत्तर हज़ार कर दिया जाये और छै लाख पचास हज़ार के स्थान पर छै लाख पच्चीस हज़ार कर दिया जाये ताकि ढाई लाख का वर्तमान अन्तर बना रहे;।

श्री टी० आर० वेंकटाराम शास्त्री ने सुझाव दिया है कि न्यूनतम सीमा साढ़े छै लाख की बजाय छै लाख होनी चाहिये।

मद्रास लोक प्रशासन इंस्टीट्यूट ने संविधान में बार-बार संशोधन न करने के लिये एक तरीका सुझाया है।

जिन्होंने यह सुझाव दिया है कि सदन में सदस्यों की संख्या अधिक कर दी जाये उनका उल्लेख नीचे किया जाता है :––

मध्य प्रदेश––महाकौशल प्रदेश कांग्रेस कमेटी तथा जबलपुर के उपायुक्त।

मैसूर,––किसान मज़दूर प्रजा पार्टी।

बम्बई के श्री जोशी।

उड़ीसा,––उड़ीसा की सरकार तथा गणतंत्र परिषद् की बालनगीर क्षेत्र समिति। सदन में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाने का सुझाव केवल इन्हीं व्यक्तियों तथा सरकारों द्वारा दिया गया है।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : क्या माननीय मंत्री यह बतला सकते हैं कि यदि हम साढ़े सात लाख की वर्तमान अधिकतम सीमा को न बढ़ायें तो सदन में सदस्यों की समस्त संख्या में कितनी वृद्धि करनी होगी? मेरे हिसाब के अनुसार तो उस दशा में भी कुल संख्या वर्तमान ५०० से अधिक नहीं होगी। इसलिए इस समय संशोधन करने में कोई औचित्य नहीं है। हो सकता है दस वर्ष बाद किसी संशोधन की ज़रूरत पड़े।

श्री विश्वास : विधेयक की इसलिये ज़रूत है क्योंकि कुछ राज्यों में निर्वाचन-क्षेत्र जन संख्या साढ़े सात लाख से अधिक हो जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का कहना यह है कि इन दो विधेयकों में से यह आवश्यक है। दूसरे विधेयक की आवश्यकता हो सकती है। यदि अधिकतम सीमा को साढ़े सात लाख से आठ लाख करने की ज़रूरत पड़ी भी तो वह कोई दस साल बाद पड़ सकती है। आज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हां, यदि

[उपाध्यक्ष महोदय]

माननीय मंत्री के पास समस्त जानकारी है—और सब बात जानकारी पर ही निर्भर है—तो मैं सुझाव दूंगा कि हम इसे आधे घंटे में ही खत्म न कर के इस पर कल चर्चा करें।

श्री विश्वास : इन बातों पर प्रवर समिति में भी विचार किया जा सकता है। यदि साढे सात लाख को औसत मान लिया जाये, तो कुछ राज्यों में कुछ निर्वाचन-क्षेत्रों में जनसंख्या साढ़े सात लाख की सीमा से आगे बढ़ जायेगी।

डा० एस० पी० मुखर्जी : कितने राज्यों में ? और कितनी सीटें ?

श्री बिश्वास : यह मैं तुरन्त ही नहीं बता सकता। हम तो एक काल्पनिक आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक संख्या तो तब मालूम होगी जब कि परिसीमन होगा।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : हम यह जानना चाहते हैं कि यदि खंड (ख) को यों का त्यों रखा जावे तो कितने प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में इस साढ़े सात लाख की सीमा को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। हम तो केवल यह जानना चाहते हैं कि प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हैं, ताकि हमें यह पता लग सके कि यह विधेयक आवश्यक है या नहीं।

श्री बिश्वास : वर्तमान विधि के अन्तर्गत अधिकतम सीमा साढ़े सात लाख है। १९५१ की गणना के अनुसार बढ़ी हुई जनसंख्या का इस सीमा के अन्तर्गत कागजी रूप से तो प्रतिनिधित्व हो सकता है। परन्तु जब तक परिसीमन न हो तब तक निश्चय के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। पहले जनसंख्या ३३ करोड़ ७० लाख थी और अब ३६ करोड़ १० लाख है। अतः वैसे तो वर्तमान अधिकतम तथा न्यूनतम सीमा के अन्तर्गत सदस्यों की वर्तमान संख्या बनी रह सकती है।

डा० एस० पी० मखर्जी : तो फिर इस विधेयक की क्या आवश्यकता है : बस केवल दूसरा—परिसीमन विधेयक—ही लाइये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मद्रास में परिसीमन समिति का अध्यक्ष था। इसलिये मैं जानता हूं कि इसमें कठिनाई क्या हो सकती है। आजकल कोई निर्वाचन-क्षेत्र में साढ़े सात लाख से अधिक जन संख्या नहीं हो सकती। यदि एक भी व्यक्ति ज्यादा हो तो उस एक के लिये दूसरा निर्वाचन-क्षेत्र होना चाहिये। कठिनाई यह है कि किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र में पूरे साढ़े सात लाख व्यक्ति नहीं हो सकते—पांच लाख और साढ़े सात लाख के बीच होंगे। सिद्धान्ततः तो यह ठीक है कि यदि प्रतिनिधित्व की अधिकतम तथा न्यूनतम सीमा को यों का त्यों रहने दिया जाये तो भी सदस्यों की वर्तमान संख्या से देश की बढ़ी हुई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व हो सकता है, परन्तु व्यवहारतः यह बहुत कठिन है।

श्री ए० सी० जुहा (शान्तिपुर) : यदि कुल जनसंख्या इस सीमा के अन्तर्गत आ सकती है तो फिर इस विधेयक की क्या आवश्यकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : साढे सात लाख के आधार पर ५०० के आंकड़े में वृद्धि करने की ज़रूरत तो नहीं है; परन्तु अधिकतम और न्यूनतम सीमाओं का बढ़ाया जाना इसलिये ज़रूरी है क्योंकि हरेक निर्वाचन-क्षेत्र में ठीक साढ़े सात लाख व्यक्ति ही नहीं हो सकते।

डा० एस० पी० मुखर्जी : आपने जो कठिनाइयां बतलाई वे ठीक हैं, परन्तु जब तक परिसीमन का कार्य नहीं हो जाता तब तक वे कठिनाइयां समझ में नहीं आ सकतीं। इसके साथ साथ यह विधेयक कुछ मूल महत्व के प्रश्न उठा रहा है—सदन में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाये या किसी एक निर्वाचन-क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या बढ़ाई जाये। यह एक जटिल और विवादास्पद प्रश्न है। यदि सरकार

पहले परिसीमन के प्रश्न को निपटा ले और सदन के समक्ष रिपोर्ट रख दे तो कदाचित् हम यह निश्चय आसानी से कर सकेंगे कि इन दोनों में से कौन सा तरीका अधिक अच्छा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं डा० मुखर्जी की इस बात से सहमत हूं कि ५०० की संख्या बढ़ाना आवश्यक है। परन्तु इसके साथ-साथ यह भी तो ज़रूरी है कि सीमा पांच लाख से छै लाख और साढ़े सात लाख से आठ लाख कर दी जाये क्योंकि यद्यपि ५०० की संख्या में वृद्धि न हो फिर भी एक निर्वाचन-क्षेत्र और दूसरे निर्वाचन-क्षेत्र के बीच इतना अधिक अन्तर नहीं हो सकता। कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़ कर इतना अधिक अन्तर नहीं होना चाहिये। यह बात संविधान में भी उल्लिखित है। कोई भी निर्वाचन-क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां ठीक सात या साढ़े सात लाख ही मतदाता हों।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : हमें तो यह देखना है कि इस विधेयक की ज़रूरत भी है या नहीं। यदि परिसीमन समिति के प्रयत्नों से आंकड़ों में समायोजन हो सके और हम इन दो सीमाओं के बीच कोई संख्या निश्चित कर सकें तो यह विधेयक अनावश्यक हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवहार रूप में ऐसा नहीं हो सकता। यदि हम साढ़े सात लाख का औसत नहीं रखते हैं तो संख्या ५०० नहीं रह सकती। अच्छा हो यह मामला दुपहर बाद तक के लिये उठा रखा जाये।

श्री बिश्वास : अगला विधेयक परिसीमन विधेयक है। मेरा सुझाव यह है कि ये दोनों विधेयक एक ही प्रवर समिति को सौंपे जायें ताकि यदि वह यह समझें कि निर्वाचन-क्षेत्रों का इस रीति से समायोजन करना सम्भव है तो वह इस बात की सिफारिश कर सके। मैं अपने माननीय मित्र का सुझाव इसलिये नहीं स्वीकार कर रहा हूं क्योंकि मामला बहुत ज़रूरी है। अनुच्छेद ३८७ के अन्तर्गत वर्तमान परिसीमन केवल २५ जनवरी, १९५३ तक प्रभावी रहेगा। मान लीजिये उस के शीघ्र बाद ही सामान्य निर्वाचन करने पड़ें; तो हमें तैयार रहना चाहिये।

डा० एस० पी० मुखर्जी : सामान्य निर्वाचन, सारे देश के लिये ?

श्री बिश्वास : हो सकता है कि अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाये। संसद् का विघटन करना पड़ जाये, या राज्यों में पुनः निर्वाचन करना आवश्यक हो जाये। कुछ राज्यों में स्थिति ऐसी है कि सामान्य निर्वाचन ज़रूरी हो सकते हैं। अतः हमें तैयार रहना चाहिये। सदन को ये दोनों विधेयक जल्दी से जल्दी पास कर देने चाहियें। अगले विधेयक के सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव इसे उसी प्रवर समिति को सौंपने का होगा।

श्री टी० एन० सिंह (ज़िला बनारस—पूर्व) : माननीय मंत्री ने कहा कि उनका सुझाव यह है कि ये दोनों विधेयक एक ही प्रवर समिति को सौंपे जायें। प्रवर समिति अलग-अलग निर्वाचन-क्षेत्र के परिसीमन पर विचार नहीं करेगी। इसका निर्णय तो केवल तभी किया जा सकता है जबकि हमारे पास पूर्ण जानकारी हो। अतएव मेरी समझ में नहीं आता कि दोनों विधेयकों को एक ही प्रवर समिति को सौंपे जाने से क्या फायदा होगा।

दूसरे, हमें पहले यह जानना चाहिये कि किस किस राज्य में सदस्यों की संख्या के अनुसार निश्चित जनसंख्या में वृद्धि हुई है। जहां तक अलग-अलग निर्वाचन-क्षेत्र के परिसीमन का प्रश्न है, उस पर यहां विचार करना असंगत होगा क्योंकि यदि बांट में दिये गये स्थानों की संख्या पता लग जायेगी तो परिसीमन भी उसके अनुसार किया जा सकेगा। इसके साथ-साथ मैं यह भी अनुभव करता हूं कि प्रत्येक बार जनसंख्या के बढ़न या

[श्री टी० एन० सिंह]

घटने पर सीमा में फेरबदल करना ठीक नहीं है ।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि जो जो जानकारी मांगी गई है वह सदन को दी जाये ताकि हम ठीक तरह से यह सलाह दे सकें कि दोनों प्रवर समितियां साथ साथ विचार करें या अलग-अलग । सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाये या निर्वाचन-क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या बढ़ाई जाये, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर केवल तभी निर्णय किया जा सकता है जब कि हमारे पास अपेक्षित जानकारी हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक विधेयक का सम्बन्ध है, प्रवर समिति को यह कहने का अधिकार है कि ५०० की संख्या में वृद्धि करना अनावश्यक है या यदि ५०० की संख्या को यों ही रखा जाये तो भी प्रवर समिति के लिये अधिकतम तथा न्यूनतम सीमा में फेरबदल करना आवश्यक हो सकता है । यदि प्रवर समिति के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचना सम्भव हो सके कि ५०० की संख्या भी यों की त्यों रखी जाये और अधिकतम तथा न्यूनतम सीमा में भी कोई फेरबदल न की जाये, तो यह दूसरी बात है ।

श्री एस० एस० मोरे : विधेयक के प्रवर समिति को सौंपे जाने पर हमें यह निश्चय करना पड़ेगा कि विधेयक का सिद्धान्त मान लिया गया है; अन्यथा प्रवर समिति उस के विस्तार में पड़ सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई सिद्धान्त की बात नहीं है । एकमात्र सिद्धान्त यह है कि सब व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व हो ।

श्री एस० एस० मोरे : मान लीजिये कि विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाता है । यह इस धारणा के आधार पर तैयार हुआ है कि ५०० की संख्या वैसी ही रहेगी । शंका केवल सीमा के विषय में है--पांच लाख रखी जाय या सात लाख । यदि विधेयक वापस आ जाये तो क्या हम ५०० का प्रश्न फिर उठा सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रवर समिति इस प्रश्न पर विचार कर सकती है और , यदि आवश्यक हुआ, संख्या में वृद्धि भी कर सकती है । इसके तीन भाग हैं । जहां तक परिसीमन का सम्बन्ध है, यह आवश्यक है कि इस ५०० की संख्या में किसी भी दशा में वृद्धि नहीं होनी चाहिये । ठीक है । सदन ऐसा कहे । परतु यदि आप यह बात प्रवर समिति पर छोड़ना चाहते हैं तो उसे इस पर पूरा विचार करने दीजिये । आवश्यकता इस बात की है कि अधिकतम और न्यूनतम सीमाओं में भी फेरबदल की जाये । इन बातों पर प्रवर समिति को विचार करना है । इसलिये माननीय मंत्री ने प्रवर समिति को अधिकतम तथा न्यूनतम सीमाओं को बढ़ाने के निदेश दिये हैं ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : कुल संख्या ५०० से अधिक नहीं होगी । फिर इसकी क्या ज़रूरत है ?

श्री एस० एस० मोरे : फिर प्रतिनिधित्व को सीमित क्यों किया जा रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रवर समिति इस बात पर भी विचार कर सकती है कि क्या ५०० की संख्या में वृद्धि करना-आवश्यक है और यदि नहीं है, तो क्या अधिकतम तथा न्यूनतम सीमाओं का पुनः समायोजन किया जाना चाहिये । इस सम्बन्ध में भी सदन के सामने रिपोर्ट रखी जाती है। यह बात नहीं है कि हमने इस विषय में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ।

श्री **एस० एस० मोरे** : क्या मैं एक और बात पूछ सकता हूं ? हम केवल अनुच्छेद ८१ का संशोधन कर रहे हैं । अनुच्छेद १७० प्रान्तीय विधान-मंडलों के सम्बन्ध में है । तो

अनुच्छेद १७० में भी कोई परिवर्तन किया जायेगा या नहीं ?

श्री बिश्वास : मैं अनुच्छेद १७० और अनुच्छेद ८१ के बीच अन्तर समझता हूं । अनुच्छेद १७० में यह उपबन्धित है, कि कि राज्य की विधान-सभा में प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उस निर्वाचन-क्षेत्र की अन्तिम पूर्वगत जनगणना में निश्चित की गई जनसंख्या के आधार पर होगा तथा जनसंख्या के प्रत्येक पचहत्तर हजार के लिये एक से अनधिक प्रतिनिधि के अनुपात से होगा । अधिकतम तथा न्यूनतम सीमाएं तो नहीं हैं, परन्तु यह उपबन्ध है कि किसी राज्य की विधान-सभा में सदस्यों की समस्त संख्या किसी अवस्था में पांच सौ से अधिक अथवा साठ से कम न होगी । इस विधेयक में अनुच्छेद ८१ (१) (ख) में संशोधन किये जाने की व्यवस्था है । यह इस धारणा पर आधारित है कि अनुच्छेद ८१ के खंड १ के उपखंड (क) में कोई संशोधन नहीं किया जायेगा । क्या आप उपखंड (क) के संशोधन का प्रश्न भी प्रवर समिति को सौपेंगे, यद्यपि वह विधेयक के क्षेत्र में नहीं है ? यह एक ऐसा विषय है जिस पर श्रीमान् ही विचार कर सकते हैं ।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता —उत्तर-पूर्व) : मैं एक बात नहीं समझ सका हूं जिसके बारे में मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं । आप प्रवर समिति को संविधान (संशोधन) विधेयक सौंप रहे हैं । सरकार प्रवर समिति पर यह उत्तरदायित्व कैसे डाल सकती है कि वह यह निश्चय करे कि संविधान में संशोधन किया जाना आवश्यक भी है या नहीं ? यह तो एक अनियमता होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : शायद माननीय सदस्य ग़लत समझे हैं । जहां तक सरकार का प्रश्न है, वह तो अपने प्रस्ताव से पूर्णत: सन्तुष्ट है और उसे अब भी मानती है । बल्कि उसने तो यह सुझाव मान लिया है कि सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी आदि से सम्बन्ध रखने वाली बातें अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं । इसका यह अर्थ नहीं है कि वह खद प्रवर समिति से कोई सलाह चाहती है । हां यदि प्रवर समिति ही कोई सिपारिश करे तो सरकार उसे मानने को तैयार है । आखिर, सरकार क्या है ? वह तो सदन की प्रवक्ता मात्र है । उसे सदन के तथा प्रवर समिति के निर्णय को तो मानना ही होगा । अतएव प्रवर समिति इन तीन बातों पर विचार करेगी :

(१) क्या सदन में सदस्यों की समस्त संख्या ५०० से बढ़ाई जानी चाहिये;

(२) क्या अधिकतम तथा न्यूनतम सीमाओं में कोई फेरबदल की जानी चाहिये; तथा

(३) जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, एक और उपखंड, यदि मैंने उन्हें ठीक समझा है, अनुच्छेद ८१ के उपखंड (क), में संशोधन करना भी वांछनीय हो सकता है ।

श्री बिश्वास : मेरा कहना यह है कि प्रस्तुत विधयक के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, यह बात प्रवर समिति को निर्दिष्ट नहीं भी की जा सकती है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : यह एक संवैधानिक प्रश्न है । इसका निर्णय इस प्रकार नहीं किया जाना चाहिये । माननीय विधि मंत्री ने कहा कि सरकार ने केवल अनुच्छेद ८१ (१) (ख) के संशोधन के लिये विधेयक प्रस्तुत किया है । अभी उसने यह विनिश्चय नहीं किया है कि वह उपखंड (क) में संशोधन किये जाने पर राजी होगी या नहीं । ऐसी अवस्था में, मैं नहीं समझता कि हमारा इस मामले को प्रवर समिति को सौंपना और

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

सरकार को उपखंड (क) को संशोधित करने के लिये विवश करना न्यायोचित होगा।

श्री बिश्वास : सरकार का इस समय तो फैसला यही है कि उपखंड (क) में कोई संशोधन नहीं किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यहां बैठ कर अपनी राय तो दे नहीं सकता, परन्तु मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इस बात के लिये तैयार थे कि यह मामला भी भले ही प्रवर समिति को सौंप दिया जावे। यदि वह तैयार नहीं हैं, तो फिर इस विषय पर सदन की राय जानने के लिये चर्चा होगी।

श्री बिश्वास : मैं तो केवल डा० मुखर्जी द्वारा दिये गये सुझाव को मानने का प्रयास कर रहा था। उन्होंने यह तो नहीं कहा था कि सदस्यों की समस्त संख्या में वृद्धि की जाये, उनका कहना तो यह था कि निर्वाचन-क्षेत्रों का इस प्रकार परिसीमन किया जा सकता है कि सदस्यों की कुल संख्या भी उतनी ही रहे जितनी कि अब है और उपखंड (ख) में भी कोई फेरबदल न करनी पड़े। इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि परिसीमन किये जाने के पश्चात् हम इस सम्बन्ध में ठीक निर्णय कर सकेंगे। विधेयक प्रस्तुत करते समय यह समझ लिया गया है कि निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य बिल्कुल नये सिरे से नहीं होगा। निर्वाचन-क्षेत्र तो पहले से ही बने हुए हैं; बस उनमें इधर-उधर थोड़ा हेर-फेर करना है। यदि सब निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन बिल्कुल नये सिरे से किया जाये तब तो संख्या के ५०० रहते हुए भी वर्तमान अधिकतम तथा न्यूनतम सीमाओं से भी काम चल सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सरकार की राय यह समझता हूं--और यह डा० मुखर्जी द्वारा भी स्वीकार कर ली गई है--कि ५०० की संख्या नहीं बदली जाये।

डा० एस० पी० मुखर्जी : मैं समझता हूं कि विधि मंत्री ने यह कहा था कि औपचारिक रूप से अनुच्छेद ८१ के खंड (१) के उपखंड (क) का निर्देश भी प्रवर समिति को किया जाये। हमें यह बात मान लेनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु पंडित ठाकुर दास भार्गव ने आपत्ति की थी और इस पर, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री दूसरी बात कहने लगे।

श्री बिश्वास : जी नहीं। मैं ने तो केवल यह कहा कि इस बात पर--कि सीमाओं में कोई फेरबदल होनी चाहिये या नहीं--सदन निर्णय करे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जहां तक संशोधक विधेयक का सम्बन्ध है, खंड (१) के उपखंड (क) में परिवर्तन नहीं करने दिया जा सकता।

श्री बिश्वास : यदि मुझे ठीक स्मरण है तो, श्रीमान्, आपने ही यह विनिर्णय देने की कृपा की थी कि उपखंड (क) में कोई संशोधन किया जाना अनियमित होगा क्योंकि यह विधेयक के क्षेत्र के परे है।

श्री सरमा (गोलोघाट-जोरहाट) : क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं, श्रीमान्?

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक के वर्तमान रूप में, मैं किसी ऐसे संशोधन की अनुमति नहीं दूंगा कि ५०० की संख्या बढ़ा दी जाय। उपखंड (क) विधेयक के क्षेत्र में नहीं है। हां, यदि विधेयक के प्रस्तुत कर्ता तैयार हैं, तो यह मामला प्रवर समिति को सौंपा जा सकता है। मेरी तो बस यह राय है। यहां बैठ कर मैं कोई और राय देने में असमर्थ हूं। मैं तो यह बात माननीय मंत्री के ऊपर छोड़ता हूं क्या वह इस मामले के प्रवर समिति को सौंपे जाने पर तैयार हैं या उनके ख्याल में यह बात विधेयक के क्षेत्र के परे है और वह इस बात के लिये तैयार नहीं हैं?

श्री सरमा : क्या मैं औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में निवेदन कर सकता हूं, श्रीमान् ?

उपाध्यक्ष महोदय : मध्याह्न भोजन के बाद ।

इसके पश्चात सदन की बैठक मध्याह्न भोजन के लिये ढाई बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् सदन की बैठक ढाई बजे पुनः समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

श्री सरमा : मेरा कहना यह है कि इस विधेयक में यह सिद्धान्त सन्निहित है कि क्या लोक-सभा में सदस्यों की समस्त संख्या बढ़ाई जायेगी या निर्वाचन-क्षेत्रों में अधिक मतदाता रखे जायेंगे । जब यह विधेयक प्रकाशित किया गया था या जनता की राय ज्ञात करने के लिये परिचारित किया गया था तो उसमें सन्निहित सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं ।

श्री सरमा : संसद् में यह प्रथा चली आ रही है कि प्रवर समिति को विधेयक के सिद्धान्त को बदलने का हक्क नहीं होता ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का कहना यह है कि क्योंकि विधेयक को परिचारित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है, अतः विधेयक का सिद्धान्त भी स्वीकार कर लिया गया है । परन्तु, वास्तव में बात ऐसी नहीं है । विधेयक का सिद्धान्त तो केवल तभी स्वीकार किया गया समझा जाता है जबकि उसे प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव या उस पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है ।

श्री सरमा : श्रीमान्, इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान नियम संख्या ७४ और नियम संख्या ७५ की ओर दिलाऊंगा । उनसे स्पष्ट हो जायेगा कि सदन प्रवर समिति को विधेय क के सिद्धान्त को स्वीकार करने या स्वीकार नहीं करने या बदलने का अधिकार नहीं दे सकता । यह अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है और लोकतंत्र का एक मूल अधिकार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब कोई विधेयक जनता की राय जानने के लिये परिचारित किया जाता है तो इसका मतलब यही है कि उस समय तक हम कोई निश्चय नहीं करते, अन्यथा राय ज्ञात करने से लाभ ही क्या है । मैं समझता हूं कि जब विधेयक को जनता की राय जानने मात्र के लिये परिचारित किया जाता है उस समय उसका सिद्धान्त स्वीकार नहीं कर लिया जाता ।

श्री सरमा : क्या प्रवर समिति को विधेयक का सिद्धान्त बदलने का अधिकार दिया जा सकता है ? यह मेरे औचित्य प्रश्न का दूसरा भाग है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वस्तुतः, विधेयक का सिद्धान्त मान लिया जाता है, परन्तु प्रवर समिति को वैकल्पिक सुझावों पर विचार करने का भी अधिकार दे दिया जाता है । इस मामले में भी प्रवर समिति को ऐसे ही निदेश दिये जा सकते हैं ।

श्री सरमा : इस विधेयक का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया है या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : सिद्धान्त तो स्वीकार कर लिया गया है परन्तु इस शर्त के अधीन कि प्रवर समिति को उसमें फेरबदल करने के निदेश दिये जा सकते हैं ।

श्री बिश्वास : मध्याह्नान्तर के पश्चात् जब मैं यहां आया तो मैंने सदन में सरकार के प्रति कुछ ग़लतफ़हमी पाई । मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं और अब फिर किये देता हूं कि जहां तक प्रस्तुत विधेयक का प्रश्न है, यह केवल उपखंड (ख) के संशोधन तक सीमित है । इसका उपखंड (क) के संशोधन से कोई भी संबंध नहीं

[श्री विश्वास]

है । इस विधेयक का मूल आधार यह धारणा है कि सदस्यों की समस्त संख्या में कोई फेरबदल नहीं की जायेगी । वस्तुतः मैं उसमें परिवर्तन करने के लिये दिये गये किसी सुझाव को मानने को तैयार नहीं हूं । उपखंड (क) में संशोधन किये जाने का मामला तो मंत्रिमंडल के सामन रखा जाना होगा, क्योंकि उसने तो केवल उपखंड (ख) में संशोधन करना स्वीकार किया है । अतएव माननीय सदस्य अपने अपने दिमाग से ऐसी सब ग़लत-फ़हमियां निकाल दें कि मैं इस बात के लिये तैयार हूं कि उपखंड (क) पर प्रवर समिति में फिर से विचार हो जाये ।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : दूसरे शब्दों में, माननीय मंत्री का कहना यह है कि वह उपखंड (क) के सम्बन्ध में प्रवर समिति को कोई निदेश भेजे जाने पर स्वीकृति नहीं देंगे ।

श्री टी० एन० सिंह : इस विधेयक द्वारा संविधान में संशोधन किया जा रहा है । यह कोई साधारण सी बात नहीं है; अतः हम प्रवर समिति को निदेश देकर ही विधेयक का क्षेत्र नहीं बदल सकते । यदि इस बात को सिद्धान्त रूप से अब मान लिया गया तो यह सदैव के लिये एक उदाहरण बन जायेगी । इसलिये मैं समझता हूं , इस प्रश्न पर बड़े ध्यान तथा सावधानी से विचार किया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब स्थिति स्पष्ट है; विधेयक अपने मूल रूप में विद्यमान है । अब मैं विधेयक को औपचारिक रूप से प्रस्तुत करूंगा; माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में जो कुछ कहना चाहते हों, कहें । उसके पश्चात इस पर सदन का मत लिया जायेगा ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : आपने आज प्रातः यह कहा था कि यदि प्रवर समिति को कोई निदेश नहीं दिया जाता, तो उपखंड (क) में संशोधन किये जाने के प्रश्न पर चर्चा नहीं हो सकती । यदि आपकी अनुमति हो तो हम एक संशोधन प्रस्तुत कर दें ताकि इस विषय पर यथासमय सदन द्वारा विचार किया जा सके ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मेरा सुझाव यह है कि हम विधेयक पर उसके वर्तमान रूप में ही विचार करें । यदि माननीय सदस्य प्रवर समिति में यह अनुभव करें कि वह उस पर स्वीकृति देने की स्थिति में नहीं हैं, तो वह विमति-टिप्पण में उसका उल्लेख कर सकते हैं, और उस अवस्था में, सरकार, अनुच्छेद ८१ के खंड (१) के संशोधन के रूप में, एक नया विधेयक प्रस्तुत करेगी । परन्तु जहां तक प्रस्तुत विधेयक का प्रश्न है, मैं समझता हूं, हमें उस पर, जैसा यह इस समय है, विचार करना चाहिये ।

श्री बी० दास (जाजपुर–क्योंझर) : आप यह बात सरकार की ओर से कह रहे हैं या संविधान सभा के एक पूर्व सदस्य होने के नाते कह र हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: अपनी ओर से ।

श्री एस० एस० मुखर्जी : देश के विभिन्न भागों से प्राप्त सम्मतियों से पता चलता है कि उपखंड (क) तथा (ख) एक दूसरे से सम्बद्ध हैं । वास्तव में प्रवर समिति अपना कार्य तभी कर सकेगी जब उपखंड (क) या उपखंड (ख) दोनों में से किसी के सम्बन्ध में संशोधन पर विचार किये जाने की सम्भावना हो । सदन के प्रति यह न्याय ही होगा कि हमें इस समय संशोधन करने का अवसर दिया जाये ।

श्री एस० एस० मोरे : मेरा निवेदन यह है कि हम किसी अमुक अनुच्छेद के खंडों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते । एक खंड में संशोधन किये जाने का अर्थ यह है कि दूसरे खंडों पर भी विचार किया जा सकता है और, यदि आवश्यक हो, उसमें भी संशोधन किया जा सकता है ।

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : जनता की राय जानने के लिये जो विधेयक परिचारित किया गया था उसमें केवल उपखंड (ख) में संशोधन किये जाने की व्यवस्था थी। अब यदि विधेयक का क्षेत्र बढ़ाया जाता है तो यह जनता के साथ न्याय नहीं होगा। यदि ऐसा करना ही है तो इसे पुनः जनता की राय जानने के लिये परिचारित किया जाये।

डा० एस० पी० मुखर्जी : आप विधेयक का प्रारूप देख लीजिये। उसमें खंड २ को 'अनुच्छेद ८१ का संशोधन' बतलाया गया है। 'अनुच्छेद ८१(२)' का उल्लेख नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो यही कह सकता हूं कि उपखंड (क) और (ख) एक दूसरे से इस प्रकार सम्बद्ध नहीं हैं कि उन्हें अलग-अलग न किया जा सकता हो। उपखंड (क) में परिवर्तन न करते हुए भी उपखंड (ख) में रूपभेद किया जा सकता है।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि मैं ऐसे संशोधनों की अनुमति दूंगा या नहीं यह तय करने का काम सदन का है कि वह उन सुझावों को स्वीकार करेगा या नहीं तथा यह मामला प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जायेगा या नहीं।

श्री वैलायुधन (क्विलोन व मवेलिक्करा—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : क्या प्रवर समिति की कोई आवश्यकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस का निर्णय तो सदन करेगा। अब मैं सदन के सामने प्रस्ताव रखूंगा।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

क्या मैं दूसरा प्रस्ताव भी रख दूं ताकि एक साथ दोनों पर चर्चा हो जाए ?

कुछ माननीय सदस्य : वह तो बिल्कुल पृथक है।

श्री पाटसकर (जलगांव) : यह विधेयक तो संविधान में संशोधन करने के लिये है और वह एक बिल्कुल भिन्न प्रयोजन के लिये है; अतः मैं नहीं समझता कि इन दोनों को मिलाना उचित होगा।

इस विधेयक के प्रस्तुत किये जाने का यह कारण बतलाया गया है कि देश की जनसंख्या में वृद्धि हो गई है, अतः यह आवश्यक है कि संविधान के अनुच्छेद ८१ के खंड (१) के उपखंड (ख) में दी गई अधिकतम तथा न्यूनतम सीमाओं में फेर बदल की जाये। हमें यह भी बतलाया गया है कि यदि वर्तमान अधिकतम तथा न्यूनतम सीमायें यों की त्यों रखीं जायें, तो भी ५०० सदस्यों से ही समस्त जनता का प्रतिनिधित्व हो सकता है। इस में थोड़ी बहुत कठिनाई केवल यह मालूम होती है कि शायद भिन्न-भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व में थोड़ी-बहुत हेर फेर करनी पड़ जाये। इस सम्बन्ध में मैं उपखंड (ख) के शब्दों की ओर निर्देश करूंगा, अर्थात्, "उपखंड (क) के प्रयोजन के लिये भारत के राज्यों का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन, वर्गीकरण या निर्माण किया जायेगा....." । स्पष्ट है कि प्रत्येक 'राज्य' का नहीं बल्कि 'राज्यों' का विभाजन आदि किया जायेगा तो निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के समय जो कठिनाइयां आयेंव परिसीमन विधेयक में आवश्यक उपबंधों द्वारा दूर की जा सकती हैं; संविधान में संशोधन किये जाने की क्या जरूरत है ? मैं मानता हूं कि जहां तक सदस्यों की समस्त संख्या का प्रश्न है, इस में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिये। परन्तु अधिकतम तथा न्यूनतम सीमाओं को बढ़ाने से भी क्या लाभ ? मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोगों का ख्याल यह है कि भिन्न भिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व अलग अलग होगा।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

[श्री पाटस्कर]

परन्तु संविधान में यह व्याख्या है कि उपखंड (क) के प्रयोजन के लिये राज्यों का विभाजन वर्गीकरण या निर्माण किया जायेगा । किसी अवस्था में यह आवश्यक हो सकता है कि इस प्रयोजन के लिये किसी एक राज्य का एक भाग समीपवर्ती राज्य के किसी भाग के साथ मिलाया जाये । यह आशंका निराधार है कि कुछ राज्यों के प्रतिनिधि अधिक हो जायेंगे और कुछ में कम । अतएव इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है । इस का औचित्य तो केवल उसी दशा में समझ में आ सकता था जबकि समस्त राज्यों में उपखंड (क) में दिये गये आधार पर निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण न किया जा सका हो ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि क्योंकि यह संविधान का संशोधन है अत: यह अत्यन्त सावधानी के साथ होना चाहिये जब तक कोई स्पष्ट तथा अत्यावश्यक कारण न हो, तब तक संविधान का संशोधन करने में जल्दी करना उचित नहीं होगा । सही तरीका यह होगा कि पहले परिसीमन का कार्य किया जाये और परिसीमन अधिनियम में आवश्यक उपबन्ध कर दिये जायें । वर्तमान अधिकतम तथा न्यूनतम सीमायें यों की त्यों रखी जायें ।

श्री ए० सी० गुहा : मुझे खेद है कि मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सका हूं । मुझे इस बात का और भी अधिक खेद है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में सब बातें ज्ञात किये बिना ही संशोधन करने का फैसला कर लिया है । जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा है और जैसा कि माननीय मंत्री ने भी स्वीकार किया है सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार और अनुच्छेद ८१ (१) (ख) के उपबन्धों को मानते हुए भी सदस्यों की कुल संख्या ५०० तक सीमित रक्खी जा सकती है । अत: मेरी समझ में नहीं आता कि इस विधेयक की क्या जरूरत है ।

जिन्हों ने चुनाव लड़े हैं वे जानते हैं कि ७५०,००० व्यक्तियों के निर्वाचन-क्षेत्र भी काफ़ी बड़े रहते हैं उन में १००,००० की वृद्धि और कर देने से तो गरीब और मध्यम वर्गों के व्यक्तियों के लिये संसद् में आना ही अति कठिन हो जायेगा । यह तो अन्य प्रकार से अमीरों को बढ़ावा देना होगा । मैं विधेयक का विरोध करता हूं क्यों कि बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुसार भी सदस्यों की समस्त संख्या में या प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि करना आवश्यक नहीं है ।

मुझे इस का इस लिये भी विरोध करना है क्यों कि इस से मेरे राज्य, बंगाल में, तथा कुछ अन्य राज्यों में प्रतिनिधित्व कम हो जायेगा ।

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : आप की अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति के सदस्यों की सूची में तीन और नाम---श्री एस० एस० मोरे, श्री बी० एस० मूर्ति, और श्री एन० सी० चटर्जी---जोड़ दिये जायें ।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं प्रस्ताव सदन के सामने रखूंगा तब उस में ये नाम जोड़ दूंगा ।

श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी : (मैसूर) : गत जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में कुछ वृद्धि हुई है अतएव यह उचित ही है कि सदन में सदस्यों की कुल संख्या भी बढ़े । इस सम्बन्ध में मैं ब्रिटेन की लोक-सभा का उल्लेख करूंगा । इंगलैंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या से बहुत कम है, परन्तु फिर भी वहां ६०० से भी अधिक सदस्य हैं ।

यह स्वाभाविक ही है कि देश की जनसंख्या में वृद्धि होने के साथ जनता को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाये । इस से जनता के अधिकार अधिक व्यापक रूप से व्यक्त किये जा सकेंगे अत: मेरा ख्याल यह है कि अनुच्छेद

८१ (१) (ख) का संशोधन प्रस्तुत करते समय अनुच्छेद ८१ (क) पर भी विचार किया जाये ।

मेरे माननीय मित्र श्री गाडगिल ने कहा कि जनता ने अपनी राय केवल अनुच्छेद ८१ (१) (ख) के सम्बन्ध में दी है। परन्तु, मेरा कहना यह है कि वास्तव में बात ऐसी नहीं है। राय भेजने वाली बहुत सी संस्थाओं, निकायों तथा व्यक्तियों के अनुच्छेद ८१ (१) (क) में भी संशोधन किये जाने की मांग की है। अतएव यदि आप जनता के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो आप को चाहिये कि आप प्रवर समिति को यह निर्देश दें कि वह उस प्रश्न पर भी विचार करे कि क्या हमें लोक सभा के सदस्यों की संख्या भी बढ़ानी चाहिये। हो सकता है कि सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप सरकारी खर्चे में कुछ बढ़ोत्तरी हो जाये या सरकार की कुछ असुविधायें बढ़ जायें। परन्तु फिर भी मैं चाहता हूं कि सत्ताधारी पक्ष मेरी सम्मत्ति को मान कर उदारता का परिचय दे ताकि जनता को अधिक प्रतिनिधित्व मिल सके। सदस्यों की संख्या बढ़ने से संसद् की कार्य कुशलता में कोई कमी नहीं आ सकती बल्कि इस प्रकार सदन अधिक प्रतिनिधिक बन जायेगा। अतएव मेरा अनुरोध है कि जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात से सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि कर दी जाये। मुझे आशा है कि माननीय विधि मंत्री मेरे इस सुझाव पर विचार करेंगे ।

श्री पी० टी० चाको (मीनाचिल) : मैं प्रवर समिति के विचारार्थ केवल एक सुझाव देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि अनुच्छेद ८१ (१) (ख) में संशोधन किया जाना आवश्यक है; हां, उपखंड (क) में अभी कुछ समय तक कोई संशोधन न किया जाये। मेरा सुझाव यह भी है कि निर्वाचन-क्षेत्रों की अधिकतम तथा न्यूनतम जनसंख्या निश्चित करने का कार्य संसद् के ऊपर छोड़ दिया जाये संविधान के अनुच्छेद ८१ (२) तथा (३) के अन्तर्गत कुछ मामले संसद् के ऊपर छोड़े गये हैं ।

अनुच्छेद ८१ (२) में उपबन्धित है कि :

"भारत राज्य क्षेत्र में समाविष्ट किन्तु किसी राज्य के अन्तर्गत न होने वाले राज्य-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व लोक सभा में वैसा होगा जैसा कि संसद् विधि द्वारा उपबन्धित करे।"

अनुच्छेद ८१ (३) में लिखा है कि :

"प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोक-सभा में विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी नीति से और ऐसी तारीख से प्रभावी होने के लिये पुनः समायोजन किया जायेगा जैसा कि संसद् विधि द्वारा निर्धारित करे।"

यदि जनसंख्या निर्धारित करने का कार्य संसद् को दे दिया गया तो अगली जनगणना के पश्चात् उपखंड (ख) में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अतः मेरी प्रार्थना है कि प्रवर समिति इस सुझाव पर ध्यान दे ।

श्री रघुरामय्या (तेनालि) : मेरी राय यह है कि सदस्यों की संख्या ५०० से अधिक नहीं की जानी चाहिये। हां, जो व्यक्ति आज सात लाख या साढ़े सात लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, वह आठ लाख या साढ़े आठ लाख व्यक्तियों का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है। एक लाख बढ़ जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे एक मित्र ने यह सुझाव दिया कि अधिकतम तथा न्यूनतम सीमायें निश्चित करने का अधिकार संसद् को दे दिया जाये, वह विधि द्वारा इस सम्बन्ध में उपबन्धित करे। तो मेरा कहना यह है कि ऐसा कर के तो आप राज्यों से उन का अधिकार ले लेंगे। जब संविधान में संशोधन किया

[श्री रघुरामय्या]

जाता है तो राज्यों की उस विषय में राय ली जाती है। परन्तु यदि यह कार्य संसद् के ऊपर ही छोड़ दिया गया और संविधान में इस का उल्लेख नहीं रहा, तो राज्यों की शिकायत रहेगी इसलिये यह विषय रहना तो संविधान में ही चाहिये। जैसा कि आज कल है। मेरा निवेदन यह है कि संविधान के अनुच्छेद ८१ (१) (ख) में संशोधन होना आवश्यक है; अतः मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं भी अपने पूर्व वक्ता की इस बात को मानता हूं कि अनुच्छेद ८१ (१) (ख) का संशोधन आवश्यक है। कुछ सदस्यों ने कहा है कि सन् १९५१ की जनगणना के आंकड़ों तथा अनुच्छेद ८१ (१) (क) में दी हुई सदस्यों की समस्त संख्या के आधार पर संविधान में कोई संशोधन किये बिना भी काम चल सकता है। परन्तु व्यवहार रूप में यह संभव नहीं है। हमारे देश की भौगोलिक परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि हमें निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन इस प्रकार करना पड़ेगा कि कुछ निर्वाचन-क्षेत्रों में तो जनसंख्या अधिक होगी और कुछ में कम। अतएव देश की जनसंख्या के बढ़ जाने पर अधिकतम सीमा में वृद्धि करनी ही होगी।

उपखंड (क) में कोई फेर बदल न करते हुए हम, उपखंड (ख) में संशोधन कर सकते हैं; परन्तु मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति इस बात पर भी विचार करे कि क्या केवल इसी खंड के संशोधन से हमारा काम चल जायेगा और हमें बहुत दिनों तक संविधान में पुनः संशोधन नहीं करना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में मैं अनुच्छेद १७० का उल्लेख करूंगा; इस में राज्य विधान मंडलों के लिये केवल न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई है अधिकतम नहीं। यदि हम अनुच्छेद ८१ के उपखंड (ख) में संशोधन करते समय भी यही प्रक्रिया अपनायें तथा केवल न्यूनतम सीमा ही निर्धारित करें, अधिकतम नहीं तो मैं समझता हूं यह कठिनाई सदैव के लिये दूर हो सकती है। ऐसा करने पर हमें प्रत्येक जनगणना के बाद संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत नहीं पड़ा करेगी।

इस समय न्यूनतम सीमा पांच लाख है। मेरे विचार में इस में फेरबदल नहीं होनी चाहिये। यदि अधिकतम सीमा बढ़ायी जाये तो मुझे आपत्ति नहीं है पर न्यूनतम सीमा तो ज्यों की त्यों रहनी चाहिये। हमें निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य परिसीमन आयोग पर छोड़ देना चाहिये। हमें परिसीमन आयोग द्वारा कोई अनुचित बात किये जाने का भय नहीं होना चाहिये—आखिर, उस में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे।

कुछ लोगों ने कहा कि यदि अधिकतम सीमा में वृद्धि कर दी गई तो इस से ग़रीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी कठिनाइयां हो जायेंगी। मैं मानता हूं कि ऐसा होगा। परन्तु क्या अब कम कठिनाई है? कठिनाई तो अब भी है, यदि सीमा थोड़ी वृद्धि कर भी दी गई तो कोई विशेष अन्तर नहीं आयेगा।

अतः प्रवर समिति से तथा सदन से मेरा निवेदन यह है कि न्यूनतम सीमा में कोई फेर बदल नहीं की जानी चाहिये।

श्री टी० एन० सिंह : यद्यपि यह ठीक है कि संविधान में संशोधन जल्दी-जल्दी नहीं होना चाहियें, तथापि जो संशोधन हम करने जा रहे हैं वह केवल आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य हैं।

देश की जनसंख्या बराबर बढ़ रही है। मुझे आश्चर्य है कि संविधान बनाते समय हमारे ध्यान में यह बात कैसे नहीं

आई कि जनसंख्या में परिवर्तन होते रहने के कारण किसी निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचकों की अधिकतम तथा न्यूनतम सीमा निश्चित की जानी ठीक नहीं होगी। अतएव मैं प्रवर समिति के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस बात पर विचार करें कि क्या यह संभव है कि राज्य विधान-मंडलों की तरह वहां भी केवल न्यूनतम सीमा ही निश्चित की जाये, अधिकतम नहीं।

दूसरे, मेरा विचार यह है कि न्यूनतम सीमा को हाथ न लगाया जाये, अन्यथा कम जन संख्या वाले क्षेत्रों में, निर्वाचन-क्षेत्रों में परस्पर सामंजस्य का अभाव रहेगा। संविधान के अनुच्छेद ८१ के खंड १ के उपखंड (ग) का भी यही अभिप्राय है कि जो निर्वाचन-क्षेत्र बनाये जायें उन में कुछ सीमा तक परस्पर सामंजस्य बना रहे।

वस्तुतः सारी बहस इस बात पर आधारित है कि जनसंख्या में परिवर्तन होने के फलस्वरूप अलग अलग राज्यों में लोक-सभा के सदस्यों की संख्या में क्या फेर बदल होगी। परन्तु इस सम्बन्ध में मैं यह पूछना चाहता हूं कि यदि हम राज्य में सदस्यों की वर्तमान संख्या को ज्यों की त्यों रखें तो क्या संविधान के अनुच्छेद ८१ के खंड (१) के उपखंड (ग) म निर्दिष्ट असमानता इतनी अधिक हो जायगी कि वह स्वयं संविधान की भावना के प्रतिकूल होगी। यदि एसा होने की सम्भावना नहीं है, तो फिर मेरी राय में उस से छेड़ छाड़ क्यों की जाय।

मेरा ख्याल है कि अलग-अलग निर्वाचन-क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में अन्तर बहुत ज्यादा नहीं होगा। हां, कुछ निर्वाचन-क्षेत्रों का मामला तो हमें छोड़ना होगा, क्योंकि स्वयं संविधान में ही अधिकतम तथा न्यूनतम सीमा के सम्बन्ध में जो उपबन्ध है उस में कोई दो लाख जनसंख्या या कोई एक लाख मतदाताओं का अन्तर है। अतः यदि अलग अलग निर्वाचन-क्षेत्रों में डेढ़ लाख का भी अन्तर हो, तो भी किसी अमुक राज्य से लोक-सभा में जाने वाले सदस्यों की संख्या में फेर बदल करने का कोई कारण नहीं है। मैं प्रवर समिति को यह सुझाव देना चाहता हूं।

इस के अलावा मैं यह भी समझता हूं कि संविधान के अनुच्छेद ८१ के खंड (२) के उपखंड (क) में संशोधन करने का कोई प्रयत्न वांछनीय नहीं होगा। यह हानिकर भी हो सकता है। यदि हम वर्ष प्रति वर्ष लोक-सभा में सदस्यों की संख्या में फेर बदल करते जायेंगे तो यह कोई उचित बात नहीं होगी। मैं समझता हूं कि ऐसा तो कहीं भी नहीं होता। अमेरिका में 'हाउस आफ रिप्रेज़ेन्टेटिव्स' या इंगलैंड में 'हाउस आफ कामन्स' में सदस्यों की कुल संख्या लगभग एक सी ही रहती आई है। यदि मतदाताओं की संख्या में कोई वृद्धि हो जाये तो इस में कोई हानि नहीं है। बल्कि मैं समझता हूं कि प्रत्येक सदस्य अधिक मतदाताओं के साथ सम्पर्क स्थापित करना पसन्द करेगा। अतएव मेरा सुझाव यह है कि प्रवर समिति विधेयक पर उस के वर्तमान रूप में ही विचार करे और संविधान के अनुच्छेद ८१ के खंड (१) के उपखंड (क) में संशोधन करने का प्रश्न न उठाये।

श्री एम० ए० अय्यंगार (तिरुपति) : मैं इस सम्बन्ध में थोड़े से शब्द कहूंगा। मैं समझता हूं कि इस विधेयक पर पहले जो चर्चा हो चुकी है उस के सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मैंने यह अनुरोध किया था कि लोक-सभा के सदस्यों की कुल संख्या ५०० से बढ़ाई न जाये। जहां तक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का सम्बन्ध है, मेरे एक मित्र, श्री सिन्हा, ने यह चिंता व्यक्त की थी कि एक गरीब व्यक्ति अपने निर्वाचन-क्षेत्र का—यदि वह

[श्री एम० ए० अय्यंगर]

और बढ़ा दिया गया—किस प्रकार दौरा कर सकेगा। परन्तु मैं उन से निवेदन करूंगा कि गांवों में जा कर सब व्यक्तियों के साथ अलग-अलग बात करना तो सम्भव है नहीं, चाहे वह साढ़े सात लाख हों या साढ़े आठ लाख। उन्हें सामूहिक रूप से सम्बोधित किया जाता है और इसी प्रकार उन के साथ सम्पर्क स्थापित किया जाता है अतएव, यदि निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि कर भी दी जाये तो भी उम्मीदवार के दृष्टिकोण से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

यदि इस सम्बन्ध में भी वही उपबन्ध किया गया होता तो जो संविधान में राज्य विधान-मंडलों के विषय में किया गया है, तो कोई कठिनाई ही उत्पन्न नहीं होती। संविधान के अनुच्छेद १७० में यह उपबन्धित है कि ७५,००० जनसंख्या तक के लिये एक से अधिक सदस्य नहीं होगा। इस का अर्थ यह हुआ कि ७५,००० से आगे १७५,००० तक के लिये भी एक ही सदस्य हो सकता है। उधर, लोक-सभा के सम्बन्ध में यह उपबन्ध है कि पांच लाख जनसंख्या के लिये एक से अधिक सदस्य नहीं होगा और साढे सात लाख जन-संख्या के लिये एक से अधिक सदस्य होंगे। यहां शर्त दोनों तरफ लगी हु ई है। इस लिये यहां तो संशोधन करना ही पड़ेगा। हां, जहां तक राज्य विधान मंडलों का सम्बन्ध है, मैं संविधान में कोई संशोधन किया जाना अनावश्यक समझता हूं क्योंकि राज्य विधान मंडलों में सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या ५०० निर्धारित है। निम्नतम संख्या कोई नहीं है। मद्रास राज्य में १७५,००० और १४५,००० जनसंख्या पर एक सदस्य रखा गया था; अब वे कह सकते हैं कि १८०,००० या २००,००० जनसंख्या के लिये एक सदस्य होगा। इस के लिये किसी संशोधन की जरूरत नहीं है। परन्तु जहां तक लोक सभा का प्रश्न है, हर दस वर्ष बाद हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसलिये हम चाहते हैं कि यहां भी न्यूनतम सीमा ही रहे, अर्थात् साढ़े सात लाख जन संख्या के लिये एक से अधिक सदस्य नहीं होगा। ऐसी दशा में, जनसंख्या बढ़ने पर आठ लाख या दस लाख जनसंख्या के लिये भी एक ही सदस्य रखा जा सकेगा।

इस प्रसंग में मैं अमेरिका के संविधान की ओर निर्देश करना चाहता हूं। वहां प्रत्येक १००० व्यक्ति के लिये एक सदस्य होता है। उन्हों ने सदस्यों की अधिकतम संख्या ५०० नहीं निश्चित की है। वहां समस्या है जनसंख्या का कम होना जब कि हमारे देश में मुख्य प्रश्न है जनसंख्या का अत्याधिक होना। इसलिये इस बात में अमेरिका का अनुसरण करना ठीक नहीं है। कनाडा का इतना बड़ा राज्य क्षेत्र होते हुए भी वहां केवल ५०० सदस्य होते हैं। ब्रिटेन की लोक-सभा में छै सौ और कुछ सदस्य हैं। इस के अलावा और किसी देश के विधान मंडल में ५०० से अधिक सदस्य नहीं हैं। अतएव, ५०० उचित संख्या है। इस में और वृद्धि करने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे प्रवर समिति को सदस्यों की कुल संख्या ५०० से बढ़ाये जाने के विषय में कोई निदेश न दें।

इस संशोधन की बजाय प्रवर समिति को यह संशोधन करना चाहिये कि साढ़े आठ लाख की अधिकतम सीमा न रहे केवल न्यूनतम सीमा रहे। केवल यह उपबन्धित हो जाये कि साढ़े सात लाख से कम जनसंख्या के लिये एक सदस्य नहीं होगा। इस से काम चल जायेगा। इस से घड़ी घड़ी संविधान में भी फेर बदल नहीं करनी पड़ेगी। यदि मेरा सुझाव माना जाये तो आज सुबह प्रवर समिति को विधेयक के दायरे के बाहर जा कर उपखंड (क) में संशोधन करने के निदेश

तथा अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में जो चर्चा हुई थी वह आवश्यक है ।

श्री वैलायुधन : संविधान में संशोधन विषयक विधेयक इतना स्पष्ट है कि मैं भी माननीय विधि मंत्री की इस बात से सहमत हूं कि संसद् में सदस्यों की संख्या ५०० से अधिक नहीं बढ़ाई जानी चाहिये । मेरे पास इस के पक्ष में स्पष्ट आधार मौजूद हैं । जब चुनाव सम्बन्धी कार्यवाही हो रही थी तो मैं ने यह भी महसूस किया था कि संसद् के लिये निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं होता प्रत्यक्ष रूप से क्यों हो रहा है । यह विचार मेरे मन में इसलिये आया कि मुझे संसद् के दो सदस्यों वाले निर्वाचन क्षेत्र में एक स्थान के लिये सत्तरह राज्य निर्वाचन-क्षेत्रों का दौरा करना पड़ा था । संसद् के लिये निर्वाचन-क्षेत्र त्रावनकोर-कोचीन के सत्तरह निर्वाचन-क्षेत्रों के बराबर था । इसलिये मैं ने सोचा कि संसद् के लिय अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्यों न किया जाये ।

जहां तक इस संशोधक विधेयक का सम्बन्ध है, यह अनिवार्य है । जब भी जनगणना होगी, ऐसे विधेयक की आवश्यकता पड़ेगी । मेरा निवेदन यह है कि संसद् में सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ाई जाये । परन्तु मैं यह कहूंगा कि राज्य विधान-मंडलों के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जानी चाहिये । निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के अनुसार ऐसा तो अनिवार्य रूप से किया जाना होगा ।

दूसरी बात जो मैं यहां बतलाना चाहता हूं वह यह है कि यह विधेयक प्रवर समिति को तो सौंपा ही नहीं जाना चाहिये था । इस के द्वारा संविधान के अनुच्छेद ८१ के खंड (१) के उपखंड (क) में तो संशोधन किया ही नहीं जा रहा है, यह तो केवल उपखंड (ख) का संशोधन है । फिर यह विधेयक परिचारित किया जाय । उस सम्बन्ध में सम्मतियां प्राप्त की गईं । सरकार की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया कि इसे अनुच्छेद ८१ (१) (क) का संशोधन स्वीकार्य नहीं है । जब हम यह जानते हैं कि सदन द्वारा यह विचार स्वीकार कर लिया गय है, तो केवल हिसाब फैलाने मात्र के लिये यह विधेयक प्रवर समिति को क्यों सौंपा जा रहा है ? यदि यह मामला निर्वाचन आयोग को सौंप दिया जाये तो वह पांच मिनट में ही सब तरीका बतला देगा और हम आसानी से सब हिसाब फैला सकेंगे । यदि हमारा विचार संविधान के अनुच्छेद ८१ के खंड (१) के उपखंड (क) में कोई संशोधन करने का नहीं है, तो फिर इस विधेयक में केवल हिसाब फैलाने की जरूरत है, और कुछ नहीं किया जाना है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तुर) - जब परिसीमन आयोग विधेयक के साथ साथ यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा गया था, तो हम में से अधिकांश ने यह सोचा था कि इन दोनों विधेयकों को एक साथ लेने की क्या जरूरत है । हम पहले यह पता क्यों न लगा लें कि क्या निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन सम्बन्धी परिवर्तनों का अध्ययन कर के ही हमारा काम चल सकता है । अगली जनगणना होने में करीब दस वर्ष हैं । आखिर, १९५७ के निर्वाचन में तो १९५१ की जनगणना के आंकड़े ही माने जायेंगे, और कोई आंकड़े नहीं । मेरा ख्याल तो यह है कि बजाय इस के कि हम संविधान के अनुच्छेद ८१ (२) (क) या ८१ (१) (ख) में कोई संशोधन करें, हम निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण इस प्रकार करे कि राज्यों की सीमाओं का ख्याल न रखा जाये । इस से हम हर निर्वाचन क्षेत्र में ७५०,००० व्यक्ति रख सकेंगे : उस दशा में संविधान के अनुच्छेद ८२ का भी अध्ययन किया जाना होगा । परन्तु यदि अनुच्छेद ८२ में कोई संशोधन न भी किया जाये तो भी जन प्रतिनिधान अधिनियम में संशोधन करने मात्र से, काम चल जायेगा और

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

हमें अजमेर जैसे छोटे से राज्य के लिये भी दो प्रतिनिधि नहीं रखने पड़ेंगे ।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

यदि निर्वाचन क्षेत्र की अधिकतम सीमा ७५०,००० से बढ़ा दी गई तो बहुत सी जटिलतायें पैदा हो सकती हैं । हम में से लोग, जो बहुत अमीर नहीं हैं और जो किसी पक्ष विशेष की निधि से भी कोई सहायता प्राप्त नहीं कर सकते, ७५०,००० की जनसंख्या से भी सम्पर्क स्थापित करने में बड़ी कठिनाई का सामना करते हैं । अब यदि यह बढ़ा कर ८५०,००० कर दी गई, तब तो निस्सन्देह यह कठिनाई और भी अधिक बढ़ जायेगी ।

मेरा सुझाव केवल यह है कि यदि हम सदन में सदस्यों की संख्या ५०० ही बनाये रखना चाहते हैं, उस में वृद्धि नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे भाग ग राज्यों को, जो बहुत छोटे हैं, भारीकृत प्रतिनिधित्व दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है । हम ने इस समय उन्हें अनुचित भारीकृत प्रतिनिधित्व दे रखा है । मेरा निवेदन यह है कि इस समय अनुच्छेद ८१ (१) (क) में कोई संशोधन करने के बजाय केवल परिसीमन विधेयक पर ही विचार किया जाये । जब उक्त विधेयक सम्बन्धी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जायेगी तो शायद संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता ही प्रतीत न होगी । जब प्रवर समिति निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के प्रश्न पर विचार करे तो उसे अनुच्छेद ८२ के अन्तर्गत भाग ग राज्यों को दिये गये प्रतिनिधित्व पर भी ध्यान देना चाहिये और यह प्रयत्न करना चाहिये कि उन्हें कोई अनुचित भारीकृत प्रतिनिधित्व न दिया जाये । जहां तक अनुच्छेद ८१ (१) (क) या (ख) के संशोधन का सम्बन्ध है, यह विधेयक प्रवर समिति को न सौंपा जायें ।

श्री टी० सुब्रह्मण्यम् (बेलारी) : संविधान में सदस्यों की कुल संख्या ५०० खूब सोचों समझ कर ही निश्चित की गई है । अब इस संख्या में वृद्धि करना ठीक नहीं है । कुछ लोगों ने ब्रिटेन की लोक-सभा का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि संख्या ५०० से नहीं बढ़ाई गई तो यह बात लोकतन्त्र के विरुद्ध होगी । मेरा ख्याल है कि ऐसा कहना ठीक नहीं है और विशेष रूप से हमें अपने सदन की तुलना ब्रिटेन की लोक सभा से करनी ही नहीं चाहिये क्यों कि उस का वर्तमान अस्तित्व ऐतिहासिक विकास का परिणाम है । वह कोई लिखित संविधान के अनुसार नहीं बनाई गई है । हां, दो तीन देश और हैं जहां बड़े बड़े विधान-मंडल हैं । उन में से एक अमेरीका और दूसरा रूस है । परन्तु हमारे देश में सब बातों को समान रूप से देखते हुए ५०० की संख्या बिल्कुल ठीक है और इस में कोई वृद्धि नहीं की जानी चाहिये ।

जहां तक निर्वाचन-क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिकतम तथा न्यूनतम सीमा निश्चित की जाने का प्रश्न है, मेरी राय में न्यूनतम सीमा तो निश्चित की जाये—चाहे यह छै लाख हो या सात लाख या साढ़े सात लाख—परन्तु अधिकतम सीमा को बिल्कुल ही उड़ा दिया जाये । ऐसा होने पर, बार बार जनगणना के अनुसार उस में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ा करेगी । अतएव मैं प्रवर समिति से निवेदन करूंगा कि वह ५०० की संख्या बढ़ाने की चेष्टा न करे । अनुच्छेद ८१ (१) (क) में कोई परिवर्तन न किया जाये और अनुच्छेद ८१ (१) (ख) के सम्बन्ध में केवल न्यूनतम सीमा रखी जाये—चाहे यह कितनी भी हो—अधिकतम नहीं । मैं एक बार फिर यह कह दूं कि ५०० की संख्या बिल्कुल ठीक है ।

अब भी इस ओर के बहुत से सदस्यों को बोलने का अवसर प्राप्त नहीं होता इस संख्या के बढ़ने से तो हालत और भी अधिक बिगड़ जायेगी ।

श्री कक्कन (मदुरई-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : इस विधेयक के समर्थन में मैं कुछ शब्द मेलूर विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं ।

शुरू में मदुरा जिले को विशेष रूप से हरिजनों के लिये—तीन रक्षित स्थान दिये गये थे । ये स्थान पेरियाकुलम, मिलाकओटर्ड तथा डिंडीगुल तालुकों को दिये गये थे । परन्तु बाद में, मद्रास सरकार के साथ विचार विमर्श किये बिना ही, डिंडीगुल का रक्षित स्थान मेलूर को दे दिया गया । मेलूर तालुका की जनसंख्या लगभग दो लाख है और मदुरा तालुका की जनसंख्या भी कोई दो लाख की है । अब इन दोनों तालुकों को एक कर के उन्हें एक सामान्य स्थान और एक रक्षित स्थान दे दिया गया है । अतः में माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि मेलूर तालुका को केवल एक सामान्य स्थान दिया जाये तथा इस का रक्षित स्थान डिंडीगुल को दे दिया जाये । यद्यपि मैं मेलूर तालुका का हूं, फिर भी मैं चाहता हूं कि डिंडीगुसल तालुका के हरिजनों के साथ न्याय हो और उन्हें एक रक्षित स्थान प्राप्त हो ।

श्री धुलेकर (जिला झांसी दक्षिण) : मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि सदन में सदस्यों की संख्या ५०० से अधिक न की जाये । कुछ आपत्तियां इस आधार पर की गई हैं जब वर्ष प्रति वर्ष जनसंख्या बढ़ रही हो तो ऐसी दशा में जनता के प्रतिनिधियों की संख्या न बढ़ाना अलोकतंत्रात्मक होगा । इस के उत्तर में मेरा निवदन यह है कि जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व प्रतिनिधियों की संख्या पर नहीं बल्कि इस बात पर निर्भर है कि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति किस स्तर के हैं । देखना यह है कि वे अपना दृष्टिकोण ऐसे ढ़ंग से रखते हैं या नहीं जो देश के लिये लाभदायक हो ।

मैं समझता हूं कि जिस सदन में सदस्यों की संख्या अधिक होती है वहां यह प्रथा या रूढ़ि चली जाती है कि अलग अलग व्यक्ति किसी एक ही विषय पर बोलते हैं । कुछ लोग स्वास्थ्य को तो कुछ वाणिज्य को अपनाते हैं और उन में गहन अध्ययन कर के अपना दृष्टिकोण इस प्रकार रखते हैं कि उस से किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र का नहीं बल्कि सारे देश का हित होता है । हमें राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का पूर्ण अध्ययन करना होता है और फिर अपने विचार सदन के सामने रखने होते हैं । अतः मेरा निवेदन यह है कि ५०० की संख्या बनाये रखना बिल्कुल ठीक है । अधिक से अधिक संख्या यही रहनी चाहिये ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि जहां तक हो सके संविधान में संशोधन बहुत कम किये जाने चाहियें । मैं प्रवर समिति से प्रार्थना करूंगा कि वह संविधान के अनुच्छेद ८१ के के खंड (१) के उपखंड (ख) में ऐसा संशोधन करें जिस से पांच या दस वर्ष बाद उस में फिर संशोधन करने की आवश्यकता न पड़े । हम केवल न्यूनतम सीमा ही रखें या फिर कोई भी सीमा न रखें और निर्वाचन-क्षेत्र निश्चित करने का काम परिसीमन आयोग के ऊपर ही छोड़ दें । यदि ऐसा कर दिया गया तो फिर संविधान में संशोधन नहीं करना पड़ेगा । यदि हम किसी भी ओर कोई सीमा न रखें तो भविष्य में किसी भी प्रकार की फेर बदल करने की कठिनाई से बच सकेंगे ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : मेरे मित्र श्री ए० सी० गुहा ने कहा कि निर्वाचन-क्षेत्र की सीमा बढ़ा दी जाने से चुनाव लड़ने में बहुत कठिनाइयां हो जायेंगी ।

[श्रीमती रेण चक्रवर्ती]

मेरा कहना यह है कि केवल चुनाव लड़ने का ही प्रश्न नहीं है सवाल यह है ; हम अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किस प्रकार कर सकेंगे ? निर्वाचन क्षेत्रों का जो वर्तमान रूप है, उस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को अपने अपने निर्वाचन-क्षेत्र की जनता से सच्चा सम्पर्क स्थापित करना बहुत कठिन हो जाता है । आठ मास तक संसद् के कार्य में संलग्न रहने के उपरान्त शेष चार मासों में निर्वाचन क्षेत्र का भ्रमण करना और संसद् की कार्य-वाही निर्वाचकों तक पहुंचाना तथा उन की मांगें फिर संसद् के सामने रखना कोई आसान काम नहीं है । अतः हमारा यह पक्का ख्याल है कि निर्वाचन क्षेत्र में मत दाताओं की संख्या में और अधिक वृद्धि नहीं होनी चाहिए ।

इस के बाद मैं एक और बात की तरफ इशारा करना चाहती हूं, अर्थात् सरकार की मताधिकार को सीमित करने की प्रवृत्ति । इन संशोधनों से हम उन सिद्धान्तों को ही समाप्त कर देंगे जिन के लिये संविधान में वयस्क मताधिकार का उपबन्ध किया गया और निर्वाचन-क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या की सीमायें रखी गई : अतएव मैं निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन की संख्या में वृद्धि कर के मता-धिकार के सीमित किये जाने का पूरे जोर के साथ विरोध करूंगी ।

ऐसी दशा में, अनुच्छेद ८१ (१) (क) में संशोधन किये जाने का प्रश्न स्वतः उत्पन्न होता है । विभिन्न वक्ताओं ने ५०० की संख्या में वृद्धि की जाने का भिन्न भिन्न आधार पर विरोध किया है । कुछ ने कार्यकुशलता के आधार पर विरोध किया तो दूसरों ने इस आधार पर भी कि इतने अधिक सदस्यों वाले सदन का कार्य संचालन अति कठिन हो जायेगा । हमें इस बात पर विचार नहीं करना है कि इतने अधिक सदस्यों वाले सदन का कार्य संचालन सत्तारूढ़ पक्ष के लिये मुश्किल हो जायेगा या नहीं; देखना तो यह है कि इस से जनता की राय अधिक अच्छे ढंग से व्यक्त हो सकेगी या नहीं । संख्या ऐसी रक्खी जाये जिस के द्वारा जनता का सारा प्रतिनिधित्व हो सके और उस की मांगें अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से सदन के सामने रखी जा सकें । आखिर हमें जवाब तो जनता को ही देना है । और उसी की भलाई के लिये हमें काम करना है । ऐसे विधेयकों के पृष्ठ में यही मुख्य सिद्धात रहता है । अतः मेरा निवेदन है यक वर्ता मान सीमायें यों की त्यों रहनीं चाहियें । निश्चय ही मैं उस ओर के कुछ सदस्यों द्वारा कही गई इस बात से सहमत हूं कि न्यूनतम सीमा पांच लाख से अधिक नहीं की जानी चाहिये क्योंकि यदि ऐसा कर दिया गया तो कम जन संख्या वाले बहुत से क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व ही नहीं हो सकेगा ।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : वाद-विवाद से यह मालूम हुआ कि लोगों ने लोक-तंत्र की बहुत चर्चा की । परन्तु मेरे ख्याल में तो यहां लोकतन्त्र है ही नहीं; यहां तो निरंकुश शासन विद्यमान है । मैं नहीं समझता कि किसी निर्वाचन-क्षेत्र को थोड़ा-बहुत घटाने बढ़ाने से लोकतन्त्रात्मक शासन से कोई प्रभाव पड़ सकता है। लोकतन्त्रात्मक शासन जनता की विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता पर निर्भर करता है जो मेरे ख्याल में यहां बहुत कम है । अतः लोकतन्त्र के बारे में लम्बी चौड़ी बातें करना बिल्कुल बेकार सा है । हां, मुझे खुशी हुई कि मेरी बाईं ओर बैठे महाशय ने कहा : मैं कांग्रेसी होते हुए भी इस विधेयक का विरोध करता हूं—यही सच्चा लोकतन्त्र है । सच पूछिये तो मैं उन्हें बधाई देने के लिये ही खड़ा हुआ हूं । आखिर, उन्हों ने साहस तो किया कि कांग्रेसी होते हुए भी कांग्रेसी सरकार द्वारा रखे गये इस विधेयक का विरोध किया ।

डा० एन० एम० लिंगम (कोइम्बटूर) : संविधान के अनुच्छेद ८१ (१) (ख) में संशोधन इस लिये किया जा रहा है ताकि निर्वाचन आयोग का काम सुकर बनाया जा सके । अन्यथा अनुच्छेद ८१ (१) (क) ही काफी था । संविधान में यह उपबन्ध इस लिये किया गया था ताकि निर्वाचन-क्षेत्रों का न्यायोचित ढंग से परिसीमन किया जा सके ।

वस्तुतः, जैसा कि प्रस्तुत विधेयक के 'कारणों तथा उद्देश्यों के विवरण' में बतलाया गया है, कुछ निर्वाचन-क्षेत्रों की जनसंख्या साढ़े सात लाख से अधिक हो गई है । यद्यपि निर्वाचन-क्षेत्रों का क्षेत्र उतना ही रहेगा, लेकिन उन की जनसंख्या बढ़ जायेगी और इस तरह वह संविधान के उपबन्धों के प्रतिकूल हो जायेंगे । इसलिये इस संशोधन की आवश्यकता पड़ी ।

अनुछेद ८१ के अन्तर्गत दी गई संख्या के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है । इस सम्बन्ध में ब्रिटेन की लोक-सभा का भी उल्लेख किया गया है जहां कि कोई चार करोड़ की जनसंख्या के लिये ६४० सदस्य हैं । लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि इंगलैंड में राज्य विधान-मंडल नहीं है जो कि हमारे यहां है। इस के अलावा कि जैसा और भी कई माननीय सदस्यों ने कहा, अब भी बहुत से सदस्यों के लिये अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित करना और बोलने का अवसर प्राप्त करना कठिन हो जाता है यदि सदस्यों की संख्या और बढ़ा दी गई तब तो सदन के कार्य में अकुशलता आने का भय है । अतः मेरा ख्याल है कि सदन यह चाहता है कि सदस्यों की समस्त संख्या में, किसी भी अवस्था में, वृद्धि नहीं होनी चाहिये । यदि सदस्यों की समस्त संख्या म वृद्धि नहीं होती तो जनसंख्या बढ़ जाने के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि उपखंड (ख) में संशोधन किया जाये, क्यों कि खंड (३) के अन्तर्गत सदन के लिये परिसीमन आयोग का निर्माण करना अनिवार्य है ।

कुछ व्यक्तियों ने यह आशंका प्रकट की है कि सीमा साढ़े सात लाख से बढ़ा कर साढ़े आठ लाख कर दी जाने कि अवस्था में सदस्य के लिये अपने निर्वाचकों से वास्तविक सम्पर्क स्थापित करना असम्भव हो जायेगा । तो इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि व्यवहार रूप में निर्वाचन क्षेत्रों का क्षेत्र तो पहले जैसा ही रहेगा—प्रादेशिक सीमायें वही रहेंगी, केवल जनसंख्या में वृद्धि हो जायेगी । वस्तुतः इस का अभिप्राय तो निर्वाचन क्षेत्रों की प्रादेशिक सीमाओं का विनियमीकरण करना है, इस से निर्वाचन-क्षेत्र अधिक विस्तृत नहीं होंगे । अतः यह आशंका निराधार है । मेरा सुझाव है कि अनुच्छेद ८१ का यह उपखंड परिसीमन आयोग विधेयक का अंग बना लिया जाये, जो कि, मैं समझता हूं, इस विधेयक के तुरन्त बाद ही पारित किया जाने वाला है ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : विधेयक के समर्थकों द्वारा स्पष्टीकरण करने के प्रयत्न किये जाने के बावजूद भी हम में से बहुतों को यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इस विधेयक की आवश्यकता है भी या नहीं । मुझे खेद तो इस बात का है कि यह विधेयक उन बातों की पूरी तरह से जांच किये बिना प्रस्तुत कर दिय गया है जिन से सीमायें बढ़ाई जाने का औचित्य प्रकट होता है । स्वयं अनुच्छेद ८१ में यह उपबन्धित है कि जनगणना की रिपोर्ट मिलने के बाद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन किया जायेगा । स्पष्टतया, इस का अर्थ यह है कि जहां तक सम्भव हो यह अनुच्छेद ८१ (१) (ख) के अन्तर्गत दी गई सीमाओं के अन्तर्गत किया जाये, अर्थात् सीमायें पांच लाख से कम तथा साढ़े सात लाख से अधिक न हों ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हों ने यह सोचा हो कि शुरू में सदस्यों की कुल संख्या ५०० नहीं होगी, ५०० तक संख्या धीरे धीर बढ़ाई जायेगी ?

डा० एस० पी० मुखर्जी : यह भी हो सकता है । परन्तु उस समय हम भाग ग राज्यों के प्रति बहुत उदार थे । कारण स्पष्ट है । उस समय बहुत से भाग ग राज्यों के अपने विधान मंडल नहीं थे और कुछ उन की अपनी विशेष समस्यायें भी थीं । अतः यह सोचा गया कि जब तक सदस्यों की समस्त संख्या ५०० से अधिक नहीं होती तब तक भाग ग राज्यों का विशेष ख्याल रखे जाने में कोई हानि नहीं है । अब जबकि सारे मामले पर फिर से विचार करने का इरादा है. निश्चय ही सरकार को चाहिये कि भाग ग में राज्यों के सवाल पर अधिक गम्भीरता से विचार करे ।

सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या ३५ करोड़ ६८ लाख छै । यदि हम इस संख्या में ७५०,००० का भाग दें तो ४७६ भजनफल आया । यानी यदि संख्या ५०० रखी जाये तो भी २४ सीटें आप के पास और बचती हैं ; इन से आप जिस प्रकार चाहें पुनः समायोजन कर सकते हैं । दुर्भाग्य से हमें आंकड़े अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं अतः ठीक ठीक तो मैं भी नहीं कह सकता कि अलग अलग राज्य में जनगणना की रिपोर्ट के फलस्वरूप स्थिति क्या रहेगी । इस सूचना के अभाव में हम से यह कहा जाता है कि अधिकतम तथा न्यूनतम सीमाओं में वृद्धि कर दी जाये, ठीक नहीं है ।

मेरे इस समय वाद विवाद में हस्तक्षेप करने का अभिप्राय यही है कि सरकार को अधिकतम तथा न्यूनतम सीमाओं को बढ़ाने के लिये बाध्य नहीं होना चाहिये । जब तक कि जनगणना के नये आंकड़ों को देखते हुए परमावश्यक नहीं हो जाता कि अधिकतम सीमा बढ़ाई जाये, तब तक सरकार को इसे के वल इस कारण से नहीं बढ़ा देना चाहिये कि वह एक बार ऐसा विचार कर चुकी है या इस सम्बन्ध में एक विधेयक पुरःस्थापित किया जा चुका है । मुझे विश्वास है कि यदि इस विषय पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया तो हम कोई न कोई समायोजन कर सकेंगे ।

दूसरी बात यह है कि यद्यपि केवल अनुच्छेद ८१ (१) (ख) को ही संशोधित किया जा रहा है, तथापि यह अत्यन्त आवश्यक है कि सरकार सम्पूर्ण अनुच्छेद पर पुनः विचार करे और उस में कोई उपयुक्त संशोधन करे । जिस से कि उस में प्रत्यक जनगणना के पश्चात् संशोधन करने की आवश्यकता न पड़े ।

एक बात मैं माननीय विधि मंत्री से शरणार्थियों के सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं । हमारे संविधान के अनुसार किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो २५ जुलाई, १९४९ के बाद पाकिस्तान से भारत आया है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का हक्क नहीं है । मैं ने प्रधान मंत्री को कुछ दिन पहले लिखा था कि वह संविधान में संशोधन करने के लिये आवश्यक कदम उठाये ताकि उन लाखों व्यक्तियों को नागरिकता अधिकार मिल सके जो पूर्वी बंगाल या सिंध से भारत आये हैं । प्रधान मंत्री ने मुझे उत्तर दिया है कि इस मामले की जांच विधि मंत्रालय द्वारा की जा रही है और शीघ्र ही संसद् में नागरिकता विधेयक पुरःस्थापित किया जायेगा । उस समय इस बात को ध्यान में रखा जायेगा और संविधान में आवश्यक संशोधन किये जायेंगे । अगले चुनाव के लिये निर्वाचक-नामावलि तैयार करने के लिये कोई कार्यवाही करने से

पहले यह आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्यवाही की जाये ताकि इतने अधिक व्यक्तियों को, जिन्होंने कि अब निश्चित रूप से भारत में रहने का फैसला कर लिया है, नागरिकता अधिकार तथा उस के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले अन्य अधिकार दिये जा सकें। मैं आशा करता हूं कि विधि मंत्री इस सम्बन्ध में कुछ बता सकेंगे ।

श्री बिश्वास : प्रस्तुत विधयक विधि के अन्तर्गत वर्तमान स्थिति पर आधारित है। जिन्हों ने भारतीय नागरिकता अधिकार प्राप्त नहीं किया था उन्हें शामिल नहीं किया गया था। यदि बाद में उन्हें नागरिकता अधिकार प्राप्त हो जाये तो इस प्रश्न पर पुनः विचार किया जाना होगा ।

डा० एस० पी० मुखर्जी: क्या उस के लिये संविधान में एक और संशोधन करना होगा--क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है ?

श्री बिश्वास : सच तो यह है कि यदि आप उपखंड (ख) में दी गई सीमा में वृद्धि की जाने के सुझाव को स्वीकार कर लेते ह, तो वे भी उस सीमा के अन्तर्गत आजायेंगे ।

श्री सत्यनारायण सिन्हा : मैं ने प्रवर समिति के सदस्यों की सूची में तीन नाम बढ़ाये जानेका प्रस्ताव किया था। आप की अनुमति से अब मैं श्री अनन्तशयनम् आयंगार का नाम और बढ़ाये जाने का प्रस्ताव करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो ३३ नामों की वर्तमान सूची में निम्नलिखित नाम और शामिल कर दिये गये हैं :

श्री एस० एस० मोरे : श्री बी० एस० मूर्ति, श्री एन० सी० चटर्जी तथा श्री अनन्त-शयनम आयंगार ।

मैं समझता हूं डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम का भी उल्लेख किया गया था ।

श्री बिश्वास : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आप ने अभी जो नाम पढ़ कर सुनाये उन। डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम भी बढ़ा दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सदन के समक्ष प्रस्ताव रखता हूं :

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाला विधेयक निम्न व्यक्तियों की एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाये और प्रवर समिति को २२ नवम्बर, १९५२ तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया जाये: श्री भवनजी ए० खीमजी, श्री श्यामनन्दन सहाय श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा, श्री के० एल० मोरे , पंडित लिंगराज मिश्रा, श्री रोहिणी कुमार चौधरी, पंडित लक्ष्मी कान्त मैत्रा, श्री मोहन लाल सक्सेना, श्री एन० एम० लिंगम, श्री उदयशंकर दूबे, चौधरी रघुबीर सिंह, श्री नैमी चन्द्र कास्लीवाल, श्री रनबीर सिंह चौधरी, श्री गोबिन्द हरि देशपांडे, सरदार अमर सिंह सह-गल, श्री कोटा रघुरामय्या, श्री कृष्णाचार्य जोशी, श्री लीला धर जोशी, श्री ए० एम० टामस, श्री सी० आर० बासप्पा, श्री सी माधव रेड्डी, श्री चौयथाराम परताबराय गिडवानी, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, श्री पी० टी० पुन्नूस, श्री गिरिराज सरन सिंह, डा० मानिक चन्द जाटव वीर, हिज़ हाइनस महाराजा राजेन्द्रनारायण सिंह देव, श्री एन० आर० एम-

राध्यक्ष महोदय]

स्वामी, श्री राधाचरण शर्मा, श्री रणजीत सिंह, श्री पी० एन० राजभोज, श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा, श्री एस० एस० मोरे, श्री बी० एस० मूर्ति, श्री एन० सी० चटर्जी, श्री अनन्तशयनम अय्यंगार, डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा प्रस्तावक।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन की बैठक कल पौने ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् सदन की बैठक बुधवार, १२ नवम्बर, १९५२ के पौने ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हो गई।